खण्ड-442, अंक-4
मंगलवार, 22 श्रावण, शक संवत् 1924
(13 अगस्त, 2002 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2002)

खण्ड 442 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2002

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रदेश में सूखे एवं अकाल से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	1-5
प्रश्नोत्तर	6-56
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	56
उन्नाव–लखनऊ को जोड़ने वाले बनी मिर्रीकला व पुरवा मार्ग के अधूरे भाग को पूरा करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57
श्री शिव प्रसाद गुप्त राजकीय चिकित्सालय, वाराणसी में आधुनिक सुविधाओं से युक्त वातानुकूलित बर्न यूनिट खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद फिरोजाबाद के कारखानों में मजदूरों से नियम विरुद्ध अधिक कार्य लिये जाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57-58
जनपद जौनपुर के मड़ियाहूं क्षेत्रान्तर्गत नदिआंव डैम की खुदाई/सफाई हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	58
जनपद झांसी में मऊरानीपुर क्षेत्रान्तर्गत थाना अध्यक्ष उल्दन द्वारा अनुसूचित जाति के कतिपय लोगों के विरुद्ध लगाई गई झूठी अपराधिक विभिन्न धाराओं को निरस्त कर जांच कराये जाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58-59
मेरठ महानगर में पशुवधशाला (कमेला) के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद बलिया के सीयर के क्षेत्रान्तर्गत भूमिगत जलस्तर नीचे जाने के कारण इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प का विधायक कोटा बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	59
डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के औचित्य के प्रश्न की सूचना सुने जाने के प्रकरण पर व्यवस्था का प्रश्न	60-62
जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के सरयू नहर परियोजना में नहरों पर साइफन का निर्माण कराये जाने विषयक डा० मुस्तफा हुसैन आदि की हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गई)	62
जनपद बस्ती डुमरियागंज मार्ग से नरखोरियां–परसाकुतुब कोटेखैरा सगरा मार्ग को पिच निर्माण कराये जाने विषयक श्री इरफान अहमद आदि की हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गई)	62

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन का कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (जारी)	63
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा आय-व्ययक पर साधारण चर्चा हेतु निर्धारित समय पर व्यवस्था का प्रश्न	63-64
उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	64
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	64
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	65
डा० धर्मज्ञ मिश्र प्रकरण को पहले लिये जाने पर विपक्ष द्वारा आपत्ति ...	65-68
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	68-81
सूखे पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिलाये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	81-90
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	90-96
प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	96
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	96-98
नत्थी	99

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(चौदहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त, 2002

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा०	जालौन
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान सिंह, श्री	वाराणसी
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री	वाराणसी
चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
मदन भैया, श्री	बागपत
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री	सीतापुर
मुस्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर/पडरौना
राज नाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा०	गोरखपुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
रेवती रमण सिंह, कुं०	इलाहाबाद
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	संत रविदासनगर भदोही
वीरेन्द्र सिंह, जी	बरेली
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा', श्री	ललितपुर
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रदेश में सूखे एवं अकाल से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

11.00 बजे क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, तीन दिन से सूखे पर चर्चा नहीं हो पा रही है ।

(विपक्ष के अधिकांश सदस्य एक साथ खड़े होकर अकाल की स्थिति उत्पन्न होने विषयक नियम 311 की सूचना को सुने जाने की मांग करने लगे किन्तु श्री अध्यक्ष के अनुरोध पर सभी सदस्यों ने अपना आसन ग्रहण कर लिया ।)

* नेता, विरोधी दल (श्री मौहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, हममें से किसी भी सदस्य का यह व्यक्तिगत मामला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

कौन सा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

अकाल का । मेरी नजर में अकाल का मामला कोई हंसी का मुद्दा भी नहीं है । हम में से किसी को भी इस सदन में इस मुद्दे पर हंसने का मतलब यह है कि हम प्रदेश की 17 करोड़ जनता के मुंह पर हंस रहे हैं । हम उनकी इस पूरी हालत पर हंस रहे हैं । बारिश होने का यह हरगिज मतलब नहीं है कि अकाल की स्थिति खत्म हो गयी जो फसल समाप्त हो गयी सो हो गयी लेकिन जो फसल होने वाली थी बारिस की ज्यादती से वह भी नहीं हो पायेगी । इसलिए एक तरफ अकाल की सूरत वैसी ही बनी हुई है जैसी थी और दूसरी तरफ बारिश का भी डर है । इसलिए उस मुद्दे को बार-बार उठाया गया । इसमें कितना सहयोग सरकार का मिला और कितना मान्यवर, आपका, यह आप भी जानते हैं लेकिन यह हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है, हममें से किसी के प्रेस्टिस का भी मसला नहीं है, राजनीतिक मामला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

आप किस मुद्दे पर बोल रहे हैं या व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहे हैं । अगर मुद्दे पर बोल रहे हैं तो उसके लिए नियम के अनुसार समय के अनुसार बोलें और अगर व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहे हैं तो बोलें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी पीठ से कल भी मेरे लिए यही बात की गयी थी, मुझे एक मिनट भी नहीं हुआ था अपनी बात कहते हुए कि आपको एतराज हुआ ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं अपनी बात कहना चाहता था, अनुरोध करना चाहता था कि आपको तीन-तीन अवसर थे। अगर अध्यक्ष पीठ को इतना भी कहने का अवसर नहीं देंगे तो कैसे होगा। मैंने आपको अवसर देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री का बजट भाषण रुकवा दिया था, आपको अवसर दिया था। विपक्ष का भी दायित्व उतना ही है जितना कि सत्तापक्ष का। विपक्ष की हठधर्मिता के सामने कभी-कभी अध्यक्ष विवश हो जाता है। हम भी कभी-कभी विवश हो जाते हैं, इसीलिए हर चीज को यदि हम लोग नियम के अनुसार करेंगे तो सदन शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से चलेगा और सबको अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। आप नियम 56 के अन्तर्गत सूखे की, अकाल की बात कह सकते थे, बजट पर साधारण चर्चा आपको प्रारम्भ करनी थी, उसमें भी आप अपनी बात कह सकते थे, नियम 52 में भी यह विषय आया था और स्वीकार हुआ था उसमें भी आप अपनी बात कह सकते थे। आपके पास 4-5 घंटे चर्चा करने का अवसर था लेकिन आपने अध्यक्ष को बोलने ही नहीं दिया।

श्री मोहम्मद आजम खां–

कुछ मुझे भी कहने की इजाजत देंगे। मैं विपक्ष की ओर से बोल रहा हूं आपको मालूम है।

श्री अध्यक्ष–

मुझे मालूम है कि मुझे प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। मुझे मालूम है कि किसको अनुमति दी है। आप बोलिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपको मेरा इशारा नजर आया, कभी-कभी मुख्य मंत्री का इशारा भी देखिये।

श्री अध्यक्ष–

मुख्य मंत्री जी उस समय मौजूद नहीं थीं। जो उचित पात्र होता है मैं उसी का इशारा देखता हूं, सबका नहीं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप विपक्ष पर ही नजर न रखिये, विपक्ष का ही इशारा न देखिये। आप सब तरफ नजर रखिये केवल हमारी तरफ ही नजर न रखिये।

मेरे पास एक विधायक का पत्र है जिसमें उन्होंने भूमि विकास बैंक, करनैलगंज के शाखा प्रबन्धक से यह लिखवाकर लिया है कि जिलाधिकारी के द्वारा कोई आदेश प्राप्त नहीं हैं जिसके कारण वसूली स्थगित नहीं हैं। यह प्रमाण है और यह प्रमाण सिर्फ एक जगह का नहीं है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का है। किसी तरह की कोई बैठक उत्तर प्रदेश के किसी जिले में नहीं हुई है। अकाल तो दूर की बात, सूखे को लेकर किसी किस्म की राहत के लिए न तो जिलाधिकारी स्तर पर, न किसी विधायक या सांसद के स्तर पर कोई चर्चा एक साथ बैठकर अभी तक नहीं हुई। ऐसी हालत में मान्यवर, जाहिर है सत्र चल रहा है तो क्या इस मामले को सदन में नहीं उठाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

उठाइये न, लेकिन प्रश्नकाल तो होने दें। मैंने मना नहीं किया लेकिन उठाने का एक समय होता है माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है हम न्याय की उम्मीद करते हैं और समझते हैं कि सरकार की तरफ से ज्यादती होगी तो आपकी तरफ से हमें न्याय मिलेगा। आज के अखबार में छपा है।

श्री अध्यक्ष–

समाचार-पत्र में छपी बात का हम संज्ञान नहीं लेते ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

अकाल के बारे में जो छपा है उसका तो संज्ञान लीजिए ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अखबार में जो बातें छपी हैं, वह आपकी तरफ से छपी होंगी, हम यह नहीं कह सकते । इतनी घटिया बात आप नहीं कह सकते । लेकिन मान्यवर, बहुत गम्भीर मामला है इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर बहस करा दें यह आपका अधिकार है । आप भी चुनकर आये हैं, हम सभी चुनकर आये हैं, जाहिर है हम सबके सहयोग से आप वहां है । अगर हमारा यह हक समझना हमारी गलती है । यदि किसी पर कोई हक समझता है तो जिस पर समझे, उसका सीना और चौड़ा होना चाहिए कि उस पर हक जताने वाले बहुत से लोग सदन में बैठे हैं । अगर आप पर हक समझना हमारी गलती है, ऐसा आप फरमा दें तो हम उस गलती को वापस लेते हैं, क्योंकि सदन आपको चलाना है, हमें नहीं चलाना है ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, सदन तो आपके सहयोग से ही चलेगा, बिना आपके सहयोग से कैसे चलेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

अखबार में गलत छप जावेगा, यह भी सहना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैं जो भी कहता हूं, निर्भय होकर कहता हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैंने तो गरीब किसानों और इस प्रदेश की जनता के पक्ष में आवाज उठाई ही थी । आप नाराज हो गये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं नाराज नहीं होता । मैं तो केवल चिन्तित होता हूं, सदन चलाने के बारे में ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

ऐसी भी मिसाल है, जब एकदम सारे बजट पास हो गये और सत्र उठ गया । हम ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं कि किसी भी साजिश का शिकार हो जायें और सरकार को, विपक्ष को इस प्रदेश को जवाब न देने का बहाना मिल जाय । यह हमारी पार्टी का मामला नहीं है, यह पूरे प्रदेश की गरीब जनता और किसानों का मामला है । इसलिए आपसे उम्मीद की गयी थी और हम आपसे संरक्षण चाहेंगे कि इस विषय पर नियमों को निलम्बित करते हुए इस पर आप चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

जो बात आप अभी कहना चाह रहे हैं, वह घंटे-डेढ़ घंटे बाद आ जायेगी, प्रश्नकाल के दो-चार मिनट बाद आ जायेगी, केवल दो एक औपचारिक कार्य हैं, उसके बाद मैं आपको अवसर दे दूंगा । अवसर में कमी नहीं रहेगी । आप सहयोग में कमी न रखें, मैं अवसर में कमी नहीं रखूंगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप सारे नियमों को निलम्बित करके इस विषय पर सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

यह आपकी मांग है, मैं समझ रहा हूं । आपका विषय प्रश्नकाल के उपरान्त 4-5 मिनट बाद आ जायेगा ।

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, हम आपके आभारी हैं कि आपने व्यवस्था के प्रश्न पर हमको बोलने की अनुमति दी। नियम 311 के अन्तर्गत माननीय सम्मानित सदस्यों ने आपकी अनुज्ञा लेते हुए एक प्रश्न उठाने का प्रयास किया यह जो मुद्दा है, यह मुद्दा समाजवादी पार्टी का नहीं है, यह मुद्दा कोई कांग्रेस का नहीं, यह मुद्दा कोई नेता प्रतिपक्ष का नहीं है। यह मुद्दा सत्ता में बैठे हुए सम्मानित सदस्यों का है और जो मंत्रि-परिषद् में बैठे हुए सम्मानित मंत्रीगण हैं, उन सभी का है। मान्यवर, जो अकाल इस समय है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन अफसोस की बात है कि एक तरफ अकाल पड़ा है और दूसरी तरफ गांवों में मुंहनोचवा का आतंक है और इससे भी बड़ा आतंक तहसीलदार, नायब तहसीलदार, होमगार्ड के सिपाहियों का है, उनको गांवों में ले जाकर गरीब किसानों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। आज 80-80, 90-90 साल के लोगों को तहसील की कालकोठरी में बंद किया जा रहा है। इनमें न कोई पानी की व्यवस्था है, न बिजली है और न कोई खाने का इंतजाम है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए इस विषय पर सुन लें और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बुला लें, हम लोग उनसे केवल इतना जानकारी चाहते हैं कि सूखे के नाम पर सरकार की तरफ से क्या-क्या कार्यवाही की गयी है। चूंकि किसानों का उत्पीड़न नहीं रोका गया है, इसलिए यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है। मान्यवर, हम आप से अनुज्ञा चाहते हैं कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा करायें। 17 करोड़ जनता आज इस सदन की तरफ और आप की तरफ देख रही है और जहां पर आप जैसे विद्वान बैठे हैं, जिसकी गरिमा है, इस सदन ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किये हैं। पूरे प्रदेश में संदेश जायेगा कि उत्तर प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित किया जा चुका है। इसलिए जैसा प्रश्न नेता प्रतिपक्ष जी ने उठाया है, उस पर आप अनुमति देने की कृपा करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

अध्यक्ष जी, जो विषय इस सम्मानित सदन के समक्ष माननीय नेता प्रतिपक्ष और अवधेश जी ने उठाया है, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि पिछले दिनों जो कुछ हुआ, तनाव के क्षण कभी-कभी आते हैं, कभी-कभी उत्तेजना में हो जाता है। लेकिन इस विषय पर कदाचित् कोई विवाद नहीं है कि यह प्रदेश का सबसे ज्वलंत प्रश्न है सूखा और यह केवल माननीय सदस्यों की अभिव्यक्ति नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया है। पिछले वर्ष 234 लाख हे० में खरीफ की बुवाई हुई थी, इस वर्ष 159 लाख हे० में ही हो पायी है। इस प्रकार 50 परसेन्ट खरीफ की बुवाई नहीं हुई है। मान्यवर, 311 में तो वही विषय आते हैं जो प्रदेश के करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं से जुड़ा होगा। तो इसे आप 311 में स्वीकार कर लें। यह उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में भी है।

श्री अध्यक्ष–

विषय के महत्व से कोई इन्कार नहीं कर रहा है। मेरा सुझाव मान लें तो सारी समस्या का समाधान हो जायेगा। मैं थोड़ी देर के लिए सदन स्थगित कर देता हूं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, श्री लालजी टण्डन, वरिष्ठ मंत्री और अन्य दल के नेताओं को बुला लेता हूं। यदि आप सहमत हो जाते हैं तो अभी हम चर्चा शुरू कर देते हैं; एक सद्भावना के वातावरण के साथ। अभी मैं 11.45 तक सदन को स्थगित कर देता हूं आप लोग आ जायें, यदि आप सहमत हैं तो हमारी ओर से कोई आपत्ति नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप जो भी व्यवस्था देंगे और जो भी आदेश होगा, हमें शिरोधार्य है । आप हमारे संरक्षक हैं और जो आप आदेश, निर्देश होंगे, उसका पालन करना ही है लेकिन श्रीमन्, नेताओं से वार्ता करने के लिए सदन को एडजर्न करने की आवश्यकता नहीं है । दूसरे पीठासीन अधिकारी जो हैं उनसे सदन चलता रहता है । प्रश्न यह नहीं है कि नियम 311 के अन्तर्गत एक निर्देश हो गया, 311 की सूचना पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मेरा मानना है कि प्रदेश में अकाल से बड़ी कोई समस्या आज के समय में नहीं है, इसलिए नियम 311 के सभी विषयों को निलम्बित किये जाने का आधार है और दूसरे किसी भी नियम को लिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं एक उद्धरण देना चाहता हूं कि आजमगढ़ जनपद में लालगंज विधान सभा क्षेत्र जो संसदीय कार्य मंत्री जी का क्षेत्र है, में दो-दो बच्चों की मौत भूख से हो चुकी है । जब लोग भूख से मर रहे हैं तो यह अकाल नहीं तो और क्या है ? मान्यवर, सवाल यह नहीं है कि कितनी बारिश हुई, कितने खेत सींचे गये ? श्रीमन्, पलहना ब्लाक में इस्माइलपुर माफी में शिवदास राजभर की भूख से मृत्यु हुई । मान्यवर, जिस प्रदेश में लोग भूख से मरने शुरू हो गये हैं, तो वहां अकाल नहीं तो क्या है ? पहले कल आख्या आई कि जब तक लोग भूख से नहीं मरते तब तक अकाल नहीं माना जा सकता ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि इस सदन में नियम 311 के अन्तर्गत सभी नियमों को निलम्बित करके इस विषय पर चर्चा करा ली जाए ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, यह लोग जो कह रहे हैं, यह बिल्कुल सत्य से परे है । अखबारों में यह खबर आयी थी लेकिन बाद में इसका खण्डन हुआ है । ये दोनों मौतें लम्बी बीमारी के कारण हुई हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी लोगों को अवसर देने के लिए तैयार हूं लेकिन लगता है कि आप लोग इस सदन की कार्यवाही को नहीं चलने देना चाहते हैं । अनेक बार पहले भी ऐसे अवसर आये हैं कि नियम 311 की सूचनाएं आई हैं और नियम–56 की भी सूचनाएं आयी हैं और इस बीच जब सदन एकत्रित होता था तो अनुरोध किया जाता था कि पहले नियम 311 की सूचना ले ली जाय और तब मैं उनको नियम 56 के साथ सम्बद्ध कर देता था और आप लोग मेरी बात स्वीकार कर लेते थे । आज भी वही स्थिति है । नियम 56 और नियम 311 में ये सूचनाएं चयनित हो गयी हैं । माननीय नेता प्रतिपक्ष को बजट पर अपनी चर्चा आरम्भ करनी है । तीनों अवसर जो कल विद्यमान थे, आज भी विद्यमान हैं । मैं चाहता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री को बुलाकर के अभी बात कर लूं । आप लोग आ जाइए, बात हो जाएगी ।

(सुश्री संध्या कठेरिया के खड़े होकर कुछ कहना चाहने पर)

संध्या जी अभी आप बच्ची हैं, आपको सीखने में बहुत समय लगेगा । मैं कोशिश करता हूं कि कोई गतिरोध न हो और इसलिए 11.45 तक सदन को स्थगित कर देता हूं । मैं प्रयास करूंगा कि सहमति हो जाय और मैं इस पर चर्चा प्रारम्भ करा दूं ।

(सदन द्वारा सहमति व्यक्त किये जाने पर 11 बजकर 24 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 11 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में अवषर्ण की स्थिति में किसानों से सरकारी देयों की राजस्व वसूली

**1—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में किसानों से सरकारी देयों की वसूली सख्ती से किये जाने के निर्देश शासन द्वारा जारी किये गये हैं ? क्या सरकार प्रदेश में अवर्षण की स्थिति को देखते हुए राजस्व वसूली तत्काल रोकने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री रवि गौतम)–

जी नहीं ।

वर्तमान मानसून सत्र में अवर्षण की स्थिति के दृष्टिगत दिनांक 1-8-2002 तक प्रदेश के 62 ऐसे जनपदों जहां कृषि फसलों की 50% अथवा इससे अधिक क्षति होने की सूचना जिलाधिकारियों से प्राप्त हुई है, नियमानुसार उन्हें सूखाग्रस्त घोषित करते हुए कृषकों के राजस्व मुख्य देयों (भू-राजस्व एवं सिंचाई देय) की वसूली आगामी रबी की फसल आने तक (अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2003 तक) स्थगित कर दी गयी है साथ ही कृषकों से उक्त अवधि में विविध देयों की वसूली में कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न किये जाने के निर्देश भी जिलाधिकारियों को दे दिये गये हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों की बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु कार्य योजना

**2–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा डा० अशोक बाजपेयी–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों की बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु कोई कार्य-योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता । औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को रुग्ण/बीमार, रुग्ण औद्योगिक कम्पनीज (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के तहत गठित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा किया जाता है और ऐसे रुग्ण पोषित औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन की कार्यवाही भी बी आई एफ आर के निर्देशों के अनुसार की जाती है, जो प्रत्येक बीमार इकाई के लिए पृथक-पृथक होती है ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में कृषि योग्य असिंचित भूमि को सिंचित किये जाने हेतु कार्य-योजना

*1—डा० कौशल किशोर–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कृषि योग्य कितनी सिंचित भूमि है, कितनी भूमि असिंचित है ? क्या सरकार द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए असिंचित भूमि को सिंचित किये जाने हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मार्च, 2002 तक प्रदेश में कृषि योग्य क्षेत्र में से 123.42 लाख है० सिंचित भूमि है तथा मार्च, 2002 तक 45.00 लाख है० असिंचित भूमि है ।

जी हां ।

प्रदेश की सन् 2005 तक की खाद्यान्न की आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में राज्य के समस्त उपलब्ध सतही एवं भूजल संसाधनों के श्रेष्ठतम दोहन के उद्देश्य से वर्ष 2000 में परिदृष्टीय योजना के अनुसार वर्ष 2020 तक अवशेष सिंचन क्षमता कुल 54.57 लाख है० का सृजन करने हेतु रु० 16,500 करोड़ (वर्ष 96-97 के आधार पर) की आवश्यकता होगी । जिसके अन्तर्गत मार्च, 2002 तक रु० 3041 करोड़ व्यय कर लगभग 9.2 लाख है० सिंचन क्षमता का सृजन किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान

*2—श्री संजय गर्ग, श्री मूल चन्द्र तथा श्री अवधेश प्रसाद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में वर्ष 2000 से माह मई, 2002 तक गन्ना किसानों का कितना गन्ना मूल्य बकाया है ? सरकार बकाया धनराशि को भुगतान किये जाने हेतु क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पेराई सत्र 2000-01 व 2001-02 (मई तक) की बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति निम्नवत् थी :—

(करोड़ रुपये में)

पेराई वर्ष	कुल देयता	भुगतान	अवशेष
2000-01	3995.68	3995.68	शून्य
2001-02 (मई, 02 तक)	5083.98	3815.82	1268.16
8 अगस्त, 2002 तक	5093.70	4224.53	869.17

बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु विभागीय स्तर पर गन्ना मूल्य भुगतान का अनुश्रवण एवं समीक्षा की जा रही है । सर्वाधिक बकाया गन्ना मूल्य वाली चीनी मिलों के विरुद्ध नोटिसें जारी की गयी हैं । वसूली प्रमाण-पत्र भी जारी किये गये हैं । प्रदेश शासन कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने के प्रति दृढ़ संकल्प एवं प्रयासरत् है ।

*3—श्री रियाज अहमद–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

पूर्वांचल में आसन्न बाढ़ से बचने के उपाय

*4—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि बरसात में पूर्वांचल में बाढ़ की भीषण समस्या रहती है ? यदि हां, तो क्या इस वर्ष आसन्न बाढ़ से बचने के लिए सरकार द्वारा कोई उपाय किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

पूर्वान्चल की बाढ़ नियंत्रण की 6 योजनाएं नाबार्ड से वित्त पोषित कर प्रगति में हैं, जबकि अन्य 63 योजनाओं की एक परियोजना पूर्ण करने हेतु नाबार्ड से वित्त पोषण हेतु स्वीकृत करायी गयी है।

अन्य 6 योजनाओं को केन्द्र से पुरोनिधानित कराकर कार्य प्रगति में है जिसमें दो योजनायें (1) बलिया–बैरिया तटबंध (2) विक्रमजोत–धुसवा तटबंध भौतिक रूप से पूर्ण कर ली गयी हैं ।

राज्य सेक्टर से भी वित्तीय संसाधन के अनुरूप 2 अन्य योजनाओं पर वित्तीय वर्ष 2002-03 में कार्य प्रगति में है ।

विगत वर्ष 2001-02 के बाढ़ से क्षतिग्रस्त (कटे-टूटे) पूर्वान्चल के 19 बांधों की पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।

बाढ़ सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, लखनऊ के अतिरिक्त 24 अन्य बाढ़ नियंत्रण कक्ष तथा 89 बेतार केन्द्रों की स्थापना सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान हेतु की गयी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दिये जाने सम्बन्धी योजना

*5—श्री राम विशुन आजाद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कक्षा 9 से 12 तक के छात्राओं से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिये जाने की व्यवस्था है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से सामान्य वर्ग के छात्रों से प्रतिमाह लिये जाने वाली शिक्षण शुल्क के आधे दर पर शिक्षण शुल्क लिये जाने की व्यवस्था है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन परिवारों की लड़कियों के विवाह तथा मेधावी छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु योजना की जानकारी

*6—श्री अजीम भाई–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन परिवारों की लड़कियों के विवाह तथा मेधावी छात्र–छात्राओं को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु क्या सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन परिवारों की लड़कियों के विवाह की कोई योजना नहीं है परन्तु अल्पसंख्यक वर्ग में केवल मदरसा शिक्षा के मेधावी छात्रों को उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु आर्थिक सहयोग देने की योजना है ।

मदरसा शिक्षा के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु आर्थिक सहयोग देने का प्राविधान अरबी फारसी मदरसा विकास निधि नियमावली, 2001 में किया गया है । इस निधि में रु० 1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है । वर्तमान में यह धनराशि स्टेट बैंक, जवाहर भवन, शाखा, लखनऊ में जमा है जिस पर ब्याज अर्जित हो जाने के पश्चात् यह आर्थिक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

प्रदेश की वित्तीय संसाधनों की विषम स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन परिवारों की लड़कियों के विवाह तथा अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए योजना बनाया जाना सम्भव नहीं है ।

झांसी, चित्रकूट तथा इलाहाबाद मण्डलों में नदियों की बाढ़ को राकने के लिए सरकार की कार्य योजना

*7–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि झांसी, चित्रकूट तथा इलाहाबाद मण्डलों में नदियों की बाढ़ को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

चित्रकूट मण्डल में कैन नदी की बाढ़ से "बांदा नगर" की आबादी को बचाने हेतु एक कार्य योजना बनाई गई है । इसी प्रकार बेतवा–यमुना मुहाने पर स्थित "हमीरपुर शहर सुरक्षा" योजना बनाई गई है ।

झांसी मण्डल में बाढ़ की समस्या नहीं होने के कारण बाढ़ को रोकने के लिए कार्य योजना नहीं बनाई गई है ।

इलाहाबाद में बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के अन्तर्गत तटबंध एवं कटाव निरोधक कार्य पूर्व में निर्मित हैं, जिनसे स्थानीय क्षेत्रों को सीमित सुरक्षा प्राप्त होती है । इलाहाबाद शहर को गंगा नदी से कटाव एवं बाढ़ से बचाव हेतु निम्न योजनाएं बनाई गई हैं :—

(क) इलाहाबाद शहर स्थित सलोनी आबादी क्षेत्र को गंगा नदी की कटाव से सुरक्षा प्रदान करने की योजना ।

(ख) इलाहाबाद शहर में गंगा नदी के दायें किनारे पर द्रोपदी घाट से रसूलाबाद तक तटबन्ध के निर्माण की योजना ।

वर्तमान में वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण, इन योजनाओं को कार्य रूप देना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*8—श्री अजीम भाई–

[2सरे मंगलवार के तारां० प्र० सं०–11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में सामाजिक वानिकी द्वारा प्रदेश में वृक्षारोपण एवं व्यय विवरण

*9—श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001–2002 में सामाजिक वानिकी द्वारा प्रदेश में प्रभाग के अनुसार कितने वृक्ष लगाये गये ? वृक्षारोपण पर उक्त वित्तीय वर्ष में कितना धन व्यय किया गया ? क्या जीवित वृक्षों का प्रतिशत विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से कम है ? यदि हां, तो क्यों ?

वन मंत्री (ठाकुर जयवीर सिंह)–

वर्ष 2001-02 में प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत 147.151 लाख पौध रोपण किया गया। विस्तृत अनुपूरक सूचना संलग्न है।

वृक्षारोपण हेतु उक्त वित्तीय वर्ष में सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत रु० 3592.94 लाख व्यय किया गया।

वर्ष 2001-02 में किये गये वृक्षारोपंण का जीवितता सर्वेक्षण अभी सम्पादित नहीं किया गया है। विभागीय मानक के अनुसार 3 वर्ष बाद वृक्षारोपण का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

*10—श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में नदियों के किनारों को विकसित करने हेतु दियरांचल विकास परिषद् के गठन करने की मांग

*11—श्री राम गोविन्द चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नदियों के किनारों के क्षेत्र जो दियरांचल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, को पूर्ण रूप से विकसित करने हेतु क्या दियरांचल विकास परिषद् का गठन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

दियरांचल विकास परिषद् के गठन का कोई प्रस्ताव सिंचाई विभाग के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

दियरांचल क्षेत्र नदियों का फ्लड प्लेन होने के कारण।

प्रदेश में कृषकों को गेहूं का निर्धारित समर्थन मूल्य

*12—डा० विनोद तिवारी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान वर्ष 2002 में गेहूँ की खरीद हेतु सरकार द्वारा कितना समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है ? क्या यह सही है कि बिचौलियों द्वारा अनियमिततायें एवं भ्रष्ट तरीके अपनाये जाने के कारण कृषकों को समर्थन मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दिशा निर्देश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बाबू राम एम० काम०)–

रबी विपणन वर्ष 2002-2003 में भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु० 620/- प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है।

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह सुनिश्चित किया गया कि बिचौलियों के माध्यम से कोई खरीद न हो इसके लिए प्रभावी कदम उठाये गये। जिला, मण्डल तथा प्रदेश स्तर पर नियमित रूप से गेहूं खरीद की समीक्षा की जाती रही व समय-समय पर क्रय केन्द्रों का निरीक्षण भी किया जाता रहा। किसानों से किसान जोत बही के आधार पर गेहूं खरीद की गयी और भुगतान न्यूनतम समर्थन मूल्य रु० 620/- प्रति कुन्तल के आधार पर चेक द्वारा किया गया।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निजी इंजीनियरिंग कालेजों में एक समान फीस लागू करने सम्बन्धी दिशा निर्देश

*13—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्र सरकार द्वारा निजी इंजीनियरिंग कालेजों में एक समान फीस लागू किये जाने सम्बन्धी जारी निर्देश को राज्य सरकार द्वारा लागू किया जायेगा ? यदि हां, तो कब से लागू किया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

(1) केन्द्र सरकार द्वारा जारी ऐसा कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के किसानों का चीनी मिलों पर बकाया धनराशि का विवरण

*14—श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में प्रदेश के किसानों का चीनी मिलों पर कितने करोड़ रुपये का भुगतान बाकी है उसमें कितने करोड़ रुपया सरकारी मिलों पर बाकी है और कितने करोड़ रुपया निजी सहकारी चीनी मिलों पर बाकी है ? क्या सरकार इस बात की घोषणा करेगी कि जिन किसानों का गन्ने का मूल्य चीनी मिलों पर बकाया है उनसे उतने मूल्य की अन्य राजस्व वसूली की कार्यवाही नहीं की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 2001-02 में दिनांक 6-8-2002 तक चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य बकाया की स्थिति निम्नवत् है :—

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	देय	भुगतान	अवशेष
निगम	438.41	268.10	170.31
सहकारी	819.03	599.45	219.58
निजी	3836.26	3356.57	479.69
योग =	5093.70	4224.12	869.58

इस प्रकार कुल देयता का 82.93 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है व 17.07 प्रतिशत अवशेष है ।

राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 17-7-2002 को यह निर्देश जारी किये गये हैं कि जब तक किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक उनके विरुद्ध विभिन्न देयों, किसानों को प्राप्त होने वाली धनराशि के बराबर या कम है, की वसूली के सन्दर्भ में कोई उत्पीड़क कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरयू नहर परियोजना की लागत एवं व्यय का विवरण

*15—श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरयू नहर परियोजना किस वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ हुई और उस समय इस परियोजना की लागत क्या थी ? उक्त परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है तथा परियोजना का कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ? उक्त परियोजना का शेष कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सरयू नहर परियोजना वर्ष 77-78 में प्रारम्भ हुई थी, जिसकी लागत 1974 के आधार वर्ष पर रु० 78.68 करोड़ थी ।

सरयू नहर परियोजना पर 30-6-2002 तक रु० 1164.66 करोड़ व्यय हो चुका है तथा लगभग 52 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ।

उक्त परियोजना के शेष कार्यों को 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा । यह संसाधनों की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा ।

*16—श्री यशपाल चौधरी–

[1ले गुरुवार में तारां० प्र० सं०–8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमानियां से बहने वाली गंगा नदी के कटान को रोकने की कार्यवाही

*17—श्री कैलाश यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र जमानियां गाजीपुर के बीच से बहने वाली गंगा नदी के कटान के कारण ब्लाक करहां के पुतैना, कसेरा, सतायमुहम्मदपुर तथा ब्लाक जमानियां के बडेसर–चक्का बाँध इत्यादि गांव गंगा नदी की बाढ़ के कटान से अत्यधिक प्रभावित हैं तथा उनका अस्तित्व समाप्त होने वाला है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा गंगा नदी के कटान को रोकने के लिए कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, इन गांवों की आबादी क्षेत्र गंगा नदी की बाढ़ की कटान से प्रभावित नहीं होती है । गांव की कृषि योग्य भूमि कटान से अवश्य प्रभावित होती है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद कानपुर नगर की घाटमपुर शुगर मिल में सकल हानि के कारणों का विवरण

*18—श्री राकेश सचान–

क्या सरकार बतायेगी कि जनपद कानपुर नगर की घाटमपुर सुगर मिल पर 31 मार्च, 2002 तक सकल हानि कितनी है ? उक्त हानि के कारण क्या हैं ? मिल पर किसानों का कितना गन्ना मूल्य बकाया है ? क्या सरकार क्षेत्र के गन्ना किसानों के हित में मिल के पुनर्वास की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

घाटमपुर चीनी मिल का दि० 31-3-2002 तक अनुमानित संचित घाटा रु० 5145.00 लाख है।

मिल के हानि के कारण निम्न हैं :–

(1) मिल की पेराई क्षमता 1250 टी० सी० डी० का होना जो बहुत कम एवं अलाभप्रद है।

(2) क्षेत्र से पेराई क्षमता के अनुरूप गन्ना प्राप्त न होना।

(3) सुदूर क्षेत्रों से गन्ना आपूर्ति होने के कारण गन्ने की ढुलाई में अत्यधिक धन का व्यय होना एवं ड्रायज के कारण चीनी की परता का कुप्रभावित होना।

(4) धन की तरलता न होने के कारण गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न कर पाना।

(5) चीनी उत्पादन लागत में लगातार वृद्धि का होना।

पेराई सत्र 2001-2002 के कुल देय गन्ना मूल्य रु० 813.05 लाख के विरुद्ध 281.50 लाख का भुगतान किया जा चुका है तथा रु० 531.55 लाख का भुगतान अवशेष है।

मिल के निरन्तर अत्यधिक घाटे में होने के कारण बी० आई० एफ० आर० द्वारा मिल को वाइन्डअप करने के आदेश किये गये हैं, जिसका प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मिल के पुनर्वासन की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

*19—श्री काशी राम–

[मा० सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

वर्ष 1999 में सन्तोष कुमार इण्टर कालेज, बेंहदर कला, जनपद हरदोई से हाईस्कूल में नियमित जसकरन रावत का परीक्षाफल एवं प्रमाण-पत्र

1—श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1999 में सन्तोष कुमार इण्टर कालेज, बेंहदर कला, जनपद हरदोई से हाई स्कूल में नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित सभी छात्रों को हाई स्कूल उत्तीर्ण के प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि हां, तो श्री जसकरन रावत, छात्र जिसका अनुक्रमांक 660931 है को हाई स्कूल प्रमाण–पत्र उपलब्ध न कराये जाने का क्या कारण है ? प्रमाण पत्र कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

श्री जसकरन रावत का परीक्षाफल सन्निरीक्षा के उपरान्त फेल से उत्तीर्ण घोषित हुआ था।

छात्र का प्रमाण-पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० के पत्रांक मा० शि०प०/क्षे०का०इ०/हा०प्र०प०/2878. दिनांक 06-08-2002 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के ग्राम डोमघर में बिलारी के नलकूप को चालू कराने सम्बन्धी जानकारी

2—श्री मो० रिजवान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के ग्राम डोमघर में बिलारी नलकूप संख्या 27 विगत दो वर्षों से बन्द है ? यदि हां, तो उक्त नलकूप कब तक चालू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । राजकीय नलकूप संख्या–27 बिलारी, जनवरी, 2000 से फेल होने के कारण बन्द है। राजकीय नलकूप का पुनर्निर्माण जनपद योजना में किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में जनपद योजना में प्राविधान न होने के कारण इस नलकूप का पुनर्निर्माण नहीं किया जा सका है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बरेली के मोहल्ला काजी टोला में स्थित कुंवर बाल विद्या मन्दिर पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा व क्षतिग्रस्त करने पर दोषियों के विरुद्ध जांच तथा कार्यवाही की मांग

3—श्री शहजिल इस्लाम–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के मोहल्ला काजी टोला में स्थित कुंवर बाल विद्या मन्दिर स्कूल पर 5 मई, 2002 को असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा करके उक्त स्कूल की बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित है तथा इस प्रकार के विद्यालयों की सम्पत्ति की सुरक्षा का दायित्व प्रबंधतंत्र का होता है । प्रबन्धक द्वारा भवन क्षतिग्रस्त होने की कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गयी है । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

विद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा प्राथमिकी दर्ज न कराने के कारण ।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण

4—श्री शरदवीर सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड–मिर्जापुर में स्थित ग्राम–पैरानी उत्तर में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण दो कि०मी० दूरी पर स्थित ग्राम कटेला नगला में कराया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार द्वारा ग्राम–पैरानी उत्तर में प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत कर भवन के निर्माण का कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

उक्त ग्राम प्राथमिक विद्यालय से सेवित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

राजधानी लखनऊ में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय

5—कुं० रेवती रमण सिंह–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी लखनऊ में वायु प्रदूषण की स्थिति क्या है ? क्या सरकार की राजधानी में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन, पर्यावरण, आबकारी, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

लखनऊ में विभिन्न स्थलों पर वायुगुणता का अनुश्रवण/जांच की जाती है । लखनऊ शहर की परिवेशीय वायुगुणता की स्थिति निम्नवत् है :—

स्थल श्रेणी	एस० पी० एम० माइक्रोग्राम/मी० 3 स्थिति (मानक)	आर० एस० पी० एम० माइक्रोग्राम मी०- 3 स्थिति (मानक)	एस० ओ० टू माइक्रोग्राम/मी०3 स्थिति (मानक)	एम० ओ० एक्स० माइक्रोग्राम मी०3-स्थिति (मानक)
महानगर (आवासीय क्षेत्र)	371.54 (140)	177.17 (60)	25.62 (60)	29.23 (60)
कपूर होटल (व्यवसायिक क्षेत्र)	348.17 (140)	155.41 (60)	25.53 (60)	30.01 (60)
तालकटोरा (औद्योगिक क्षेत्र)	480.79 (360)	231.83 (120)	29.12 (80)	31.98 (80)

राजधानी में वायु प्रदूषण मुख्यत: वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के कारण होता है । इस संबंध में परिवहन विभाग तथा यातायात पुलिस के सहयोग से उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वाहनों की नियमित जांच कराई जा रही है । इससे वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार होना स्वाभाविक है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० इलाहाबाद के सचिव के कार्यों की जांच कराये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

6—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ०प्र०, इलाहाबाद के सचिव को हटाने एवं उनके कार्यों की जांच कराये जाने सम्बन्धी माननीय दया राम प्रजापति, एम०एल०सी० का पत्र दिनांक 19–3–2001 जो मा० मुख्य मंत्री उ०प्र० को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद अजुध्या शुगर मिल राजा का सहसपुर बिलासी पर किसानों व मजदूरों के बकाया धन अदायगी के सम्बन्ध में कार्यवाही

7–मो० रिजवान–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अजुध्या शुगर मिल राजा का सहसपुर बिलासी जिला मुरादाबाद पर किसानों व मजदूरों का लगभग बारह करोड़ रुपया बकाया है और मिल बन्द हो गई है ? क्या सरकार गन्ना मूल्य अदायगी के लिए कोई कार्य योजना बना रही है । यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अजुध्या शुगर मिल राजा का सहसपुर बिलारी, जिला–मुरादाबाद वर्ष 1999-2000 में 5-1-2000 से 31-1-2000 तक चली । उसके बाद से अब तक बन्द चल रही है । उक्त मिल पर वर्ष 98-99 का अंकन 468.80 लाख रुपया एवं 99-2000 का 153.00 लाख रुपया कुल अंकन रु० 621.80 लाख रुपया गन्ना मूल्य बकाया है । विलम्बित अवधि के 15 प्रतिशत ब्याज की गणना पर 256.80 लाख रुपया ब्याज देय हुआ जिसे सम्मिलित करते हुए चीनी मिल पर 878.66 लाख रुपया अवशेष है ।

इस चीनी मिल पर श्रमिकों का बकाया अंकन रु० 235.91 लाख रुपया अवशेष है ।

अवशेष गन्ना मूल्य की वसूली हेतु गन्ना आयुक्त के पत्र दिनांक 4-9-1999 द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया । जिलाधिकारी, मुरादाबाद ने उक्त वसूली प्रमाण-पत्र क्रियान्वयन प्रक्रिया में मिल गोदाम, आवासीय भवन, दिनांक 8-9-1999 को कुर्क कर लिये । उक्त कार्यवाही के विरुद्ध दिनांक 17-9-1999 को बी० आई० एफ० आर० ने स्थगन आदेश जारी किया तथा धारा–22 (ए) के अन्तर्गत कम्पनी के विरुद्ध समस्त उत्पीड़न कार्यवाही रोकने के निर्देश दिये । बी० आई० एफ० आर० के समक्ष प्रस्तुत होकर दिनांक 31-3-2000 को वसूली के स्थगन समाप्त करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु बी० आई० एफ० आर० ने अपने आदेश दिनांक 27-3-2000 द्वारा उ० प्र० शासन, गन्ना आयुक्त एवं राजस्व प्रशासन को निर्देशित किया है कि मिल के विरुद्ध कोई उत्पीड़न कार्यवाही न की जाये । अब बी० आई० एफ० आर० द्वारा दिनांक 27-2-2000 को मिल के बाइन्ड-अप के निर्देश दिये गये । गन्ना मूल्य अवशेष की वसूली हेतु पुनः गन्ना आयुक्त के पत्रांक 436-39, 440-44, 445-49 दिनांक 4-6-2002 द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र जारी करके जिलाधिकारी, मुरादाबाद को उपलब्ध कराया गया है। जिलाधिकारी के स्तर से वसूली कार्यवाही प्रक्रिया में है तथा मिल की सम्पत्तियों को नीलाम करने हेतु दिनांक 9-8-2002 नियत की गयी है ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

जनपद एटा एवं फर्रुखाबाद की बूढ़ी गंगा की सफाई एवं नहरीकरण के कार्य योजना की जानकारी

8–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा एवं फर्रुखाबाद में बहने वाली बूढ़ी गंगा की प्रस्तावित सफाई एवं नहरीकरण योजना में वर्ष 1997–98 में कितना धन अवमुक्त किया गया तथा कितना खर्च किया गया ? क्या वित्तीय वर्ष 2002–2003 में बूढ़ी गंगा की सफाई एवं नहरीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1997-98 में कोई धन अवमुक्त नहीं हुआ ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती हनीफा खातून, कार्यानुभव शिक्षिका–प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दर्जी कुआं, जनपद गोण्डा से सेवानिवृत्ति के उपरान्त उनके नकदीकरण का भुगतान करने की मांग

9–मो० रिजवान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती हनीफा खातून, कार्यानुभव शिक्षिका–प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दर्जी कुँआ, जनपद–गोण्डा से दिनांक 30 जून, 1998 को सेवानिवृत्त हो चुकी हैं ? क्या सेवानिवृत्ति के उपरान्त इनके नकदीकरण का भुगतान अब तक नहीं किया है ? यदि हां, तो इनके नकदीकरण का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

श्रीमती हनीफा खातून कार्यानुभव शिक्षिका, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, दर्जी कुआं, गोण्डा के अवकाश नकदीकरण दि० 30-7-02 को स्वीकृत कर दिया गया है ।

जनपद बांदा में गौसीपुर माइनर चिल्ला पम्प कैनाल को समाप्त कर विधायक निधि से सड़क बनवाने सम्बन्धी मुख्य विकास अधिकारी, बांदा को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

10—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में गौसीपुर माइनर चिल्ला पम्प कैनाल को समाप्त कर विधायक निधि से वर्ष 2000–2001 में सड़क बना दी गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों द्वारा 3–10–2001 को मुख्य विकास अधिकारी बांदा को शिकायत-पत्र दिया गया था जिसमें अधिशाषी अभियन्ता लघु डाल नहर को कार्यवाही करने हेतु लिखा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मदनपुर पम्प नहर की गौसीपुर की लम्बाई 2.750 कि०मी० है । इसमें ग्राम पंचायत लौमर के मजरे शादीपुर के पास 1.850 कि०मी० से 2.200 कि०मी० तक कुल 350 मीटर लम्बाई में कच्ची सड़क बनायी गयी है ।

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल नहर खण्ड, बांदा द्वारा निरीक्षण कर जांच आख्या मुख्य विकास अधिकारी, बांदा को पत्रांक–654, दिनांक 19-4-2002 द्वारा प्रेषित की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के कतिपय गांवों में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग

11—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा गांवों महवरा, नरायढ़ कुटी डेरा अमारा, हरवंशपुरवा मजरा सिन्धनकला, झंझरीपुरवा (कन्या प्राथमिक विद्यालय) चौकीपुरवा मजरा डांडामऊ

क्योटरा (सिकहुला) गलौली, पैलानी डेरा, वंशी डेरा (नरी) शिवपाल डेरा (खष्टिहा कला) रेहुटा, कुकुवा खास, पथरी, खैराडा महेदू में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद बांदा में मानक के अनुसार चिन्हित असेवित बस्तियों में वर्ष 2007 तक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बांदा के कतिपय मजरों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में जानकारी

12—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के काशीपुर मजरा दुरेड़ी, बैजू डेरा मजरा कनवासा पहडिया डेरा मजरा भूरागढ़ ब्लाक बडोखरखुर्द व ब्लाक जसपुरा के मथुरापुरी मजरा नांदादेव, पडवनिया डेरामजरा गडरिया, बजरंगी डेरा मजरा नरायढ़, खेवहा डेरा मजरा महवरा, मनुवा डेरा मजरा बरेहटा, खैताडेरा मजरा अमारा, पदोहरापार क्योटरा मजरा पैलानी व तिन्दवारी ब्लाक के चिपटेहरा डेरा मजरा नरी व बहादुर का डेरा मजरा तारा जिसकी आबादी 250–250 से अधिक है में प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । सम्बन्धित मजरे प्राथमिक विद्यालय खोलने के मानक के अन्तर्गत नहीं आते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद वाराणसी के क्षेत्रीय कार्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् का कर्मचारियों के चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

13—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय कार्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् वाराणसी का पत्र संख्या 532 दिनांक 29–10–2001 जो कर्मचारियों के चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में है शासन को प्राप्त हुआ है यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

किन्तु संदर्भित पत्र क्षेत्रीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, वाराणसी का न होकर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद का है ।

नियमों में आच्छादित न होने के कारण प्रश्नगत अवधि का आवेदित चिकित्सा अवकाश अस्वीकृत कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर में ग्राम महगू खेड़ा, ब्लाक लखीमपुर में जू० हा० स्कूल के भवन निर्माण की मांग

14—डा० कौशल किशोर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम महगू खेड़ा, ब्लाक लखीमपुर, जनपद लखीमपुर में जू०हा० स्कूल स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या उस विद्यालय के भवन का निर्माण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भवन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में नियुक्त शिक्षकों की संख्या एवं शिक्षा ग्रहण कर रहे विभिन्न जातियों के छात्रों की संख्या

15—डा० कौशल किशोर–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में कुल कितने शिक्षक नियुक्त हैं ? उक्त संस्कृत विश्वविद्यालय में कितने छात्र शिक्षा पा रहे हैं ? उनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के कितने छात्र शिक्षा पा रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में कुल 83 शिक्षक नियुक्त हैं।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में 1261 छात्र शिक्षा पा रहे हैं।

उनमें से अनुसूचित जाति के 116 छात्र, अनुसूचित जनजाति के 05 छात्र, अन्य पिछड़ा वर्ग 196 छात्र तथा अल्पसंख्यक वर्ग के 08 छात्र शिक्षा पा रहे हैं।

16—श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

[3सरे सोमवार में अतारां० प्र० सं०–55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई के कस्बा बिलग्राम में राजकीय बालिका हाई स्कूल विद्यालय का भवन निर्माण

17—श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के कस्बा बिलग्राम में राजकीय बालिका हाई स्कूल किराये के जर्जर भवन में संचालित किया जा रहा है ? सरकार उक्त विद्यालय भवन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

पुराने तहसील भवन का विद्यालय के उपयोग हेतु हस्तान्तरित करने के लिए राजस्व विभाग से अनुरोध किया गया है।

जनपद हरदोई, विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम में वनरोज (नीलगाय) द्वारा फसलों के नुकसान की रोकथाम के उपाय

18–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के 74 बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में वनरोज (नीलगाय) किसानों की हजारों एकड़ फसल नष्ट कर देती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई कदम उठाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह–

वनरोजों (नीलगायों) द्वारा कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाये जाने की सम्भावना प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में पायी जाती है।

कृषि फसलों को क्षति पहुंचाने वाले उत्पाती वनरोजों (नीलगायों) से कृषकों को होने वाली क्षति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समस्त जिलाधिकारियों/उप जिलाधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों को, इनके आखेट हेतु वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत अपनी-अपनी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर अनुज्ञा जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस प्रकार प्रभावित कृषक, उत्पाती वनरोजों (नीलगायों) के आखेट हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त से स्थिति स्पष्ट है।

भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित मिडडे मील योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित विद्यालयों को मध्याह्न भोजन

19—कुं० रेवती रमण सिंह तथा डा० अशोक बाजपेयी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित मिडडे मील योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कितने जनपदों में बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है ? यह सही है कि उक्त योजना में चयनित विद्यालयों के बच्चों को मध्याह्न भोजन वितरित नहीं किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां, मध्याह्न भोजन किसी भी जनपद में नहीं वितरित किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जनपदों में प्रत्येक छात्र को 3 किग्रा० खाद्यान्न विद्यालयों में 80 प्रतिशत उपस्थिति होने पर उपलब्ध कराया जाता है।

जी हां।

पका-पकाया भोजन देने पर अनावर्तक व्यय रु० 683.91 करोड़ प्रति वर्ष आवर्तक व्यय रु० 644.29 करोड़ अनुमानित है। आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

जनपद हरदोई के कस्बा सांडी में रोडवेज का बस स्टैण्ड

20–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के कस्बा सांडी में रोडवेज का बस स्टैण्ड व बुकिंग कार्यालय तथा बसें खड़ी करने का स्थान था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बस स्टैण्ड एवं बुकिंग कार्यालय खोले जाने पर विचार करेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

बस स्टैण्ड एवं बुकिंग कार्यालय से सम्बन्धित भवन का विवाद मा० न्यायालय में विचाराधीन है। बुकिंग कार्यालय पुनः खोलने की परिवहन निगम की नीति नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर की विकास खण्ड जलालाबाद में स्थित ग्राम ज्ञानपुर के प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण में की गयी धांधली एवं प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

21–श्री शरदवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–शाहजहाँपुर की विकास खण्ड जलालाबाद में स्थित ग्राम–ज्ञानपुर के नवनिर्मित प्राथमिक विद्यालय भवन में की गई धांधली की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 03–05–2002 जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर के मांध्यम से मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहाँपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

मुख्य विकास अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को परिषद् के नियंत्रण में सुरक्षित रखने के प्राविधान की जानकारी

22–श्री राधेश्याम–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि परीक्षा प्रक्रिया के समाप्ति के उपरान्त हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं या सन्निरीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं को कितने वर्षों तक परिषद् के नियंत्रण में सुरक्षित रखने का प्राविधान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित किया है ? क्या उसका अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

राजाज्ञा संख्या–1047 जी दिनांक 12 जुलाई, 1937 के अनुसार परीक्षणोपरान्त छः माह तक अथवा सन्निरीक्षा की समाप्ति तक उत्तर पुस्तिकाओं को रखने का प्राविधान है।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज एवं बेवर के बरसाती नालों की सफाई

23–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज एवं बेवर में कितने बरसाती नाले हैं ? क्या उन नालों की सफाई/झराई विगत 3 वर्षों में करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनकी सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज में 8 एवं बेवर में 7 बरसाती नाले (कुल 15 नाले) हैं।

जी नहीं।

वर्तमान में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से केवल ट्रंक ड्रेनों की ही सफाई करायी जा रही है तथा यह नाले ट्रंक ड्रेन की श्रेणी में नहीं आते हैं।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में नियुक्त विषय विशेषज्ञों की सेवा शर्तें

24–कुं० रेवती रमण सिंह, डा० अशोक बाजपेयी तथा श्री राम किशुन–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में नियुक्त विषय विशेषज्ञों की सेवा शर्तें क्या हैं तथा इन्हे कितना मानदेय दिया जा रहा है ? क्या निकट भविष्य में विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कोई सेवा शर्तें नहीं हैं।

विषय विशेषज्ञों को निश्चित मानदेय रु० 5,000/- प्रतिमाह दिया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई बिलग्राम, सांडी वाया जरौली नेवादा मार्ग पर सरकारी रोडवेज की बसें चलाये जाने की मांग

25–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई बिलग्राम सांडी वाया जरौली नेवादा मार्गों पर क्या सरकार रोडवेज की बसें चलाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्नगत सम्पूर्ण मार्ग अराष्ट्रीयकृत हैं। वर्तमान नीति के अनुसार निगम की सेवाओं का विस्तार अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर नहीं किया जाना है।

जनपद हरदोई के 74, बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र के भिंडारी रजवाहा तथा उससे निकलने वाली टेरिया माइनरों की सफाई

26–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के 74, बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र के भिंडारी रजवाहा तथा उससे निकलने वाली टेरिया माइनर, रंडेना ककेडी माइनर, कुतुसारपुर माइनर की सफाई न होने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है ? क्या यह सही है कि इस कारण किसानों की हजारों एकड़ भूमि असिंचित रह जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी रजवाहा व माइनरों की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

74 बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में पिंडारी राजवाहा नाम की कोई राजवाहा तथा कुतुसारपुर नाम की कोई माइनर नहीं है। इस विधान सभा क्षेत्र में तिरिया माइनर, रण्डेना माइनर है जो बिलग्राम राजवाहे से तथा ककेटी माइनर हरदोई शाखा से निकलती है। इन माइनरों की टेल पर पानी पहुंचा है।

जी नहीं।

सीमित संसाधनों के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार नहरों की सफाई कराई जाती है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश में शीशम के अधिकांश पेड़ सूखने एवं उसके रोकथाम के उपाय

27–डा० कौशल किशोर–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में शीशम के अधिकांश पेड़ सूखते जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पेड़ सूखने के कारणों का कोई सर्वे कराया है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु सरकार ने क्या कोई उपाय किये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह–

जी हां ।

शीशम के वृक्षों के सूखने का अध्ययन वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून तथा अनुसंधान शाखा, वन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है । प्रारम्भिक रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि बिल्ट रोग तथा रूटराट रोग के कारण ऐसा हो रहा है ।

यह समस्या मुख्यतः उत्तरी भारत (बिहार, पंजाब, हरियाणा तथा उ० प्र०) की होने के कारण इस विषय पर विस्तृत अध्ययन भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून द्वारा किया जा रहा है । उनके द्वारा रोकथाम हेतु सुझाई गई उपचारात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर में ओयल खानपुर गुरेला मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

28–डा० कौशल किशोर–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर में ओयल खानपुर गुरेला मार्ग जो गन्ना विभाग द्वारा बनाया गया था क्षतिग्रस्त हो गया है ? क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत का कार्य गन्ना विकास परिषद् कराती है । वर्तमान में सम्बन्धित विकास परिषद् के पास धनाभाव के कारण मरम्मत कराया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर के गेटा सिंह गन्ना प्रजनन अनुसंधान सेवरही में निदेशक की नियुक्ति का विवरण

29—डा० पी० के० राय–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गेटा सिंह गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान, सेवरही, जनपद कुशीनगर को संस्थान का दर्जा दे दिया गया ? यदि हां, तो उक्त संस्थान में निदेशक की नियुक्ति करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

उ० प्र० गन्ना शोध परिषद् के कार्य को प्रशासनिक दृष्टिकोण, मितव्ययितापूर्वक एवं सुचारु रूप से संचालित करने के लिए केवल एक निदेशक, उ० प्र० गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर तथा दो अपर निदेशक, के पद क्रमशः गन्ना शोध संस्थान, शाहजहांपुर एवं गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान, सेवरही–कुशीनगर हेतु स्वीकृत हैं।

उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत की प्रबन्ध समिति द्वारा कार्यवाहक प्राचार्य आर० एस० मिश्रा व उनकी पत्नी को एकाउन्टेन्ट एवं समिति का सदस्य बनाने का प्रकरण

30–श्री रियाज अहमद–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत की प्रबन्ध समिति द्वारा कार्यवाहक प्राचार्य आर० एस० मिश्रा व उनकी पत्नी को क्रमशः एकाउन्टेन्ट एवं समिति का सदस्य बनाया गया है ; यदि हां, तो क्यों ? क्या इस अनियमितता की जांच कराकर कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

अनियमितता नहीं है।

उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत में स्थायी प्राचार्य के पद का कार्यभार

31–श्री रियाज अहमद–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत में स्थायी प्रधानाचार्य का पद रिक्त होने के कारण वरिष्ठतम् प्रवक्ता को कार्यभार न देकर विगत दो वर्षों से कनिष्ठतम् प्रवक्ता डा० आर० एस० मिश्रा को प्राचार्य का कार्यभार दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

इस अनियमितता को दूर करने के लिए कुलसचिव, एम० जे० पी० रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली तथा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली को निदेशालय के पत्रांक : डिग्री अर्थ-1/19559/2002-03, दिनांक 03-08-2002 द्वारा निदेशित किया गया है।

उपाधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पीलीभीत में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की जांच

32–श्री रियाज अहमद–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि एम०जे०पी०रूहेल खण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से सम्बद्ध उपाधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पीलीभीत में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की जांच तत्कालीन मुख्य मंत्री के सचिव, आलोक रंजन आई०ए०एस० के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद द्वारा 1997-98 में करायी गई थी ? क्या यह सही है कि आरोपों के प्रमाणित होने पर महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को भंग करने का नोटिस तत्कालीन शिक्षा निदेशक, बरेली मण्डल द्वारा महाविद्यालय को दिया गया ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

33–श्री पारस नाथ यादव–

[3सरे शुक्रवार के अता० प्र० सं०–110 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) श्री जय प्रकाश की वर्तमान तैनाती

34—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह तथा श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई अनुभाग–6 के अर्ध० शा० पत्र सं०–102/मंत्री/98-27-सिं०–6-122/97 दिनांक 3 अगस्त, 1998 द्वारा कुल 7 अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ताओं को प्रशासनिक दृष्टिकोण से सामान्य प्रतिबन्धित सेवा के अतिरिक्त अकार्यकारी स्थान/खण्ड/उपखण्ड में तैनात किये जाने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त आदेश के क्रम संख्या–4 पर अंकित श्री जयप्रकाश, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) को पूर्व स्थान पर यथावत् रखे जाने का औचित्य क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिं० -

जी हां ।

श्री जय प्रकाश, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) वर्तमान में रिहन्द बांध सिविल खण्ड, पिपरी में सम्बद्ध पद पर तैनात हैं ।

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से गेहूं खरीद का बकाया मूल्य

35–कुं० रेवती रमण सिंह तथा डा० अशोक बाजपेयी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं खरीद का कुल कितना लक्ष्य चालू वर्ष के लिये निर्धारित किया गया है ? कुल कितनी खरीद अब तक की जा चुकी है ? क्या किसानों से क्रय किये गये गेहूं के बकाया मूल्य का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम० कम०–

रबी खरीद वर्ष 2002-2003 में गेहूं खरीद का कुल कार्यकारी लक्ष्य सरकार द्वारा 25.00 लाख मी० टन निर्धारित किया गया है ।

कुल 2110424 मी० टन गेहूं की खरीद की गयी है ।

खरीदे गये गेहूं से संबंधित देय धनराशि रु० 1308.46 करोड़ के सापेक्ष रु० 1306.38 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को कर दिया गया है । केवल पी० सी० एफ० का 2.08 करोड़ अवशेष है ।

जनपद शाहजहांपुर में पी० सी० एफ० द्वारा क्रय किये गये गेहूं की कुछ मात्रा विवादित होने के कारण मण्डलायुक्त द्वारा भुगतान रोकने के निर्देश दिये गये थे, जिसकी जांच चल रही है ।

जनपद हरदोई से बिलग्राम वाया सांडी मार्ग पर बसों का संचालन

36–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई से बिलग्राम वाया सां की बसों के परमिट दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर बसों का संचालन यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

जी नहीं।

हरदोई से बिलग्राम वाया सांडी मार्ग में दुर्गागंज से बिलग्राम तक 7 किमी० मार्गांश अराष्ट्रीयकृत है और वर्तमान नीति के अनुसार निगम की सेवाओं का विस्तार अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर नहीं किया जाना है।

जनपद सिद्धार्थनगर शोहरतगढ़ में चीनी मिल का निर्माण

37–श्री श्याम नारायन तथा श्री दिनेश सिंह–

क्या चीनी उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थनगर (शोहरतगढ़) में चीनी मिल स्थापित किये जाने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद सिद्धार्थनगर (शोहरतगढ़) में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994 में आशय-पत्र जारी किया गया था। उद्यमी द्वारा रुचि न लेने के कारण इसकी वैधता अवधि 28-2-98 को समाप्त हो गई वर्तमान नीति के अन्तर्गत आशय पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में शैक्षिक वर्ष 2001-2002 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूलों को छात्रवृत्ति एवं श्री बैजनाथ दुबे, स०, वि० स० के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

38–श्री देवकी नन्दन कोरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद लखनऊ में शैक्षिक वर्ष 2001-2002 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किन-किन प्राथमिक/जूनियर हाई स्कूलों को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति आवंटित की गयी है ? क्या उक्त छात्रवृत्ति का छात्रों में वितरण सुनिश्चित करा लिया गया है ? क्या इसी सम्बन्ध में श्री बैजनाथ दुबे, स०,वि०स० का शिकायती-पत्र सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन को दिनांक 27-3-2002 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वित्तीय वर्ष 2001-02 में जनपद लखनऊ में निम्नानुसार अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का आवंटन किया गया है :—

1–प्राथमिक विद्यालयों की संख्या–407, आवंटित धनराशि रु० 44.16 लाख।

2–जूनियर हाई स्कूलों की संख्या–69, आवंटित धनराशि रु० 5.80 लाख।

वर्ष 2001-02 में जनपद लखनऊ को अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हेतु आवंटित धनराशि रु० 49.96 लाख के विरुद्ध रु० 7.96 लाख की धनराशि छात्र/छात्राओं को वितरित किये जाने के उपभोग की पुष्टि हुई है, अवशेष धनराशि के संबंध में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण से सूचना प्राप्त की जा रही है।

श्री बैजनाथ दुबे, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 27-3-2002 शासन में प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्यवाही विचाराधीन है।

जनपद पीलीभीत में कार्यरत डिस्टिलरी फैक्ट्री मझौला द्वारा गन्दा पानी खखरा नदी में डाले जाने से उत्पन्न प्रदूषण

39–श्री रियाज अहमद–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जनपद पीलीभीत में कार्यरत डिस्ट्रिलरी फैक्ट्री मझौला द्वारा गन्दा पानी खखरा नदी में डाला जा रहा है, जिससे नदी का सारा जल प्रदूषित हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी रोकथाम हेतु क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां ।

प्रश्नगत उद्योग में औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु प्राथमिक व द्वितीय चरण का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है परन्तु वह उत्प्रवाह को बोर्ड मानक के अनुरूप शुद्ध करने में सक्षम नहीं है । इसलिए बोर्ड द्वारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत उद्योग की सहमति वर्ष 2002 हेतु अस्वीकार की जा चुकी है तथा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस भेजा गया है । प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० कोआपरेटिव शुगर फेड० राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ द्वारा उद्योग में बायो कम्पोस्टिंग आधारित तृतीय चरण का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र निर्मित करने हेतु 6 माह का समय मांगा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन द्वारा विश्वविद्यालय की तत्कालीन कुलपति डा० वीना शाह द्वारा उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं व छात्रों से कथित अवैध धन उगाही के प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी

40–श्री रियाज अहमद–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा वर्ष 1997-98 में विश्वविद्यालय की तत्कालीन कुलपति डा० वीना शाह को आदेशित किया गया था कि उपाधि महाविद्यालय पीलीभीत में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं व छात्रों से अवैध धन उगाही के रूप में 100/- रु० प्रति छात्र की दर से लिये जाने व उपाधि महाविद्यालय पीलीभीत की प्रबन्ध समिति के नियम विरुद्ध कार्यों तथा आर्थिक अनियमितताओं की जांच एक तीन सदस्यीय जांच दल द्वारा करवायी थी ? क्या यह भी सही है कि जांच के उपरान्त प्रबन्ध तंत्र समाप्त कर नियंत्रक बैठाने की सिफारिश तत्कालीन कुलपति द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा से की गयी ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के हरपालपुर सांडी बिलग्राम के राजकीय ट्यूबवेल पुनः अधिशासी अभियन्ता हरदोई के नियंत्रण में करने की जानकारी

41–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995 में हरदोई जनपद के सभी राजकीय ट्यूबवेल हरदोई के अधिशासी अभियन्ता के नियंत्रण में थे परन्तु वर्तमान समय में हरपालपुर सांडी

बिलग्राम माधोगंज मल्लावा, के राजकीय ट्यूबवेल के रख-रखाव का नियंत्रण अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव के नियंत्रण में कर दिया गया है जिससे किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः हरदोई जिले के सभी ट्यूबवेलों का नियंत्रण अधिशासी अभियन्ता हरदोई के नियंत्रण में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नलकूप खण्ड, हरदोई के नियंत्रणाधीन 337 तथा नलकूप खण्ड, शाहाबाद के नियंत्रणाधीन 263 नलकूप थे । इस प्रकार जनपद हरदोई में कुल 600 नलकूप थे और नलकूप खण्ड, उन्नाव के नियंत्रणाधीन 166 नलकूप थे । वर्ष 1999 में किये गये पुनर्गठन के उपरान्त नलकूपों के सुविधाजनक संचालन व कार्यभार में संतुलन रखने तथा प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण के उद्देश्य से बिलग्राम तहसील के प्रसंगगत विकास खण्डों के 146 नलकूप नलकूप खण्ड, उन्नाव के नियंत्रणाधीन किये गये हैं । उक्त क्षेत्र के किसानों की नलकूपों से सम्बन्धित समस्याओं के तत्परतापूर्वक समाधान की व्यवस्था क्षेत्र में ही सुलभ कराने के लिए सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता एवं मिस्त्री आदि स्टाफ जनपद हरदोई के सम्बन्धित क्षेत्रों में ही पूर्ववत् तैनात हैं । ऐसी स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्रों के कृषकों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के तहसील सिकन्दरपुर और बांसडीह में प्राथमिक विद्यालय तथा जू० हाई स्कूल के भवन निर्माण की जानकारी

42–श्री जियाउद्दीन रिजवी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के तहसील सिकन्दरपुर और बांसडीह में स्थित प्राथमिक विद्यालय तथा जू०हाई० स्कूल भवन विहीन हैं ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय के भवनों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर में कोई प्राथमिक विद्यालय भवनहीन नहीं है । तहसील बांसडीह के विकास खण्ड मनियर में स्थित प्राथमिक विद्यालय चक्की दियर भवन विहीन है ।

तहसील सिकन्दरपुर एवं बांसडीह में कोई भी जूनियर हाई स्कूल भवन विहीन नहीं है ।

भूमि उपलब्ध होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फैजाबाद, विकास खण्ड मिल्कीपुर, ग्राम तरौली (तारडीह) के स्थान पर विद्यालय के भवन का निर्माण न कराये जाने पर शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

43–श्री आनन्द सेन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 17-5-2002 जो ग्राम तरौली (तारडीह) विकास खण्ड मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद में स्वीकृत विद्यालय के भवन का निर्माण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ग्राम तरौली में न कराकर इसी ग्राम में कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रकरण की जांच करायी गयी जिसमें पाया गया कि जिला बेसिक शिक्षा समिति, फैजाबाद की बैठक दिनांक 15-12-2001 में सर्वसम्मति से पारित निर्णय के अनुसार प्रश्नगत विद्यालय भवन का निर्माण ग्राम तरौली (तारडीह) के स्थान पर ग्राम गढ़ा विकास खण्ड मिल्कीपुर में किये जाने का निर्णय लिया गया था किन्तु उक्त निर्णय के विरुद्ध ग्राम प्रधान तरौली (तारडीह) श्रीमती नीलम द्वारा मा० उच्च न्यायालय में योजित की गयी एक रिट याचिका सं०–3099/एस०एस०/2001 में पारित स्थगन आदेश के पश्चात् ग्राम गढ़ा में विद्यालय भवन का निर्माण अवरुद्ध है तथा प्रकरण अद्यतन मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के श्री सुरेन्द्र पाल सिंह के बी० टी० सी० प्रशिक्षण का परीक्षाफल विलम्ब से निकालने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

44–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुरेन्द्र पाल सिंह जो वर्ष 1966-67 में राजकीय दीक्षा विद्यालय, मैनपुरी में बी०टी०सी० प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे का परीक्षाफल वर्ष 2000 में घोषित किया गया था ? यदि हां, तो इस विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह वर्ष 1966-67 में राजकीय दीक्षा विद्यालय, मैनपुरी में बी० टी० सी० के छात्राध्यापक थे, उन्हें अनुशासनहीनता के कारण विद्यालय से निष्कासित किया गया था । प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में चलते रहने के कारण लम्बित रहा जिसके कारण परीक्षाफल विलम्ब से घोषित किया गया।

जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद मैनपुरी, बेवर ब्रांच की नहर पटरी पर छाछा आलीपुर खेड़ा मार्ग का अधूरे कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में जानकारी

45–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि छाछा आलीपुर खेड़ा मार्ग से बेवर ब्रांच मैनपुरी की नहर पटरी पर 15 कि०मी० मार्ग पेन्टिंग स्तर तक वर्ष 1999-2000 में सिंचाई विभाग से स्वीकृत हुआ था ? क्या यह सही है कि उक्त पटरी पर आधा कार्य कराया गया है ? शेष कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अधूरे काम को पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1998-99 में स्वीकृत हुआ था ।

उक्त पटरी पर सीलिंग कोट एवं इण्टर कोट का कार्य पूर्ण है । टाप कोट कुटाई का कार्य 14.93 कि०मी० में पूर्ण कराया जा चुका है । प्रथम सतह लेपन का कार्य 8.65 कि०मी० लम्बाई में एवं द्वितीय सतह लेपन का कार्य 8.15 कि०मी० लम्बाई में पूर्ण किया जा चुका है ।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रदेश के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में एल० टी० वेतनमान में कार्यरत शिक्षकों की प्रोन्नति संबंधी प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

46–डा० वकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगी कि प्रदेश के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में एल०टी० वेतनमान में कार्यरत, शिक्षकों की प्रोन्नति संबंधी कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 08-02-99 को निरस्त करने हेतु श्री वी०एस० श्रीवास्तव, प्रान्तीय प्रवक्ता, राजकीय शिक्षक संघ, उ० प्र० का फैक्स से प्रेषित-पत्र दिनांक 05-08-2001 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

जनपद बहराइच के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के माह अप्रैल, 2002 के वेतन की तिथि एवं विलम्ब से किये गये भुगतान के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

47–डा० वकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को माह अप्रैल, 02 का वेतन किस तिथि में दिया गया ? वेतन भुगतान में हुये विलम्ब के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शासनादेश संख्या–807, दिनांक 16 मई, 2002 द्वारा स्वीकृत बजट निदेशालय में दिनांक 18 मई, 2002 को प्राप्त होने के उपरान्त जनपद बहराइच को वेतन की धनराशि दिनांक 25 मई, 2002 को आवंटित की गयी थी ।

वेतन भुगतान में कोई विलम्ब न होने के कारण किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच के राजकीय इण्टर कालेज के शिक्षकों/कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान

48–डा० वकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय इण्टर कालेज बहराइच के शिक्षकों/कर्मचारियों को सतत् पत्राचार योजना सन् 1999-2000 एवं 2000-2001 के पारिश्रमिक का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो प्रश्नगत पारिश्रमिक का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

पारिश्रमिक की वास्तविक देनदारियों की आडिट आख्या लेखाधिकारी कार्यालय संयुक्त शिक्षा निदेशक फैजाबाद/देवीपाटन से प्राप्त नहीं हुई है । आडिट आख्या प्राप्त होने के उपरान्त प्राप्त संस्तुति के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

प्रदेश के राजकीय इण्टर कालेजों में प्रवक्ता वेतनक्रम के पदोन्नति कोटे के पदों को भरे जाने की जानकारी

49–श्री उदयराज–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय इण्टर कालेजों में प्रवक्ता वेतनक्रम के पदोन्नति कोटे के कुल कितने पद किस तिथि से रिक्त हैं तथा उन्हें भरने के लिये शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रदेश के राजकीय इण्टर कालेजों में प्रवक्ता वेतनक्रम के पदोन्नति कोटे के वर्तमान में कुल 272 पद रिक्त हैं जिनमें से 108 पद वर्ष 1994 से, 76 पद 1995 से 1998 के मध्य एवं 88 पद 1999 से अब तक रिक्त हुए हैं।

उक्त पदों में से पात्र एवं अर्ह शिक्षकों के अभाव में 272 पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों के सापेक्ष मात्र 179 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को दिनांक 5-12-2001 को प्रेषित किया गया है।

जनपद हरदोई से सिमरिया महितापुर आदि मार्गों पर रोडवेज की बसें चलाये जाने की जानकारी

50–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई से सिमरिया महितापुर वाया टिलिया घटवास तथा हरदोई से भीमऊ वाया चौसार व हरदोई से बड़ागांव वाया खरगपुर मार्गों पर रोडवेज की बसें चलाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

हरदोई से सिमरिया वाया टिलिया–घटवास के 53 किमी० मार्ग में से 33 किमी० अराष्ट्रीयकृत मार्ग, हरदोई से महितापुर वाया टिलिया–रियाया 54.5 किमी० मार्ग में से 34.5 किमी० अराष्ट्रीयकृत, हरदोई से श्रीमऊ वाया टिलिया–चौसार 65 किमी० मार्ग में से 45 किमी० अराष्ट्रीयकृत तथा हरदोई से बड़ागांव वाया खरगपुर 57 किमी० मार्ग में से 37 किमी० अराष्ट्रीयकृत हैं। शासन की नीति के अनुसार अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम सेवाओं का विस्तार नहीं किया जाना है।

जनपद जौनपुर के मड़ियाहूं विधान सभा क्षेत्र में जलभराव की समस्या

51–श्री पारस नाथ यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के मड़ियाहूं विधान सभा क्षेत्र में निचली भूमि होने के कारण जलभराव की समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो जल निकासी हेतु सबसे लम्बी ड्रेन जिसकी लम्बाई 27 कि०मी० है की खुदाई एवं सफाई हेतु बाढ़ सहायता कोष से धन आवंटित करेंगे यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

सिंचाई विभाग में बाढ़ सहायता कोष नहीं है। अतः कोष से धन उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के तहसील सिकन्दरपुर अन्तर्गत कतिपय गांवों को बाढ़ की कटान से बचाने हेतु योजना की जानकारी

52–श्री जियाउद्दीन रिजवी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि घाघरा नदी के कटान से जनपद बलिया के तहसील सिकन्दरपुर अन्तर्गत ग्राम डूहा, बालखण्डी आश्रम, मौनीबाबा का आश्रम तथा कठौड़ा जंगलीबाबा आश्रम प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में कटान होने से विलीन होने का खतरा बना रहता है ? क्या सरकार उक्त गांवों को बाढ़ के कटान से बचाने हेतु कोई कारगर योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । बलिया जनपद के सिकन्दरपुर तहसील के अन्तर्गत घाघरा नदी ग्राम डूहा, मौनी बाबा का आश्रम, कथौड़ा व जंगली बाबा से सटकर बह रही है । परन्तु वर्तमान समय में बाढ़ के कटान से विलीन होने का खतरा नहीं है । घाघरा नदी की मुख्य धारा बालखण्डी आश्रम से सटकर बह रही है जिससे खतरा बना हुआ है । बांध व नदी के बीच फ्लड प्लेन जोन के गांवों को बाढ़ से बचाने हेतु कोई प्राविधान नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद पीलीभीत में शराब बिक्री का लक्ष्य

53–श्री रियाज अहमद–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में वर्ष 2001-2002 में शराब बिक्री का लक्ष्य क्या था ? क्या यह सही है कि जनपद पीलीभीत में बरेली मण्डल के अन्य जनपदों की अपेक्षाकृत आबादी के अनुपात से बिक्री का लक्ष्य अधिक निर्धारित किये जाने के कारण दुकानों का आवंटन पूर्ण नहीं हो सका था ? यदि हां, तो क्या सरकार बिक्री का कोटा पुनः निर्धारण करवाकर दुकानों का आवंटन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

वर्ष 2001-2002 में जनपद पीलीभीत के देशी शराब का एम० जी० क्यू० 2630000 बल्क लीटर था । जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी के अनुरोध पर पीलीभीत का एम० जी० क्यू० कम करके 2524500 बल्क लीटर निर्धारित किया गया ।

जी नहीं । जनपद पीलीभीत की सभी 177 देशी शराब की दुकानों का व्यवस्थापन हो गया था।

प्रश्न ही नहीं उठता, वर्ष 2001-2002 समाप्त हो गया है ।

जनपद पीलीभीत में मिलों द्वारा बिना अनुमति के चावल बेचने के सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

54—श्री रियाज अहमद–

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पीलीभीत में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000 में धान की खरीद करके चावल मिलों में चावल तैयार किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त चावल बिना आर०एफ०सी० बरेली की अनुमति के मिलों द्वारा बेच दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम० काम०–

जी हां ।

जी नहीं, खरीफ वर्ष 2000-2001 में जनपद पीलीभीत में क्रय धान 64040 मी० टन से निर्मित चावल 40986 मी० टन के सापेक्ष 39901.6 मी० टन की डिलीवरी स्टेट पूल में की गयी है । शेष 1084.4 मी० टन चावल की डिलीवरी जिन तीन मिलों द्वारा नहीं दी गई है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली में महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अधिनियम के विपरीत को आर्डिनेटर नियुक्त किये जाने का औचित्य

55–श्री रियाज अहमद–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि महात्मा ज्योतिबाफूले रूहेल खण्ड विश्वविद्यालय, बरेली में विश्वविद्यालंय अधिनियम के विपरीत को-आर्डिनेटर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

विश्वविद्यालय के नित्यप्रति कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए कुलपति द्वारा अपनी सहायता के लिए कुछ शिक्षकों को कोआर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है । इन्हें कोई मानदेय/पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है ।

प्रदेश में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण में जनपद पीलीभीत में की गयी अनियमितताओं के प्रति दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

56–श्री रियाज अहमद–

क्या खाद्य मंत्री को यह जानकारी है कि प्रदेश में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत निर्धन व्यक्तियों को अप्रैल, 2002 से प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिये जाने के आदेश जारी किये गये हैं ? क्या यह सही है कि उन आदेशों के अनुसार जनपद–पीलीभीत में उक्त योजना के अन्तर्गत मात्र 25 कि०ग्रा० खाद्यान्न का वितरण करके अधिकारियों द्वारा अनियमिततायें की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम० काम०–

जी, हां ।

जी नहीं । जनपद पीलीभीत में उक्त योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल, 02 में पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 25 कि०ग्रा० खाद्यान्न का वितरण किया गया था । बाद में शासनादेश सं०–94/29/डे०ई०–1/02-1(5)/02, दिनांक 15-4-02 द्वारा खाद्यान्न की मात्रा 35 कि०ग्रा० (23 कि०ग्रा० गेहूं व 12 कि०ग्रा० चावल) प्रति परिवार/प्रतिमाह किये जाने के फलस्वरूप माह मई, 2002 में अप्रैल, माह के शेष 10 कि०ग्रा० खाद्यान्न का वितरण माह मई, 02 के 35 कि०ग्रा० के वितरण के अतिरिक्त सुनश्चित कराया गया । इस प्रकार कोई अनियमितता नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य

57–कुं० रेवती रमण सिंह तथा डा० अशोक बाजपेयी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसानों का वर्ष 2001-2002 का कितना गन्ना मूल्य कुल कितनी चीनी मिलों पर बकाया है ? उक्त वर्ष के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? गन्ना मूल्य का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दिनांक 6-8-2002 तक प्रदेश की 101 चीनी मिलों में सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल सरसावां, मोरना स्नेहरोड तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिल गागलहेड़ी, शामली ने सम्पूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया है। शेष 96 चीनी मिलों पर वर्ष 2001-2002 में दिनांक 6-8-2002 तक निम्न प्रकार गन्ना मूल्य अवशेष है :—

(करोड़ रुपये में)

वाजिब	भुगतान	शेष
5093.70	4224.12	869.58

चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने के लिए कठोर प्रयास किये जा रहे हैं। बकायेदार चीनी मिलों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस एवं रिकवरी प्रमाण-पत्र भी जारी किये गये हैं तथा शासन एवं विभागाध्यक्ष के स्तर पर नियमित रूप से बैठकों में इसकी समीक्षा कर अवशेष गन्ना मूल्य के शीघ्रातिशीघ्र भुगतान हेतु मिलों पर निरन्तर दबाव बनाये रखा जा रहा है।

प्रदेश में कुल लिफ्ट नहरें एवं इनके रख-रखाव के लिए धन की व्यवस्था की जानकारी

58–कुं० रेवती रमण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी लिफ्ट नहरें हैं और इनसे प्रतिवर्ष कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होती है ? वित्तीय वर्ष 2002-2003 में इन लिफ्ट नहरों के रख-रखाव के लिये कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रदेश में कुल 235 लघु लिफ्ट नहरें हैं जिनसे प्रतिवर्ष औसतन 2.26 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में लघु लिफ्ट नहरों के रख-रखाव (अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्यों) के लिए रु० 463.57 लाख धनराशि की आय-व्ययक व्यवस्था है, जिसमें प्रथम छः माह हेतु रु० 231.78 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव एवं नालों की सफाई के लिए आवंटित धनराशि की जानकारी

59–कुं० रेवती रमण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की समस्या के निराकरण हेतु कुल कितने किलोमीटर नालों की सफाई का लक्ष्य वर्ष 2002-2003 में रखा गया है ? क्या इन नालों की सफाई मशीनों के द्वारा की जायेगी ? कुल कितनी धनराशि सफाई कार्य के लिए आवंटित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की समस्या के निराकरण के लिए वर्ष 2002-2003 हेतु कुल 257.4 किलोमीटर नालों की सफाई का लक्ष्य रखा गया है।

यथा सम्भव सफाई कार्य मशीनों से किया जाता है।

अब तक कुल 107.3 लाख रुपये सफाई कार्य हेतु आवंटित किया गया है।

प्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्रफल एवं उसके विस्तार के लिए धन की व्यवस्था की जानकारी

60—कुं० रेवती रमण सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितना क्षेत्रफल वनाच्छादित है ? सरकार द्वारा वर्ष 2002-2003 में वनों के विस्तार का क्या लक्ष्य रखा गया है और इस हेतु कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

श्री ठाकुर जयवीर सिंह–

प्रदेश में 10756 वर्ग कि०मी० क्षेत्र वनाच्छादित है।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में प्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्र के विस्तार हेतु वन विभाग द्वारा 5.18 करोड़ पौधों का रोपण विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इसके लिए रु० 2400.15 लाख बजट उपलब्ध है।

61—कुं० रेवती रमण सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद बांदा के जिलाधिकारी को साक्षरता अभियान के धन का दुरुपयोग करने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

62–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के जिलाधिकारी को साक्षरता अभियान के धन का दुरुपयोग करने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-6-2002 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जिलाधिकारी, बांदा द्वारा प्रश्नकर्ता मा० सदस्य को अपने पत्र दिनांक 27-7-2002 द्वारा उत्तर भेज दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में रत्ना शुगर मिल शाहगंज पर किसानों का बकाया गन्ना मूल्य

63–श्री पारस नाथ यादव–

क्या गन्ना सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जौनपुर में रत्ना शुगर मिल शाहगंज पर किसानों का करोड़ों रुपया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु बकाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उ० प्र० राज्य चीनी निगम की शाहगंज इकाई के पेराई सत्र 2001-2002 के पूर्व के समस्त गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। पेराई सत्र 2001-2002 के कुल देय गन्ना मूल्य रु० 559.32 लाख में से रु० 39.72 लाख का भुगतान किया जा चुका है। शेष रु० 519.60 लाख बकाया है।

खराब वित्तीय स्थिति के कारण निगम की मिल अपने संसाधनों से बकाया गन्ना मूल्य भुगतान करने में असमर्थ हैं। विगत वर्षों की परम्परा के अनुसार बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु शासन स्तर से शासकीय ऋण-सहायता उपलब्ध कराई जाती रही है।

जनपद गोण्डा नगर पंचायत मनकापुर के राजकीय सस्ते गल्ले की दुकान का निरस्तीकरण

64–श्री राम विशुन आजाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सतीश कुमार पुत्र रामलोचन, नगर पंचायत, मनकापुर, जनपद–गोण्डा के राजकीय सस्ता गल्ला चीनी, मिट्टी के तेल की दुकान काला बाजारी एवं अनियमितता के कारण दि० 5-11-97 को निरस्त की गयी थी ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में दुकान पुनः बहाल कर दी गयी ? क्या जिलाधिकारी, गोण्डा के आदेश सं०–1738/जी०अ०उ०द०दू०/5-11-97 का अनुपालन उक्त कोटेदार द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम० काम०–

जी हां।

श्री सतीश कुमार उचित दर विक्रेता नगर पंचायत मनकापुर की दुकान, उनके द्वारा किये जा रहे वितरण के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर की गई जांच में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में उनके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण दिनांक 5-11-97 को नहीं बल्कि 30-9-94 को ही निरस्त की गई थी।

प्रश्नगत निरस्तीकरण आदेश दिनांक 30-9-94 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में दायर रिट पिटीशन सं०–689/1995 में दिनांक 19-5-97 में आदेशित किया गया कि विक्रेता का मासिक कोटा 15 कु० से कम करके 13 कुन्तल कर दिये जाने के कारण कार्डधारकों को प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार पर चीनी का वितरण किया गया है। अतः जो कार्डधारक चीनी लेने बाद में आये उन्हें चीनी नहीं मिली।

विक्रेता द्वारा दिनांक 20-8-97 को दायर रिट पिटीशन वापस ले लेने तथा जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) की दिनांक 29-7-97 को दुकान बहाल किये जाने के संबंध में विधिक राय प्राप्त हो जाने पर जिलाधिकारी के आदेश सं०–1738, दिनांक 5-11-97 द्वारा दुकान स्थाई रूप से बहाल कर दी गयी।

जिलाधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 5-11-97 का अनुपालन करते हुए कोटेदार श्री सतीश कुमार द्वारा वितरण का कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश में नहर की सफाई के लक्ष्य के सम्बन्ध में जानकारी

65–कुं० रेवती रमण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2002-2003 में कितने किलोमीटर नहर की सफाई का लक्ष्य रखा गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रदेश में नहरों की वर्ष 2002-2003 में 23000 किलोमीटर लम्बाई में सिल्ट सफाई का लक्ष्य प्रस्तावित है।

जनपद हरदोई कें हरपालपुर रोडवेज की बसों का पुनः संचालन

66–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 व 1996 में हरदोई से चौसार वाया हरपालपुर व हरदोई से खरगपुर वाया हरपालपुर रोडवेज की बसें चलायी जा रही थीं ? क्या उक्त बसों का संचालन अब बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त मार्गों पर पुनः बसों का संचालन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां ।

जी हां ।

हरदोई चौसार वाया हरपालपुर 54 किमी० मार्ग में से सांडी–चौसार वाया हरपालपुर 34 किमी० मार्गांश अराष्ट्रीयकृत है । इसी प्रकार हरदोई–खरगपुर वाया हरपालपुर 48 किमी० मार्ग में से सांडी–खरगपुर वाया हरपालपुर 28 किमी० मार्गांश अराष्ट्रीयकृत है । इन मार्गों पर लाभप्रद आय प्राप्त न होने के कारण बसों का संचालन बन्द कर दिया गया है । वर्तमान नीति के अनुसार अराष्ट्रीयकृत मार्गांशों पर निगम सेवाओं का विस्तार नहीं किया जाना है । अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर यात्रियों की सुविधा हेतु निजी वाहन का संचालन अनुमन्य है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी वाहनों का संचालन अनुमन्य है । शासन की वर्तमान नीति के अनुसार निगम की सेवाओं का विस्तार अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर नहीं किया जाना है ।

जनपद हरदोई में राजकीय ट्यूबवेलों का विवरण

67–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद में कुल कितने राजकीय ट्यूबवेल हैं ? उनमें से कितने सिंचाई के काम में आ रहे हैं तथा कितने खराब हैं ? क्या सरकार खराब ट्यूबवेलों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दिनांक 27-6-2002 को हरदोई जनपद में कुल 602 चलित नलकूप हैं । जिनमें से 484 नलकूप चालू हालत में थे एवं सिंचाई के काम आ रहे थे तथा यांत्रिक दोषों से 22 नलकूप तथा विद्युत दोषों से 96 नलकूप अस्थाई रूप से बन्द थें ।

खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है परन्तु यांत्रिक दोषों से बन्द समस्त 22 नलकूपों को चालू करा दिया गया है तथा विद्युत दोषों से बन्द 96 नलकूपों में से 51 नलकूपों को दिनांक 31-7-2002 तक चालू करा दिया गया है तथा गम्भीर विद्युत दोष से बन्द शेष 45 नलकूपों को शीघ्रातिशीघ्र चालू कराने हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

परिवहन निगम की बसों को जनपद संत कबीर नगर (खलीलाबाद) थाना महुली से हरिहरपुर वाया महुली/बस्ती होते हुए लखनऊ तक चलाये जाने की मांग

68–श्री शंखलाल माझी–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद संत कबीर नगर (खलीलाबाद) में थाना महुली से जिला बस्ती तक लगभग 35 कि०मी० मार्ग पर कोई भी रोडवेज़ की बस न चलने के कारण स्थानीय लोगों को लखनऊ एवं कानपुर तक यात्रा करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार हरिहरपुर से लखनऊ/कानपुर चलने वाली परिवहन निगम की बसों को हरिहरपुर वाया महुली/बस्ती होते हुए लखनऊ तक चलायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

महुली–बस्ती मार्ग अराष्ट्रीयकृत मार्ग है, जिसके कारण इस मार्ग पर रोडवेज (परिवहन निगम) की बसों का संचालन नहीं हो रहा है । शासन की वर्तमान नीति के अनुसार परिवहन निगम की सेवाओं का विस्तार अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर नहीं किया जाना है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम की सेवाओं के विस्तार की शासन की नीति नहीं है ।

69–श्री जगदम्बिका पाल–

[2सरे गुरुवार के अता० प्र० सं०–161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई की बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र की हथौड़ा ड्रेन की खुदाई एवं सफाई कराकर किसानों की भूमि के जलमग्न होने से बचाने के सम्बन्ध में मांग

70–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद की 94, बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र की हथौड़ा ड्रेन की खुदाई सफाई न होने के कारण किसानों की हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ड्रेन की खुदाई एवं सफाई कराकर किसानों के कृषि योजना भूमि को जलमग्न होने से बचायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद हरदोई में चौसार वाया सांडी हरपालपुर मार्ग पर प्रतिदिन चलने वाली बसों की जानकारी

71–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद में हरदोई से चौसार वाया सांडी हरपालपुर मार्ग पर परिवहन विभाग की कितनी बसों के चलने का प्राविधान है और प्रतिदिन कितनी बसें चलती हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

संदर्भित मार्ग पर परिवहन निगम की बसों के चलने का कोई प्राविधान नहीं है ।

जनपद हरदोई में खरगपुर बाया सांडी हरपालपुर में बसों के परमिट जारी करने एवं प्रतिदिन चलने वाली बसों की जानकारी

72–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद में हरदोई से खरगपुर बाया सांडी हरपालपुर कितनी बसों के परमिट जारी किये गये हैं और प्रतिदिन कितनी बसें चलती हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

हरदोई–साण्डी–हरपालपुर–खड़गपुर–मौसार मार्ग के लिए उदार नीति के अन्तर्गत जारी किये गये कुल 32 स्थायी स्टेज कैरिज परमिट में वर्तमान में 19 परमिट वैध हैं इन 19 परमिट धारियों में से 6 परमिट धारियों ने अपनी-अपनी वाहनों के प्रपत्र समर्पित किये हुए हैं । इस प्रकार वर्तमान में प्रश्नगत मार्ग पर 19 में से 13 बसों का संचालन है ।

जनपद बलिया के जंगली बाबा इण्टर कालेज गड़वार के प्रबन्धक श्री काशीनाथ सिंह द्वारा विकास पोषण निधि एवं छात्रों से कथित अवैध धन वसूली की जांच की मांग

73–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जंगली बाबा इण्टर कालेज गड़वार, बलिया के प्रबन्धक श्री काशीनाथ सिंह ने 1986 से प्रबन्धक पद पर कार्य करते हुए विद्यालय के विकास पोषण निधि आदि फण्डों का धन अवैध रूप से निकाल कर एवं छात्रों से अवैध धन वसूल कर विद्यालय में भारी गबन एवं हेराफेरी की है ? क्या मंत्री जी प्रबन्धक के विरुद्ध माननीय न्यायालय इलाहाबाद के रिट संख्या–8694/90 में प्रबन्धक के पद का काम न करने के आदेश का अनुपालन कराते हुए इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं गबन की जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया को प्रकरण की जांच के आदेश दिये गये हैं । जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 8694/90 माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 13-5-99 द्वारा खारिज की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत राप्ती नदी के दोनों किनारों के कतिपय ग्रामों को भीषण कटान से बचाने की कार्य योजना

74—श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत राप्ती नदी के दोनों किनारों के ग्राम मालीमैनहा, डुमरियागंज, तिघरा इटवा तहसील तथा अन्य कई गांव राप्ती नदी के भीषण कटान से प्रभावित हो रहे हैं ? क्या सरकार इन्हें बचाने के लिए कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

ग्राम माली मैनहा व डुमरियागंज को बचाने के लिए एक परियोजना लागत रु० 29.36 लाख तैयार की गयी है ।

ग्राम तिघरा को बचाने के लिए एक परियोजना लागत रु० 39.60 लाख तैयार की गयी है ।

आर० आई० डी० एफ०–7 के अन्तर्गत नाबार्ड से स्वीकृत राप्ती बेसिन के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर की 17 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाई स्कूल/इण्टर कालेजों में अध्यापकों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् नये अध्यापकों की नियुक्ति करने की मांग

75–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हाई स्कूल/इण्टर कालेजों में अध्यापकों की सेवानिवृत्ति होने तथा उनके स्थान पर नई भर्ती न होने के कारण पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अध्यापकों की नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

अध्यापकों का चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही सतत् रूप से चल रही है । पठन-पाठन प्रभावित नहीं हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा योजना हेतु संबंधित विद्यालयों में क्लास प्रोजेक्ट योजना प्रारम्भ करने की मांग

76–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता अध्ययन परियोजना (क्लास प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1993-94 में 30 विद्यालयों में योजना लागू किये जाने की स्वीकृति शिक्षा (7) अनुभाग के शासनादेश दिनांक 14-1-97 के द्वारा प्रदान की गयी थी ? यदि हां तो क्या उक्त शासनादेश सं०–93/15-7-1(22)/95, दिनांक 14 जनवरी, 1997 के क्रम सं०–8 पर जनपद सिद्धार्थनगर के मौलाना आजाद इण्टर कालेज सखावतगंज–कादिराबाद में क्लास प्रोजेक्ट योजना शिक्षा सत्र, 2002-2003 से प्रारम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

शासनादेश संख्या–2579/15-7-2002-1(263)/2001, दिनांक 31-7-2002 द्वारा नवीन "क्लास प्रोजेक्ट" कम्प्यूटर शिक्षा योजना हेतु संबंधित विद्यालय को चयनित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के भवन विहीन तथा क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के निर्माण की मांग

77—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में कुल कितने ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जो भवन विहीन हैं अथवा जिनके भवन क्षतिग्रस्त हैं ? क्या सरकार भवन विहीन तथा क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद बांदा में 07 प्राथमिक विद्यालय भवन विहीन हैं तथा 47 प्राथमिक विद्यालयों के भवन क्षतिग्रस्त हैं । इन भवन विहीन तथा क्षतिग्रस्त भवनों वाले प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002-2007 की अवधि में प्रस्तावित है ।

सर्व शिक्षा अभियान की अवधि वर्ष 2007 तक है । भवन विहीन तथा क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण इसी अवधि में प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बांदा में प्राथमिक पाठशाला तथा उच्च प्राथमिक पाठशालाओं के अपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

78—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में ऐसे कितने प्राथमिक पाठशाला तथा उच्च प्राथमिक पाठशाला के भवन हैं जो गत कई वर्षों से निर्माणाधीन हैं ? क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष में अपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद बांदा में 14 प्राथमिक विद्यालय तथा 8 उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्ष 1999-2000 से निर्माणाधीन हैं ।

जी हां ।

कार्यदायी संस्था से धन वसूली की कार्यवाही गतिमान है । जिसके पूर्ण होने पर अपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बांदा में वृक्षारोपण में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी को दण्डित किये जाने की मांग

79—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001-2002 में जनपद बांदा में सामाजिक वानकी को बढ़ावा देने हेतु कहां-कहां वृक्षारोपण किया गया ? क्या यह सही है कि पेड़ों के स्थान पर केवल गड्ढे मौजूद हैं ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह–

बांदा जनपद में बांदा वन प्रभाग द्वारा वर्ष 2001-2002 में बांदा, बबेरू, तिन्दवारी तथा पैलानी रेंजों में 295 हेक्टेयर ब्लाक वृक्षारोपण तथा 97 कि०मी० पटरी वृक्षारोपण किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के कर्मचारियों को चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

80–श्री दिनेश सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा अनुभाग–2 के आदेश संख्या ज०प०–23/15-2-2002, दिनांक 23-5-2002 जो कर्मचारियों को चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी है और जो सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, प्रश्नगत शासन का पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद में प्राप्त हो गया है ।

शासन द्वारा लिये गये निर्णय से माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 19-7-2002 द्वारा संबंधित कर्मचारी को अवगत करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के सतीश कुमार पुत्र श्री राम लोचन कोटेदार द्वारा कार्ड धारकों को खाद्य एवं अन्य सामग्री में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

81–श्री राम विशुन आजाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पंचायत मनकापुर (गोण्डा) के सतीश कुमार पुत्र श्री रामलोचन कोटेदार द्वारा खाद्य सामग्री एवं अन्य सामग्री का वितरण निर्धारित दर से अधिक दर पर कार्ड-धारकों को किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम० काम०–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

82–श्री राम विशुन आजाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पंचायत मनकापुर, गोण्डा के सतीश कुमार पुत्र श्री रामलोचन कोटेदार को मिट्टी का तेल निर्धारित कोटे से अधिक मात्रा में आवंटित किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार इसकी जांच करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम० काम०–

जी नहीं ।

कोटेदार को निर्धारित कोटे से अधिक मात्रा में मिट्टी का तेल आवंटित नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत के सदर तहसील में ग्राम–चंदोई के प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर अवैध कब्जा की शिकायत

83–श्री रियाज अहमद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद पीलीभीत के सदर तहसील में ग्राम-चंदोई के प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर भगवती महिला संस्थान द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जा हटवाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हां।

दिनांक 07-08-2002 को कब्जा वापस ले लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद चन्दौली के अन्तर्गत भूपौली पम्प कैनाल पर पक्का पम्प हाउस बनवाने की योजना

84–श्री प्रभु नारायण–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के अन्तर्गत भूपौली पम्प कैनाल पर पक्का पम्प हाउस बनाने की कोई कार्य योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

भूपौली पम्प नहर की क्षमता वृद्धि की पुनर्स्थापना की परियोजना की तकनीकी स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग के द्वारा रु० 6053 लाख की प्रदान की गई है।

परियोजना की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् नाबार्ड को वित्त पोषण हेतु भेजा जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली की विधान सभा क्षेत्र धानापुर में गंगा नदी के कटान को रोकने की योजना

85–श्री प्रभु नारायण–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली की विधान सभा क्षेत्र धानापुर में गंगा नदी का कटान हो रहा है ? इसको रोकने हेतु क्या सरकार गंगा की धारा को दूसरी ओर मोड़ने की कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां। किन्तु गंगा नदी की धारा को मोड़ना तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद चन्दौली के अन्तर्गत भूपौली पम्प कैनाल द्वारा चालित नहरों की सफाई कराने की मांग

86–श्री प्रभु नारायण–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के अन्तर्गत भूपौली पम्प कैनाल द्वारा चालित बड़ी तथा छोटी नहरों की सफाई तथा उनका जीर्णोद्धार कराने की कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

भूपौली पम्प कैनाल की नहर प्रणाली के जीर्णोद्धार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । उपलब्ध सीमित संसाधनों के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार नहरों की सफाई कराई जाती है ।

वर्ष 2002-2003 में भूपौली पम्प कैनाल की नहर प्रणाली की 40 कि०मी० लम्बाई में बड़ी तथा छोटी नहरों की सफाई का कार्यक्रम है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश की साक्षरता के प्रतिशत की जानकारी एवं निरक्षरता को दूर करने की योजना

87–कुं० रेवती रमण सिंह तथा डा० अशोक बाजपेयी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत क्या है ? क्या निरक्षरता को दूर करने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

जी हां ।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 57.36 है ।

प्रदेश में साक्षरता बढ़ाने के लिए सभी के लिए शिक्षा योजनान्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन/राज्य साक्षरता मिशन के अन्तर्गत साक्षरता कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

प्रदेश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के माध्यम से साक्षरता कार्यक्रम संचालित है, जिसमें 15–35 वय वर्ग के निरक्षकों को मिशन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर कार्यात्मक साक्षरता प्रदान की जाती है । कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जनपदों को आच्छादित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में नदियों की सफाई के लिए धन का आवंटन

88—कुं० रेवती रमण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नदियों की सफाई हेतु कितनी धनराशि वर्ष 2002-2003 में किस-किस नदी की सफाई के लिये आवंटित की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई विभाग द्वारा प्रदेश में नदियों की सफाई नहीं की जाती है । अतः इस हेतु वर्ष 2002-03 में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है ।

जनपद मैनपुरी के प्राथमिक शिक्षकों का वेतन भुगतान

89—श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी के प्राथमिक शिक्षकों का माह अप्रैल, मई एवं जून, 2002 का वेतन भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त वेतन भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

माह अप्रैल, मई एवं जून, 2002 का वेतन भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मैनपुरी में ग्राम मलिकपुर, ब्लाक जागीर में प्रा० विद्यालय का भवन निर्माण

90—श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी में वर्ष 1996-97 में ग्राम मलिकपुर, ब्लाक जागीर में प्रा० विद्यालय स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो सरकार उसका भवन निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फिरोजाबाद विधान सभा क्षेत्र के माइनर में टेल तक पानी पहुंचाने की मांग

91–श्री अजीम भाई–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र फिरोजाबाद में स्थित नगला बीच से फतेहपुर तक माइनर में टेल तक पानी न पहुंचने के कारण हजारों एकड़ भूमि असिंचित रह जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार टेल तक पानी पहुंचाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

हाथरस शाखा मांट शाखा के कि०मी० 73.600 अर्थात टेल भाग से एवं फिरोजाबाद राजवहा हाथरस शाखा की टेल से निकलता है । आन्तरिक सेक्शन संकुचित होने के कारण मांट शाखा प्रणाली की नहरों की निस्सरण क्षमता में कमी के कारण इस क्षेत्र की सींच प्रभावित है । मांट शाखा प्रणाली की पुनर्स्थापना पर सींच सुविधा बेहतर होगी । धन उपलब्धतानुसार इस पर कार्यवाही सम्भव होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में नगला टांकन ब्लाक बेबर में जूनियर हाईस्कूल का भवन निर्माण

92–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी में वर्ष 1997-98 में नगला टांकन ब्लाक बेबर में जूनियर हाईस्कूल स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या उस विद्यालय के भवन का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो सरकर भवन निर्माण कराकर विद्यालय कब तक प्रारम्भ करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं ।

विद्यालय जुलाई, 1999 से संचालित है । भवन निर्माण शीघ्र करा दिया जायेगा ।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भारी कमी को दूर करने के उपाय के प्रारूप की जानकारी

93–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भारी कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार सहायक अध्यापकों की कमी दूर करने का कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी, हां । जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त् बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है ।

उ० प्र० बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्ति की कार्यवाही एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद हरदोई रोडवेज बस अड्डे से हरपालपुर होकर बस चलाये जाने की मांग

94–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई रोडवेज बस अड्डे से फर्रुखाबाद, आगरा, मथुरा, दिल्ली जाने वाली बसें वाया हरपालपुर न जाकर सीधे बावन लोनार होकर चली जाती है जबकि उनके परमिट वाया हरपालपुर होकर है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्वीकृत मार्गों पर बसे चलाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

हरदोई से हरदोई डिपो की बसें अनुज्ञा पत्र के अनुसार दिल्ली, फर्रुखाबाद, आगरा के लिए हरपालपुर होकर जाती हैं किन्तु दिल्ली के लिए एक-एक ट्रिप बावन लोनार होकर हैं । इसी प्रकार फर्रुखाबाद डिपो की बसें हरदोई से दिल्ली व फर्रुखाबाद के लिए हरपालपुर होकर ही जाती हैं । मथुरा डिपो की बस बावन लोनार होकर हरदोई आती-जाती हैं ।

बसों का संचालन नियमानुसार स्वीकृत मार्ग पर किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत उर्दू अध्यापकों को प्रशिक्षित वेतनमान का भुगतान करने की मांग

95–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत उर्दू अध्यापक के रूप में कुल 55 उर्दू अध्यापकों को विभागीय आदेशानुसार मुअल्लिम का प्रशिक्षण प्राप्त करने पर प्रशिक्षित वेतनमान दिया गया था ? यदि हां, तो यह प्रशिक्षित वेतनमान किन कारणों से रोक दिया गया ? माननीय उच्च वेतनमान इलाहाबाद द्वारा वाद सं०–17028/2002 मलिक फैज अहमद आदि बनाम उ० प्र० सरकार तथा वाद सं०–19526/2002 इरशाद अहमद एवं अन्य बनाम उ० प्र० सरकार में दिये गये आदेश पर अब क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रशिक्षित वेतनमान रोकने के कारणों की जांच कराई जा रही है ।

प्रशिक्षित वेतनमान का भुगतान पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सिद्धार्थनगर राजकीय कन्या इण्टर कालेज डुमरियागंज के भवन का निर्माण कराने की मांग

96–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इन्टर कालेज डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर जिसकी स्थापना वर्ष 1978-79 में तत्कालीन सरकार द्वारा की गई थी के भवन का निर्माण करा दिया गया है ? क्या सरकार जनहित को देखते हुए वरीयता के आधार पर तत्काल भवन बनाने की स्वीकृत प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? भवन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

भवन निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है । वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अभी विद्यालय भवन निर्माण कराया जाना सम्भंव नहीं है ।

जनपद मुरादाबाद के सर्वोदय इण्टर कालेज किसौनी के अध्यापक श्री वीरेन्द्र पाल सिंह को चयन वेतनमान के अवशेष देयों का भुगतान

97–श्री किरन पाल सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2001 के तृतीय मंगलवार के अता० प्र० सं०–62 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वीरेन्द्र पाल सिंह, कला अध्यापक, सर्वोदय इण्टर कालेज किसौनी, मुरादाबाद को चयन वेतनमान के अवशेष देय का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्री वीरेन्द्र पाल सिंह के अवशेष देयकों का भुगतान अभी नहीं हुआ है ।

अवशेष देयकों का परीक्षण/जांच वित्त नियंत्रक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा किया जा रहा है ।

अवशेष देयकों के परीक्षण/जांचोपरान्त भुगतान कर दिया जायेगा ।

जनपद पीलीभीत में सामाजिक वानिकी के कर्मचारियों का विनियमितीकरण

98–श्री रियाज अहमद–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन प्रभाग, पीलीभीत एवं सामाजिक वानिकी वन प्रभाग पीलीभीत द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र० के पत्रांक सं०–ई–3872/10–55, दिनांक 30-3-2002 के अनुपालन में कुल कितने कर्मचारियों का विनियमितीकरण किया गया ? क्या यह सही है कि विनियमितीकरण में विनियमितीकरण नियमावली, 2001 के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ठाकुर जयवीर सिंह–

प्रमुख वन संरक्षक, उ० प्र० के पत्रांक ई––3872/10-55, दिनांक 30-3-2002 के अनुपालन में वन प्रभाग, पीलीभीत एवं सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग, पीलीभीत के अन्तर्गत निम्न प्रकार कुल

55 दैनिक कर्मचारियों का विनियमितीकरण किया गया है :—

क्र०सं०	प्रभाग का नाम	संख्या
1	वन प्रभाग, पीलीभीत	41
2	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, पीलीभीत	14
	योग	55

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्त से स्पष्ट है ।

जनपद फिरोजाबाद में अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निगम द्वारा फर्जी रिपोर्ट देने पर दोषी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

99–श्री अजीम भाई–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2002 में 79 तालाबों और पोखरों को भरे जाने की योजना में अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निगम द्वारा कोई रिपोर्ट दिनांक 18-4-2002 को जिलाधिकारी एवं प्रश्नकर्ता को प्रेषित की गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त कार्य न कराकर फर्जी रिपोर्ट दी गयी है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2002 में तालाबों और पोखरों को भरे जाने की योजना में अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, फिरोजाबाद द्वारा रिपोर्ट दिनांक 18-04-2002 को जिलाधिकारी एवं प्रश्नकर्ता को प्रेषित की गयी है ।

जी नहीं । तालाबों को भरे जाने की जो सूचना दी गयी है उसमें तालाब व पोखरों को भरे जाने की सम्मिलित सूचना थी । शासनादेश संख्या–1209/2002-27-सिं०-5-08बाढ़/2002, दिनांक 20-03-2002 के अनुसार राजकीय नलकूपों से तालाबों के भरे जाने तथा सूचना प्रेषण का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों का है तथा सिंचाई विभाग द्वारा मात्र विवरण रखा जाता है । इसके अन्तर्गत यद्यपि कुल संख्या सही है परन्तु पोखरों की संख्या को तालाब में ही सम्मिलित करते हुए सूचना प्रेषित की गयी है । जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है ।

मामले में परीक्षणोपरान्त सूचना प्रेषण में बरती गयी असावधानी की पुष्टि पायी गयी । जिन 20 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा सूचना प्रेषित करने में असावधानी/त्रुटि बरती गयी है उन्हें निन्दा प्रविष्टि एवं एक सींच पर्यवेक्षक द्वारा सूचना संकलित करने में असावधानी बरती गयी है उसे भर्त्सना प्रविष्टि दे दी गयी है । इसी अनुक्रम में अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, फिरोजाबाद द्वारा सूचना के संकलन में अपेक्षित सावधानी न बरते जाने के सम्बन्ध में प्रकरण विचाराधीन है ।

जनपद लखनऊ में ग्राम मीरकनगर, पो० मीरकनगर में स्थित कन्या पाठशाला से अवैध कब्जा हटाये जाने की मांग

100–श्री राधेश्याम जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि ग्राम–मीरकनगर, पो० मीरकनगर, जिला–लखनऊ में स्थित कन्या पाठशाला गत कई वर्षों से बन्द है ? क्या यह सही है कि श्री सुखलाल कहार पुत्र

स्व० श्री मुन्नू कहार ने उक्त पाठशाला में अवैध रूप से कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जा को हटाये जाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । एक ही ग्राम में दो विद्यालयों के होने एवं अत्यन्त अल्प छात्र संख्या होने के कारण इस विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय मीरकनगर में समायोजित किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश के राजकीय बालिका इण्टर कालेजों में प्रवक्ता गृह विज्ञान के पदों को प्रोन्नति द्वारा भरे जाने की मांग

101–श्री राम किशुन–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय बालिका इण्टर कालेजों में प्रवक्ता गृह विज्ञान के कितने पद रिक्त है इनमें कितने पद प्रोन्नति द्वारा भरे जाने हैं ? उक्त प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में कितने पद आरक्षित श्रेणी के हैं ? क्या वर्तमान शिक्षा सत्र में उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कुल 17 पद रिक्त हैं और उक्त पद प्रोन्नति द्वारा भरे जाने हैं । प्रोन्नति के पदों में 10 पद आरक्षित श्रेणी के हैं ।

प्रोन्नति हेतु पात्रता के क्षेत्र में अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर वर्तमान शिक्षा सत्र में रिक्त पदों को भरा जायेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश में वर्ष 2001 में स्थापित क्रय केन्द्रों पर किसानों के गेहूं मूल्य के भुगतान की जानकारी

102–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2001 में स्थापित क्रय केन्द्रों पर कुल कितनी मात्रा में गेहूं क्रय किया गया ? गेहूं मूल्य का भुगतान किसानों को किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार द्वारा इस वर्ष भी गेहूं क्रय करने की कोई योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री बाबू राम एम० काम०–

वर्ष 2001-2002 में कुल 2446195 मी० टन गेहूं क्रय किया गया था ।

किसानों को समस्त क्रय गेहूं का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी किसानों से सीधे जोत बही के आधार पर गेहूं क्रय किया गया है ।

बस्ती मण्डल के जनपद सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर तथा बस्ती जनपदों में आम, अमरूद, लीची के सघन क्षेत्रफल को देखते हुए फल पट्टी घोषित करने की मांग

103–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती मण्डल के जनपद सिद्धार्थनगर,. संत कबीर नगर तथा बस्ती जनपदों में आम, अमरूद, लीची के सघन क्षेत्रफल को देखते हुए इस क्षेत्र को फल-पट्टी क्षेत्र घोषित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जनपद सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बस्ती में आम, अमरूद, लीची के फलपट्टी घोषित करने हेतु शासनादेश संख्या–3303/58-1-2001-154/99, दिनांक 10-10-2001 के अनुसार जनपद के किन्हीं तीन संहत न्याय पंचायतों द्वारा आवृत्त क्षेत्र को एक इकाई के लिए न्यूनतम कृषि क्षेत्र 1500 हेक्टेयर होनी चाहिए तथा बागों का घनत्व प्रस्तावित क्षेत्र में 20% या उससे अधिक होना चाहिए, जो नहीं है ।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा व डुमरियागंज के ग्रामीण अंचलों में किसानों को बिना पानी दिये वसूली की शिकायत

104–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा एवं डुमरियागंज के ग्रामीण अंचलों में सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत किन-किन गांवों को मुख्य नहरों से जोड़ा गया है और उनकी शाखाएं रजवाहों के रूप में बनायी गयी हैं ? क्या यह सत्य है कि उन गांवों में बिना पानी दिये किसानों से वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो वसूली को रोकते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा एवं डुमरियागंज के ग्रामीण अंचलों में सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत किसी भी ग्राम को मुख्य नहर से नहीं जोड़ा गया है । जनपद सिद्धार्थनगर की इटवा एवं डुमरियागंज तहसीलों में सोनहा शाखा, इटवा शाखा, सेमरी रजवाहा, ऊंचडीह रजवाहा, डुमरियागंज शाखा, बस्ती शाखा, बांसी शाखा, कूड़ी रजवाहा, खुरिया माइनर, बढ़नी माइनर, बसडिलिया माइनर, शंकरपुर रजवाहा तथा बनकटी माइनर बनायी गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन में आरक्षण की नीति

105–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है ? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बाबू राम एम० काम०–

जी हां ।

सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का आवंटन कार्य जनपदों में एक सतत् प्रक्रिया है । पुनरीक्षित आरक्षण व्यवस्था को समाहित करते हुए पुनरीक्षित शासनादेश निर्गत करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

जनपद बुलन्दशहर के नेशनल इण्टर कालेज शिकारपुर में प्रबन्ध संचालक नियुक्त करने की मांग

106–श्री किरन पाल सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर की प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 12-6-2001 को पूरा हो गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय पर प्रबन्ध संचालक नियुक्त करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

विद्यालय का वेतन वितरण एकाकी परिचालन करके किया जा रहा है । विद्यालय में विद्यमान प्रबन्धकीय विवाद के सम्बन्ध में मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई हेतु दिनांक 19-8-2002 की तिथि निर्धारित की गयी है । सुनवाई के पश्चात यथावश्यक अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर मण्डल की चीनी मिलों पर किसानों का बकाया गन्ना मूल्य

107–श्री पूर्णमासी देहाती–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल की चीनी मिलों पर पेराई सत्र 2001-2002 का किसानों का कितना-कितना रुपया अलग-अलग मिलों पर बकाया है ? बकाये गन्ने मूल्य का भुगतान उन्हें कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

गोरखपुर मण्डल की कुल 14 चीनी मिलों पर पेराई सत्र 2001-02 का निम्नवत् गन्ना मूल्य बकाया है :—

(धनराशि लाख रुपये में)

नाम चीनी मिल	देय	भुगतान	अवशेष
सिसवाबाजार	2846.56	1710.30	1136.26
गडौरा	4670.86	4510.58	160.28
पिपराईच	539.84	75.00	464.84
सरदारनगर	1341.74	1196.59	145.15
प्रतापपुर	2091.03	1497.86	593.17
बैतालपुर	930.14	328.92	601.22
देवरिया	274.98	15.60	259.38
भटनी	223.15	4.59	218.56
कप्तानगंज	5334.91	4449.64	885.27
खड्डा	1992.17	1188.72	803.45

नाम चीनी मिल	देय	भुगतान	अवशेष
लक्ष्मीगंज	719.39	240.41	478.98
रामकोला-पी	4231.93	3040.69	1191.24
रामकोला-के	873.76	277.80	595.96
सेवरही	4548.43	3712.47	835.96

गन्ना मूल्य भुगतान कराने के लिए शासन के उच्च स्तर पर नियमित बैठकें करके गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा की जा रही है। चीनी मिलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। गन्ना मूल्य का भुगतान शीघ्र कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।

उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा चयनित उत्तरांचल प्रदेश में तैनात अध्यापकों द्वारा वापसी हेतु विकल्प पत्र दिये जाने की जानकारी

108–श्री पूर्णमासी देहाती–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा चयनित एवं उत्तरांचल प्रदेश में तैनात अध्यापकों द्वारा उत्तर प्रदेश में वापसी हेतु अपना विकल्प दिया है ? यदि हां, तो अब तक कुल कितने विकल्प पत्र प्राप्त हुये हैं एवं उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित एवं उत्तरांचल प्रदेश में तैनात अध्यापकों में से किसी अध्यापक का विकल्प पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ज्योतिबाफूले नगर के शहर गजरौला में वाम आर्गेनिक फैक्ट्री द्वारा वायु प्रदूषण करने सम्बन्धी जानकारी

109–श्री देवेन्द्र नागपाल–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ज्योतिबाफूले नगर के शहर गजरौला में वाम आर्गेनिक फैक्ट्री द्वारा किये जा रहे जल तथा वायु प्रदूषण से अनेक बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं। शहर गजरौला में वाम अर्गेनिक फैक्ट्री के जल एवं वायु प्रदूषण से विशिष्ट रूप से प्रभावित होकर कोई भी मरीज समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गजरौला में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के कतिपय बांध को ऊंचा एवं चौड़ा करने का प्रस्ताव

110–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर का अशोकवा–मदरहवा, दलपतपुर, परसोहन, मूसा, बंधा बाढ़ आ जाने पर टूट जाता है तथा फसलें डूब जाती हैं और काफी जन-धन की हानि होती है ? यदि हां, तो क्या उक्त बंधों को ऊंचा एवं चौड़ा करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, बाढ़ आने पर बांध नहीं टूटते हैं, बल्कि बाढ़ आने पर बांध ओवरटाप कर जाते हैं, जिससे फसले डूब जाती हैं, और काफी जन-धन की हानि होती है ।

जी हां ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद एटा से मुख्य नगर गंजडुण्डवारा तक रोड़वेज की बसों के संचालन का विवरण

111–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा से मुख्य नगर गंजडुण्डवारा तक चलने वाली रोडवेज बसों की संख्या कितनी है ? क्या इन बसों के संचालन की कोई निर्धारित समय सूची है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार निर्धारित समय सूची के अनुसार बसों का संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

एटा से मुख्य नगर गंजडुण्डवारा तक परिवहन निगम की संचालित बसों की संख्या 9 है ।

जी हां । (समय सारिणी संलग्न है)

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 99 पर)

जनपद इलाहाबाद के चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कालेज के वरिष्ठ सहायकों की सेवा पुस्तिका

112–श्री राम किंशुन–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि संयुक्त शिक्षा निदेशक चतुर्थ मण्डल इलाहाबाद के पत्रांक संख्या एम०/2981–81/98-99 दिनांक 20-6-98 के अनुपालन में चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कालेज इलाहाबाद के वरिष्ठ सहायकों की सेवा पुस्तिका उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बना ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फैजाबाद, तहसील रूदौली के ग्राम लोहटी सरैया के पास क्षतिग्रस्त साइफन तथा नाली की मरम्मत कराने की मांग

113–श्री अब्बास अली जैदी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद तहसील रूदौली के अन्तर्गत ग्राम लोहटी सरैया के पास शारदा सहायक नहर की बायीं पटरी पर पुल से पूर्व दिशा में लगभग एक फलांग की दूरी पर स्थित कुलाबा का साइफन तथा नाली कई जगह से टूट गई है जिससे कास्तकारों को सिंचाई कार्य में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कुलाबा का साइफन तथा पानी की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

कार्य प्रगति पर है, माह अगस्त के अन्त तक पूरा हो जायगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जे० पी० नगर के शहर हसनपुर में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने सम्बन्धी जानकारी

114–श्री देवेन्द्र नागपाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जे० पी० नगर के शहर हसनपुर में राजकीय डिग्री कालेज खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रदेश की वर्तमान कठिन अर्थोपाय की स्थिति के दृष्टिगत असेवित क्षेत्रों में निजी प्रबन्ध तंत्रों के माध्यम से स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है । अतएव वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना मद में कोई बजट व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

ज्योतिबाफूले नगर में 07 महाविद्यालय पूर्व से संचालित हैं । वर्णित स्थिति में जनपद ज्योतिबाफूलेनगर के शहर हसनपुर में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना का औचित्य नहीं है ।

जनपद बस्ती से गोण्डा बाया कतिपय मार्गों पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बस सेवा

115–श्री राधेश्याम जायसवाल–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में जहां पर सड़क परिवहन निगम की बसों की सेवाएं उपलब्ध नहीं है वहां पर निजी परिवहन मालिकों द्वारा बड़े पैमाने पर गरीब यात्रियों से किराया लेकर शोषण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि जनपद बस्ती में हर्रैया से बभनान तक किराया अधिक लिया जा रहा है ? बस्ती से गोण्डा बाया बभनान तक यात्रियों के आवागमन हेतु कोई बस सेवा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में बस्ती से गोण्डा बाया बभनान तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बस सेवा चालू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती से गोण्डा बाया बभनान मार्ग पर परिवहन निगम की सेवायें संचालित थीं । एक बस सेवा वर्ष 1995-96 से गोण्डा–बभनान–हरैया–बस्ती–गोरखपुर मार्ग पर संचालित थी तथा संचालन लाभप्रद न होने के कारण परिवहन निगम द्वारा दिनांक 23-8-96 को संचालन बन्द कर दिया गया । वर्तमान में दर्जी कुआं से मनकापुर–बभनान तक के अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर प्राइवेट बसों का संचालन हो रहा है । हरैया से बभनान तक अराष्ट्रीयकृत मार्ग है । जिस पर एक स्टेज कैरिज एवं ठेका गाड़ियां संचालित हैं । बस्ती से हरैया राष्ट्रीयकृत मार्ग है जिस पर परिवहन निगम की बसें संचालित हैं ।

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोण्डा से बस्ती बाया बभनान मार्ग की कुल दूरी 109 किमी० है, जिसमें से गोण्डा से दर्जी कुआं 12 कि०मी० तथा हरैया से बस्ती 32 कि०मी० कुल 48 कि०मी० ही राष्ट्रीयकृत है शेष 61 कि०मी० अराष्ट्रीयकृत है । शासन की वर्तमान नीति के अनुसार परिवहन निगम की सेवाओं का विस्तार अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर नहीं किया जाना है ।

जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील डुमरियागंज इटवा में ड्रेनेज, जल निकासी के कार्यों पर विगत वर्षों पर व्यय धनराशि का विवरण

116–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज, इटवा में ड्रेनेज, जल निकासी के लिये कुल कितने नाले की खुदाई व सफाई वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 में की गयी ? इसमें कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या यह सत्य है कि विभागीय अभियन्ताओं द्वारा उक्त कार्य में अनियमितताएं की गयी हैं ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

38 नालों की खुदाई व सफाई की गयी । इस कार्य में रुपया 38.88 लाख की धनराशि व्यय की गयी ।

जी नहीं, विभागीय अभियन्ताओं द्वारा की गयी अनियमितताओं का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर व बस्ती की कतिपय तहसीलों में विगत वर्षों में जल निकासी के नाम पर व्यय धनराशि का विवरण

117–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज, इटावा बांसी तथा बस्ती जनपद के भानपुर–सोनहा व रुधौली तहसीलों के अन्तर्गत सरयू नहर परियोजना के विभिन्न खण्डों द्वारा जल–भराव व जल निकासी के नाम पर वित्तीय वर्ष 2000-2001, 2001-2002 में कितनी परियोजनाएं स्वीकृत हुईं ? उनकी योजनावार कुल लम्बाई कितनी है ? प्रत्येक परियोजना पर कितना धन स्वीकृत हुआ ? तथा स्वीकृत धन से कौन-कौन कार्य कराये गए ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज, इटवा, बांसी तथा बस्ती जनपद के भानपुर–सोनहा व रूदौली तहसीलों के अन्तर्गत सरयू नहर परियोजना के विभिन्न खण्डों द्वारा जल भराव व जल निकासी के नाम पर वित्तीय वर्ष 2000-2001, 2001-2002 में कुल 55 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं।

योजनावार कुल लम्बाई, प्रत्येक परियोजना पर स्वीकृत धन तथा स्वीकृत धन से कराये गये कार्यों का पूर्ण विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, जो किसी भी कार्य दिवस में अवलोकित किया जा सकता है ।

उ० प्र० शासन द्वारा संचालित फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी द्वारा विगत वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण

118–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि उ० प्र० शासन द्वारा संचालित फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम पिछले दो वर्षों 2000-2001, 2001-2002 में आयोजित किये गये ? किन-किन किताबों के प्रकाशन हेतु कुल कितनी सहायता राशि प्रदान की गयी ? कितनी किताबों की पाण्डुलिपियां सहायता हेतु कमेटी के पास लम्बित हैं ?

श्री ओम.प्रकाश सिंह–

फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी में फखरुद्दीन अली अहमद यादगारी लेक्चर योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 में ''उर्दू अदब की मौजूदा सूरते हाल'' विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वर्ष 2001-2002 में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया।

प्रकाशन सहायता योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 में 41 पाण्डुलिपियों के प्रकाशन के लिए रु० 04,91,963/- तथा वर्ष 2001-2002 में 94 पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु रु० 11,49,973/- स्वीकृत किये गये।

कमेटी के पास वर्तमान में 102 पाण्डुलिपियां सहायता हेतु लम्बित हैं।

प्रदेश के राजकीय शिक्षकों की प्रवक्ता संवर्ग में पदोन्नति की कार्यवाही

119–श्री उदय राज–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन के कार्मिक विभाग द्वारा राजकीय शिक्षकों की प्रवक्ता संवर्ग में पदोन्नति के सम्बन्ध में 08 फरवरी, 99 को जारी की गई अधिसूचना के अनुरूप प्रवक्ता सेवा नियमावली, 92 के संगत प्राविधानों में संशोधन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992 में संशोधन की कार्यवाही गतिमान है।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 13 अगस्त, 2002 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयी हैं उनके नाम हैं श्री उदय राज,श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री अजीम भाई, श्री पारस नाथ यादव, श्री प्रागी लाल अहिरवार, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री शारदानन्द अंचल। श्री मुंशी लाल गौतम एवं श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की सूचनाएं प्रतीक्षा सूची में हैं और श्री विश्राम सिंह यादव व श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

उन्नाव–लखनऊ को जोड़ने वाले बनी मिर्रीकला व पुरवा मार्ग के अधूरे भाग को पूरा कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

1–श्री उदय राज–

[महोदय, अवगत कराना है कि बनी मिर्रीकला व पुरवा मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 21 कि०मी० है । उक्त मार्ग स्वीकृत हुए लगभग 20 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो चुका है । यह मार्ग उन्नाव व लखनऊ दो जनपदों को जोड़ने का कार्य करता है । विभाग की लापरवाही के कारण उक्त मार्ग बनी पुल के पास 1 कि०मी०, 300 मी० का भाग अब भी अधूरा पड़ा है । जिसके कारण उक्त मार्ग से आने वाले सैकड़ों गांव के लोगों के सामने आवागमन की गम्भीर समस्या बनी हुई है । मार्ग पूरा न होने के कारण उक्त क्षेत्र के लोगों में घोर निराशा व असंतोष व्याप्त है । अतः मैं आप से मांग करता हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर जनहित में चर्चा करा ली जाए ।]

श्री शिव प्रसाद गुप्त राजकीय चिकित्सालय, वाराणसी में आधुनिक सुविधाओं से युक्त वातानुकूलित बर्न यूनिट खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[मोहदय, देखने में आ रहा है कि सामाजिक विभिन्न परिस्थितियों के कारण जल कर पीड़ित होने वालों की संख्या में पहले की तुलना में वृद्धि हो रही है । ऐसे विशेष मरीजों की चिकित्सा के लिए श्री शिव प्रसाद गुप्त राजकीय चिकित्सालय, वाराणसी में कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं है । वैसे तो चिकित्सालय के अधिकांश वार्डों में गन्दगी का साम्राज्य है । लेकिन जल कर चिकित्सा हेतु भर्ती होने वाले मरीजों के लिए आवश्यक स्वच्छता के बिल्कुल उलट परिस्थिति विद्यमान है । बेड पर बिल्कुल गन्दे, बदबूदार और अत्यन्त पुराने गद्दे लगे हुए हैं जिस पर बिछायी जाने वाली बेडसीट की दशा भी स्वच्छता की दृष्टि से गन्दी ही रहती है । कमरे में सफाई नाम की कोई परिस्थिति दिखाई नहीं देती है । ऐसी परिस्थिति में जल कर चिकित्सार्थ भर्ती होने वाले मरीजों को इन्फैक्शन होने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है और हो जाया करती है जिससे अनेक मरीजों की मृत्यु हो जाया करती है । 30-40 प्रतिशत जल-कर भर्ती होने वाले मरीजों की जिन्दगी भी खतरे में रहती है । सामाजिक विषमता के कारण अक्सर आर्थिक रूप से विपन्न वर्ग ही इसके शिकार होते हैं । नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व की ध्यानाकर्षण सूचना के द्वारा मैं मांग करता हूं कि श्री शिव प्रसाद गुप्त राजकीय चिकित्सालय, वाराणसी में जल कर चिकित्सार्थ भर्ती होने वाले गरीब मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान एवं जीवनरक्षार्थ आधुनिकतम सुविधाओं से सम्पन्न "एक वातानुकूलित बर्न यूनिट" की स्थापना व्यापक लोकहित में की जाय ।]

जनपद फिरोजाबाद के कारखानों में मजदूरों से नियम विरुद्ध अधिक कार्य लिये जाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

3–श्री अजीम भाई–

[महोदय, निवेदन है कि कानून के अनुसार मजदूर से 8 घण्टा काम लिया जाना चाहिए लेकिन फिरोजाबाद के कारखानों में मजदूरों से 10 से 12 घण्टे तक काम लिया जा रहा है । स्थानीय प्रशासन श्रम विभाग पुलिस की सांठ-गांठ से कारखानादार श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं । जब कभी विभिन्न श्रम संगठन आवाज उठाते हैं कि काम के 8 घण्टा होना चाहिए तो उनकी नहीं सुनी जाती है । ताकत के बल पर उसके आवाज को दबा दिया जाता है । ऐसे कारखाने चिन्हित किये जाएं जो मजदूरों

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

से 8 घंटे से ज्यादा काम करवाते हैं। लचीले श्रम कानून को कठोर बनाया जाए तथा उसे कारखानेदारों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कृपया तत्काल कार्यवाही कराके दण्डित किया जाए।]

जनपद जौनपुर के मड़ियाहूं क्षेत्रान्तर्गत नदिआंव डैम की खुदाई/सफाई हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

4–श्री पारसनाथ यादव–

[महोदय, जनहित की महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि जनपद जौनपुर का विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं की भूमि भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही नीकी (खलार) है जल भराव की स्थित सदैव बनी रहती है यहां तक कि धान की फसल की रोपाई न होने के साथ गेहूं की फसल ठीक ढंग से अधिकांश भाग में पानी भराव के कारण नहीं बोई जाती है। जल निकासी की उचित व्यवस्था के कारण किसानों की हजारों एकड़ भूमि फसल की बोवाई से वंचित रह जाती है। जल निकासी हेतु क्षेत्र की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण ड्रेन ''नदिआंव ड्रेन'' जिसकी लम्बाई 27 कि०मी० है ठीक ढंग से खुदाई एवं सफाई न होने के कारण जल भराव बना रहता है अनेकों बार जिला प्रशासन एवं सरकार से उक्त ड्रेन की खुदाई एंवं सफाई की मांग क्षेत्रीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया किन्तु उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अतः जनहित की आवश्यकता को देखते हुए मड़ियाहूं क्षेत्र की नदिआंव ड्रेन की खुदाई एवं सफाई विशेष सहायता कोष से धन आवंटित कर तत्काल कराने की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी में मऊरानीपुर क्षेत्रान्तर्गत थाना अध्यक्ष उल्दन द्वारा अनुसूचित जाति के कतिपय लोगों के विरुद्ध लगाई गई झूठी अपराधिक विभिन्न धाराओं को निरस्त कर जांच कराये जाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

5–श्री प्रागी लाल अहिरवार–

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि दिनांक 7-8-2002 को शाम के समय आशाराम पुत्र श्री अन्ते चमार निवासी मगरवारा अपना इलाज कराकर झांसी से शाम को अपने घर लौट रहा था तो बंगरा चौराहे पर उतरा उसके पास किराये में दो रुपये कम थे, उसके पास पैसा नहीं था। इसी बात को लेकर बस का कन्डेक्टर उसे परेशान करने लगा उसी समय वहीं मौजूद श्री सुरजीत वर्मा थानाध्यक्ष उल्दन वहीं मौजूद थे जो शराब के नशे में धुत थे जिन्होंने कन्डेक्टर के कहने पर आशाराम की पिटाई करना शुरू कर दी, जब आशाराम पिटाई के डर से भागने की कोशिश की थी तो थानाध्यक्ष नशे की वजह से गिर पड़े, तो अन्य सिपाहियों द्वारा आशाराम को पकड़ लिया गया। जिस पर थानाध्यक्ष गुस्सा होकर उसको बांधकर बहुत पिटाई किये और बेहोशी हालत में उसे जीप में लादकर थाने में बन्द कर आये इस अन्याय को मौजूद जनता देख रही थी तो इसका जनता द्वारा विरोध किया गया। इस वजह से श्री सुरजीत वर्मा ने वायरलेस द्वारा गलत तरीके से सूचना देकर क्षेत्राधिकारी मऊ रानीपुर व कोतवाल मऊरानीपुर को मय पुलिस फोर्स से बुला लिया। जब क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर व कोतवाली मय फोर्स के बंगरा चौराहे पर पहुंचे तो थानाध्यक्ष उल्दन के कहने पर आशाराम के परिवार वालों को और अन्य लोग जो वहां खड़े थे जिनसे कोई मतलब भी नहीं था उनके ऊपर लाठी चार्ज करवा दी व 22 लोगों को थाने में ले जाकर इन लोगों की बुरी तरीके से पिटाई करायी गयी तथा 22 लोगों के खिलाफ झूठी अपराधिक विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराकर जेल भेज दिया गया। जिसमें ज्यादातर दलित अनुसूचित वर्ग के लोग हैं। इसके पश्चात् दि० 8-8-2002 को सारे क्षेत्र के थानाध्यक्ष व पी० ए० सी० बेकसूर

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गरीब लोगों के साथ मार-पीट कर रहे हैं तथा श्री वर्मा थानाध्यक्ष उल्दन का कहना है कि अभी 100 लोगों को और जेल भेजेंगे। इस कारण पुलिस का ग्राम वासियों में भय बना हुआ है तथा दलित लोग अपना गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं। यह घटना मेरे विधानसभा 814 मऊरानीपुर क्षेत्र जनपद झांसी की है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस घटना की जांच किसी सक्षम एजेन्सी द्वारा करायी जाये तथा सुरजीत वर्मा थानाध्यक्ष उल्दन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर दण्डित किया जाये तथा निर्दोष लोगों के खिलाफ थाना उल्दन में जो मुकदमा कायम किया गया है उसे वापस लिया जाये जिससे निर्दोष लोगों को न्याय मिल सके।]

मेरठ महानगर में पशु वधशाला (कमेला) के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

6–डॉ० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[महोदय, मेरठ महानगर में पशुवधशाला (कमेला) जनस्वास्थ्य के लिए गम्भीर खतरा है। महानगर की लगभग 70 प्रतिशत आबादी जिसमें सभी वर्गों के लोग हैं इससे त्रस्त हैं। विधान सभा में भी सरकार का आश्वासन था। तत्कालीन नगर विकास मंत्री श्री लालजी टण्डन जी के दौरे के समय सार्वजनिक तौर पर स्थानीय अधिकारियों ने 15 दिन में समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया था। स्थिति जस की तस जनता त्रस्त अधिकारी मस्त। गैर कानूनी तरीके से बधशाला परिसर में हड्डी पकाकर चर्बी निकालने का कार्य हो रहा है। मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के सीयर क्षेत्रान्तर्गत भूमिगत जलस्तर नीचे जाने के कारण इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प का विधायक कोटा बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

7–श्री शारदानन्द अंचल–

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाकर अपने वि०स०क्षेत्र सीयर जिला बलिया के गांवों में पीने के पानी के संकट की ओर मा० सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। क्षेत्र के गांवों में जमीन में जल स्तर काफी नीचे चला गया है। केन्द्र सरकार ने एक भू-गर्भ सर्वेक्षण दल पूर्वांचल के जनपदों में जल स्तर जांचने के लिए भेजा था जिसमें पाया गया कि 5 से 6 मी० तक जल स्तर जमीन में नीचे चला गया है और इसी प्रकार प्रदेश भीषण आवर्षण और विकराल सूखा का शिकार रहा है तो सामान्य हैण्ड पम्प जल स्तर से ऊपर होकर बेकार हो जायेंगे। तब पीने के पानी का घोर संकट आ जायेगा अब केवल इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प ही जल स्तर के नीचे तक का पानी निकाल पायेगा। यह अत्यन्त ही लोक महत्व का जल स्तर से संबंधित जुड़ा प्रकरण है ऐसी स्थिति में इण्डिया मार्का–2 ही सहारा रह गया है। यह बिडम्बना है कि विधायकगण के कोटे में मात्र पचास हैण्डपम्प दिया जा रहा है जो अपने क्षेत्र में लगवायेंगे और 1800 रुपये प्रति हैण्डपम्प लाभार्थी को देय होगा या विधायक निधि देय होगा जो अनुचित है। अतः गम्भीर प्रकरण को मा० सदन के संज्ञान में लेते हुए प्रति हैण्डपम्प 1800 रूपये का देय चार्ज खत्म कराने तथा सूखा को देखते हुए इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प का विधायक कोटा दो सौ बढ़ाने के निर्देश सरकार को देने का कष्ट करें।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 के अन्तर्गत आज जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनको मैं स्थगित कर रहा हूं। उन्हें बाद में माननीय सदस्य दोबारा देंगे तो उस पर विचार करूंगा।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई के औचित्य के प्रश्न की सूचना सुने जाने के प्रकरण पर व्यवस्था का प्रश्न

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

मान्यवर, मैंने एक सूचना दी थी । मैंने जो सूचना दी थी वह सदन की कार्यवाही से संबंधित है । आप जो कृपापूर्ण व्यवस्था देंगे वह शिरोधार्य है ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने एक माननीय सदस्य को बुला लिया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मुझे उनके बुलाने पर आपत्ति नहीं है । मान्यवर, विगत 2 दिनों से सदन नहीं चल रहा है । शुक्रवार को नहीं चला और सोमवार को नहीं चला । आज मंगलवार है, लग रहा है कि आज सदन चलना चाहिए । मान्यवर, सम्मानित सदस्य की सूचना कार्य-स्थगन पर नहीं हो सकती और न नियम 311 में हो सकती है क्योंकि सम्मानित सदस्य सत्तापक्ष के हैं । आप उनको नियम 300 की सूचना पर सुनना चाहते हैं । मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस विषय पर सदन 2 दिन नहीं चला और अगर आप सदन चलाना चाहते हैं तो इस किसी विषय को समाप्त करके पहले सूखे पर चर्चा करा लीजिये उसके बाद किसी दूसरे विषय पर चर्चा कराये । दो दिन सदन नहीं चला, हमारी वजह से नहीं चला लेकिन आज पहले सूखे पर चर्चा करायें । हमारे प्रतापगढ़ जनपद में हमारी तहसील में भूख से एक मौत हो गयी है और दूसरी तरफ सरकार के गोदामों में गल्ला भरा पड़ा हुआ है उसको बांटा नहीं जा रहा है, सरकार चुपचाप देख रही है ।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पहले सूखे पर चर्चा हो जिसकी वजह से सदन 2 दिन नहीं चला है, नहीं तो यह मजाक बन जायगा । जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से सदन चलता है । गोदामों में अनाज भरे हों और किसान भूखों मर रहे हों ।

श्री अध्यक्ष–

इसकी अनुमति नहीं है ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री प्रदीप माथुर, श्री दिनेश सिंह आदि कई अन्य सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये और सूखे पर चर्चा करने की मांग करने लगे)

श्री प्रमोद कुमार–

इस सदन में चर्चा होगी तो केवल सूखे पर होगी ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइए । यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

आप लोग कृपया अपने आसन पर जाएं ।

जब मैंने कह दिया है कि सूखे पर चर्चा होगी तो यह हठ कि तत्काल चर्चा हो यह हठ स्वीकार नहीं है । माननीय नेता प्रतिपक्ष से बात हो गयी है । इस पर चर्चा होगी । आप अपने आसन पर जाएं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बाजपेई जी आपकी सूचना आज विशेष परिस्थितियों में नहीं लेते हैं ।

(वेल में उपस्थित अनेक सदस्यों द्वारा नारे लगाने के कारण घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रमोद कुमार जी कृपया अपने सदस्यों से कहें कि वह अपने आसन पर जाएं ।

श्री प्रमोद कुमार–

आपने एक निर्णय ले लिया लेकिन क्या निर्णय लिया उसकी जानकारी हमें नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

जो निर्णय हुआ उसी के अनुसार, कार्यसूची के अनुसार, कार्य हो रहा है ।

श्री प्रमोद कुमार–

आपने दलीय नेताओं को बुलाया लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया कल्याण सिंह जी को नहीं बुलाया गया । चौधरी जी को नहीं बुलाया गया ।

श्री अध्यक्ष–

जिसको आवश्यक समझा गया उसको निमंत्रण दिया गया ।

(व्यवधान के मध्य)

* श्री राम नरेश यादव–

विधान सभा जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक है । पूरा प्रदेश सूखे से ग्रस्त है । इसी के कारण दो दिनों से सदन नहीं चल रहा है अकाल की बात जो उठायी गयी उसका जवाब नहीं आया । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए सबसे पहले सूखे पर चर्चा करा लें । यही मेरा आपसे निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 में सूखे पर सूचना है । थोड़े से औपचारिक कार्य हैं । वह पूरे हो जाएं ।

श्री अध्यक्ष–

इतनी देर में तो औपचारिक कार्य पूरे होकर 56 की सूचना प्रारम्भ हो गई होती । इतना धैर्य रखिये । सूखे पर चर्चा होगी । माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आश्वासन दिया है और मैंने भी कह दिया है । थोड़ा सा धैर्य रखिये ।

(कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन के वेल में बैठककर सूखे पर चर्चा कराये जाने की मांग करते रहे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया आप अपने स्थान पर चले जायं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि पिछले दो दिन से सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आज तो चलने दीजिये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं वही निवेदन कर रहा था कि आप किसी एक सदस्य को बुला लेते तो वह अपनी बात कहते फिर आप वहां से रिजेक्ट कर देते ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने किसी को बुलाया नहीं । आप पूरी बात बोलने देंगे नहीं फिर बाद में कहेंगे कि व्यवस्था का प्रश्न है ।

(वेल में बैठे माननीय सदस्य सूखे पर पहले चर्चा करायें उसके बाद अन्य कार्य किये जायं की मांग करते रहे)

(डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

बाजपेई जी, आपकी सूचना नियम–300 में आती है लेकिन मैंने कहा कि विशेष कारणों से उसको स्थगित कर रहा हूं । उस पर बोलने की अनुमति नहीं है । आप मेरा अनुरोध मान लीजिये । आज नहीं फिर दूसरे दिन । मैंने आपकी सूचना पढ़ी है और पढ़ने के उपरान्त ही कह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सदन नियमों से चले । सारा सदन जानता है जहां नियम–52 की सूचना स्वीकार होती है नियम–56 की सूचना स्वीकार नहीं होती है ।

(सदन के वेल में बैठे सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के सरयू नहर परियोजना में नहरों पर साइफन का निर्माण कराये जाने विषयक डा० मुजतबा हुसैन आदि निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की हस्ताक्षरित याचिका †

* श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से (1) जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत नहरों पर साइफन का निर्माण कराये जाने विषयक डा० मुजतबा हुसैन तथा श्री ताकीब रिजवी व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बस्ती डुमरियागंज मार्ग से नरखोरियां–परसाकुतुब कोटेखैरा सगरा मार्ग को पिच निर्माण कराये जाने विषयक श्री इरफान अहमद आदि जनपद सिद्धार्थनगर की हस्ताक्षरित याचिका†

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

(2) जनपद बस्ती डुमरियागंज मार्ग से नरखोरियां–परसाकुतुब होते हुए कोटेखैरा से सगरा मार्ग को पिच निर्माण कराये जाने विषयक श्री इरफान अहमद तथा श्री रंगीलाल चौधरी निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कुछ नहीं है ।

नोट :– † छापी नहीं गयी ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 12 अगस्त, 2002 को हुई अपनी बैठक में सदन के दिनांक 13 अगस्त से 16 अगस्त, 2002 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है और सदन का शेष कार्यक्रम यथावत रहेगा :—

अगस्त, 2002

13 मंगलवार	1–वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा । 2–नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में'' दो घंटे की चर्चा ।
14 बुधवार	1–वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा । 2–5.00 बजे अपराह्न से निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :– (1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 (2) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002 (3) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002
15 गुरुवार	(स्वतंत्रता दिवस का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।
16 शुक्रवार	1–वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा । 2–5.00 बजे अपराह्न से उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002 पर विचार एवं उसका पारण ।

(संसदीय कार्य मंत्री को बुलाने पर श्री नरेश अग्रवाल खड़े हो गये)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा आय-व्ययक पर साधारण चर्चा हेतु निर्धारित समय पर व्यवस्था का प्रश्न

* श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है और आप नियमावली के नियम–187 को देख लें । इसमें आय-व्ययक की चर्चा के सम्बन्ध में स्पष्ट लिखा है कि आय-व्ययक पेश होने के 2 दिन के बाद चर्चा शुरू होगी । पांच दिन कम से कम चर्चा होगी । मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति की जो सिफारिश आयी है जो इस एजेन्डे में संलग्न है । उसको पढ़ने से अगर चर्चा आज से शुरू मानें तो चार दिन होती है । जबकि नियम–187 में स्पष्ट है कि चर्चा 5 दिन से कम नहीं होनी चाहिए । मान्यवर, इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

यह ठीक है कि नियम–187 में आय-व्ययक प्रस्तुत किये जाने के कम से कम दो दिन बाद श्री अध्यक्ष द्वारा नियत दिनों पर आय-व्ययक पर या उसमें अन्तर्ग्रस्त सिद्धान्तों के किसी प्रश्न पर साधारण चर्चा सामान्यतया 5 दिन होगी, किन्तु 9 तारीख के बाद शनिवार और रविवार पड़ गया, 12 अगस्त को किन्हीं कारणों से सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई, 12 तारीख से चर्चा निर्धारित थी ।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

एक दिन और बढ़ा दें, चर्चा तो इसमें अभी हुई नहीं ।

(वेल में बैठे हुए कांग्रेस के माननीय सदस्यों के कारण व्यवधान हो रहा था)

श्री अध्यक्ष–

कार्य-मंत्रणा समिति की अगली बैठक में इस पर विचार कर लेंगे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (क्रमागत)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–7 में कुछ नहीं है ।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

* सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 की धारा–4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें ।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 की धारा–4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर आज दिनांक 13 अगस्त, 2002 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुईं । जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं । प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । पहली सूचना जो नियम–311 में प्राप्त हुई है यह प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है यह श्री मोहम्मद आजम खां, श्री अम्बिका चौधरी, श्री बलराम यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री वसीम अहमद, श्री संजय गर्ग, श्री दिनेश सिंह, श्री विनोद कुमार यादव, श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार ने दी है । दूसरी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, डा० अशोक बाजपेयी, श्री अम्बिका चौधरी, श्री राम बिशुन आजाद की है इन्होंने पूर्व विधायक डा० धर्मज्ञ मिश्र के ऊपर पुलिस द्वारा बल प्रयोग किये जाने के संबंध में सूचना दी है तीसरी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री शारदानन्द अंचल, श्री जियाउद्दीन रिजवी की है, इन्होंने पूरे प्रदेश में मुंहनोचवा के आक्रमण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है । चौथी सूचना डा० पूर्णमासी देहाती की है, इन्होंने जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत छितौली भैसहा बांध के ठोकर के कट जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है । पांचवीं सूचना श्री उदय राज की है इन्होंने प्रदेश की लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है ।

(घोर व्यवधान)

(सूखे पर सर्वप्रथम चर्चा की मांग करते हुए सदन के फ्लोर पर आये कांग्रेस के सदस्य वेल से वापस चले गये)

श्री अम्बिका चौधरी जी ने अनुरोध किया है कि पहली सूचना जो सूखे पर है उसमें सुनने के पूर्व पहले विधान सभा के पूर्व सदस्य माननीय डा० धर्मज्ञ मिश्र से संबंधित जो सूचना है उसको पहले ले लें तथा उसके बाद पहली सूचना ले लें, नेता प्रतिपक्ष और दूसरे माननीय सदस्यों ने अपनी सहमति दी है कि इसको बाद में ले लें ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र प्रकरण को पहले लिये जाने पर विपक्ष द्वारा आपत्ति

श्री प्रमोद कुमार–

अगर सदस्य के विषय में चर्चा होनी है तो पहले अखिलेश सिंह जी के बारे में चर्चा होगी, आपने जो कहा उसके लिए हम तैयार नहीं हैं पहले सूखे पर चर्चा करायें, वरना मुझे बतायें कि दो दिन सदन की कार्यवाही क्यों स्थगित रही ?

(व्यवधान)

* नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)– *

सूखे पर चर्चा के लिए सदन दो दिन नहीं चला, हम यह चाहते थे कि इसका सरकार एहसास करे, केवल समाजवादी पार्टी या कोई दूसरा दल सूबे को अकालग्रस्त घोषित करने पर बल नहीं दे रहा है बल्कि यह सबकी समस्या है । किन्हीं कारणों से सत्तापक्ष में बैठे लोग यहां नहीं कह पा रहे हैं लेकिन सच्चाई यही है कि वह इन प्रश्नों पर विपक्ष के साथ हैं अकाल की चर्चा की मांग तो बहुत बाद की थी, जब बजट पेश हुआ तभी मैंने आपसे निवेदन किया था कि अगर मुख्य मंत्री जी एक वाक्य कह दें,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित कर दें तो बजट पेश माना जाय पढ़ने की जरूरत नहीं है । लेकिन मुख्य मंत्री जी ने नहीं कहा.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें । माननीय नेता, प्रतिपक्ष अपनी बात कह रहे हैं जब आपका अवसर आयेगा तो आप अपनी बात कह लीजियेगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

लेकिन मुख्य मंत्री जी को प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित करने की फिक्र नहीं है । उन्हें जितनी फिक्र कालिदास मार्ग को बन्द करने की है, जितनी फिक्र अपनी सुरक्षा करने की है, जितनी फिक्र माननीय सदस्य, अतीक अहमद जी पर [× × ×]

(झूठ-झूठ की आवाजें)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहिये । जब आपका अवसर आयेगा आप उत्तर दे दीजियेगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मेरे लिये और विपक्ष के लिए कुछ प्राथमिकताएं हैं और उसी के तहत मैं यह समझता था । माननीय मुख्य मंत्री जी की नजर में आज की प्राथमिकताएं अपने जीवन की सुरक्षा के लिए (अपने जीवन की गुहार करने या यूं कहें कि मैं खतरे में हूं) तो 17 करोड़ की जनता किससे मांग करेगी ? मुंहनोचवा के लिए किससे कहा जाय ? जिससे कहा जाय वह स्वयं मुंहनोचवा है । एक तरफ मुख्य मंत्री जी खतरे में हैं, इनका जीवन खतरे में है, कालिदास मार्ग को सील कर दिया है और हमारा यह कहना कि प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित किया जाय यह हमारी प्राथमिकता है । मैं तो समझ रहा था कि सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया होगा, मैं बैठा नहीं था, प्रमोद जी को बुलाया होगा.....

श्री अध्यक्ष–

आप सूखे पर प्रारम्भ करना चाहते हैं तो करें ।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, सूखे पर तो चर्चा बहुत देर तक चलेगी । पहले आप दूसरी सूचना को ले लें । यह सूचना इस सरकार की बर्बरता की कहानी है । इसमें जितना टाइम लगेगा उतनी देर में तो जिले के दो तीन विधायकों के बारे में हम बता देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पहले सूखे पर चर्चा करायी जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

विपक्ष द्वारा आपत्ति हो रही है तो मैं जो क्रम से निर्धारित है उसी के अनुसार ले लेता हूं । माननीय नेता, कांग्रेस दल आपत्ति कर रहे हैं अगर आप उन्हें समझा सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । अगर वह सहमति नहीं देते हैं तो जो क्रम है मैं उसी के अनुसार लूंगा ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* डा० अशोक बाजपेई–

मान्यवर, एक भूतपूर्व विधायक पर हमला हुआ है जो बर्बरतापूर्ण आचरण है ।

श्री अध्यक्ष–

वह सब ठीक है अगर आपत्ति न होती तो मैं क्रम परिवर्तन कर सकता था ।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश की जनता की निगाहें आज की कार्यवाही पर लगी हुई हैं । पहले सूखे को प्राथमिकता दी जाय ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, [× × ×]

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत हो जाइए ।

*श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, पहले सूखे पर चर्चा करा लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप ही के दल के माननीय सदस्य की दूसरी सूचना है अगर आपत्ति न होती तो मैं अनुमति दे देता ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, अकाल से अलग कोई चर्चा नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 में दो सूचनाएं हैं । जिस क्रम में हैं उसी क्रम में सुनी जाएगी ।

*श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

*श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, जब दिन निर्धारित किया गया है तो इसलिये नियम–56 पर सूखे की चर्चा का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री अध्यक्ष –

पहले ग्राह्यता पर सुन लेते हैं । फिर पीठ से जो व्यवस्था आयेगी उस पर विचार होगा ।

*डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, ग्राह्यता पर विपक्ष तो अपनी बात कह ही लेता यह तो हमारे अधिकारों का हनन है। नियम–52 में जो चर्चा स्वीकार है उसे शुरू कर दें तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है । नियम–52 की चर्चा को नेता प्रतिपक्ष शुरू कर दें तो इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष –

ठीक है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री समर पाल सिंह ने मद संख्या–11 को कार्य-स्थगन के अन्तर्गत सूखे की सूचना में सम्मिलित करने की मांग की ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि सूखे की स्थिति से निबटने के लिए, इस संवेदनहीन सरकार के विरुद्ध बोलने के लिए आपने हमारी कई दिनों की जद्दोजहद के बाद मौका दिया है । नियम–311 का नोटिस हमारी तरफ से इस बात को लेकर था कि प्रदेश सरकार को अकालग्रस्त घोषित करें ।

(इस समय 12 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, बहस यह थी कि सत्तापक्ष की तरफ से जो आवाज सुनने की मिली और अलग से आपके कक्ष में सरकार का पक्ष आया वह यह था कि यह अकाल नही है सूखा है । और सूखा इसलिये कहा गया कि 1947 के बाद जब से हमारी सरकारें बनी और देश की जनता को अपना फैसला खुद करने का अधिकार मिला उस वक्त से ऐसा भयानक सूखा नहीं पड़ा है । यह सच्चाई है कि ऐसा सूखा पिछले 54 सालों में नहीं पड़ा है । लेकिन 54 सालों में पहले कई बार ऐसा हुआ है चन्द्रगुप्त मौर्य के जमाने में, अलाउद्दीन खिल्जी के जमाने में और 1940 में बंगाल में भयानक सूखा पड़ा और लाखों लोग सूखे में भूख की वजह से मर गये । उस वक्त पं० जवाहर लाल नेहरू ने यह कहा था कि ऐसे वक्त जब लाखों लोग भूख से मर गये हों और सरकार, अधिकारी संवेदनहीन हों, जैसी कि अभी हैं, खंभों से बांधकर उन्हें गोली मार देनी चाहिए । 1940 के बाद आजाद हिन्दुस्तान में 54 साल के बाद ऐसा सूखा पड़ा । मैं नहीं दोहराना चाहता हूं पं० नेहरू के वह शब्द फिर से । क्योंकि आज जनता की चुनी हुई सरकार है और यह मिसाल देना चाहता था कल, मान्यवर, लार्ड बहादुर हमारे आका थे यहां की जनता के, उस वक्त रियाया थी, हुकूमत के सामने जनता के हक न के बराबर होते थे । मैंने मिसाल देनी चाही थी कि मोटर में चलने वाले अंग्रेज बहादुर की गाड़ी से कोई गरीब हिन्दुस्तानी अगर कुचल जाये या मर जाये तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी ।

मान्यवर, उसमें एमेंडमेंट हुआ लेकिन कानून की स्पिरिट खत्म नहीं हुई । उस तरह सूखे से निपटने के लिए अंग्रेज बहादुर ने कानून बनाये थे हिन्दुस्तानियों के लिए वह इसलिए नहीं बनाये कि वे हिन्दुस्तानियों को भरपेट रोटी देना चाहते थे । इसलिए नहीं बनाये थे कि सूखे से मरते हुए वह गरीब आदमी अंग्रेज बहादुर से अपना हक पा ले । 1947 के बाद सूखे की स्थिति से निपटने के लिए, बल्कि आज अकाल की स्थिति से निपटने के लिए जो गुलाम हिन्दुस्तान में हमारे लिये कानून थे, वही हैं । मैंने बार-बार कहा कि अगर हमारे पास सक्षम कानून नहीं हैं अकाल से निपटने के लिए क्योंकि ऐसी स्थिति 54 साल में पहले कभी नहीं आयी थी । संविधान बदला जा सकता है, क्या हमारे यह नियम नहीं बदले जा सकते हैं । उत्तर प्रदेश की संवेदनहीन सरकार द्वारा एक बार बैठकर विपक्ष के साथ या अपने साथियों के साथ बैठकर इस अकाल से निपटने के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनायी जा सकती है । हमने किसी एक जिले के लिये नहीं कहा है, प्रदेश के गरीब किसान जो एक पैसे का भी अन्न नहीं बो पाये और बोयी हुई पौध जिन्दा नहीं रख सके उनके लिए हमने मांग की थी । सूखे में जो राहत मिलती है वह सरकार भी जानती है कि क्या मिली है । एक शब्द माफी का, रोक का कह दिया गया । कहां वसूलयाबी रोकी गयी है सारा झूठा प्रचार है फरेब है और इसलिए फरेब है कि जिस प्रदेश की सरकार की मुख्य मंत्री खुद अपनी जान बचाने में लगी हुई है यह [× × ×] जिसे अपनी जान की परवाह है कि 35 गाड़ियों और 25 ए० के० 47 राइफल के साथ चलने वाली, 17 करोड़ जनता के माथे पर

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

ऐसी [× × ×] हमें ऐसी संवेदनहीनता की उम्मीद थी । मुख्य मंत्री के गुनाहों की सजा 17 करोड़ जनता को मिलेगी, यह मालूम था । इसलिए मान्यवर, हमारे इस तरफ से कहा गया कि वसूलयाबी स्थगित कर दी गयी है, क्या मतलब है स्थगन का । गरीब मजदूर, किसान के ऊपर जो कर्ज है, जो कर्ज की वसूलयाबी आज होनी है, पहली बार स्थगन हुआ नहीं आज की तारीख तक वसूलयाबी बराबर जारी है, गिरफ्तारियां जारी हैं, उत्पीड़न जारी है । एक जिले में भी मान्यवर, सरकार यह इस वक्त बता दे कि जिलाधिकारी ने सूखे या अकाल से निपटने के लिए किसी जनप्रतिनिधि के साथ एक भी बैठक की हो तो हम कहेंगे कि हमारा सारा विरोध गलत है, ऐसे में मान्यवर, ये सूखे या अकाल से निपटेंगे, कैसे निपटेंगे । मान्यवर, गरीब किसान के पास 2 माह में वसूलयाबी दुगुनी हो जायेगी सूद ब्याज बढ़ जायेगा । अगर यह मान भी लिया जाय कि कुछ जिलों में वसूलयाबी रुक गयी होगी तो तहसील के वह कर्मचारी जो वसूलयाबी पर जीते हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो सिर्फ वसूलयाबी पर जीते हैं, कमीशन पर जीते हैं . जो गरीब मुलाजिम कमीशन पर जीता है उसके घर का चूल्हा आज बन्द है ।

इस सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कोई योजना नहीं बनाई, भूख से मरने वालों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया इसलिए सूखा नहीं हम चाहते हैं अकाल घोषित हो और क्यों चाहते हैं अकाल घोषित हो इसलिए कि जमीनें डेढ़-डेढ़ फिट रह गयी हैं । मान्यवर, तराई के इलाके में वाटर लेविल इतना नीचे चला गया कि जब पम्प चलाया गया तो अन्दर की पाइप फट गयी हैं । तराई के इलाके में धान का बोया हुआ पौधा दूसरे पौधे को सहारा नहीं दे सका । यह कहा गया पार्लियामेन्ट में कि 74.6 प्रतिशत फसल बोई गयी लेकिन संसद में या इस सदन में यह नहीं बताया गया कि जो पौध बोई गई उसमें बाकी कितनी बची । इसलिए मान्यवर, हमारा यह आग्रह था कि अभूतपूर्व सूखा है और इस सूखे के नतीजे में ही अकाल घोषित होना चाहिए और अकाल घोषित करने में, हमारी मांग थी, हमने यह चाहा था कि ब्याज माफ़ न किया जाय माफी किसी आजाद देश में और जनता की चुनी हुई सरकार में ऐसे शब्द कहलवाना कि माफ कर दिया जाय शायद लोकतंत्र की तौहीन हो । हमने कहा था माफी शब्द इस्तेमाल न हो बल्कि कहा जाय कि ब्याज समाप्त कर दिया गया । इसके साथ हमने यह चाहा था कि बैंकों से कर्जे दिये जायं, बहुत कम ब्याज पर दिये जायं । हमारे भंडार भरे हुए हैं, सड़ रहे हैं उसे मवेशी खा ले तो मर जाय, यह सही है बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि भंडार भरे हुए हैं, बेशक भरे हुए हैं, भंडार भरे हुए हैं, लोगों के पास काम नहीं हैं और जनता भूखी है तो किस काम का मान्यवर, यह भंडार है । भंडार भी भरे हुए हैं और काम नहीं है जनता भूखों मर रही है । मान्यवर, सरकार में बैठे हुए लोग विपक्ष की इस मांग पर कि प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित किया जाय इसके खिलाफ कहकहे लगा रहे हैं, हंस रहे हैं ये विपक्ष की मांग पर नहीं हंस रहे हैं जहां से और जिस समाज से चुनकर आये हैं उनकी गरीबी, उनकी बेबसी, भुखमरी पर हंस रहे हैं । हमारी मांग है मान्यवर, कि भंडार से मुफ्त अनाज तकसीम किया जाये और काम के बदले अनाज की योजना को जल्द से जल्द शुरू किया जाये । स्कूल के बच्चों को मुफ्त किताबें दी जायें, मुफ्त दवाओं की व्यवस्था की जाये और माफी का शब्द तो प्रयोग होना ही नहीं चाहिए । लोकतंत्र में माफी का शब्द नहीं होना चाहिए । माफ तो इनकी खताएं अगर जनता कर सके तो करे । मान्यवर, गलत नीतियों के सहारे, किसान-दुश्मन नीतियों के कारण प्रदेश 50 साल पीछे हो गया । प्रदेश की सरकार ने अकाल से निपटने की योजना नहीं बनायी है। अपनी सैरो-तफरी के लिए अय्याशी के लिए अम्बेडकर पार्क को 150 करोड़ रुपये के हवाले कर दिया गया । यह अय्याशी प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई की लूट और जनता के साथ धोखा है । इसी वजह से हमने चाहा था और 2 दिन सदन की कार्यवाही इसीलिए नहीं चल सकी कि प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित किया जाये । मैं उसी मांग पर बल देते हुए कि प्रदेश सरकार प्रदेश को, अकालग्रस्त घोषित करे, अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नियम–311 के अन्तर्गत प्रदेश की जो सबसे ज्वलन्त समस्या दुर्भिक्ष की समस्या, अकाल की समस्या है। प्रदेश की गरीब जनता भूखों मरने के लिए बाध्य हो गयी है, पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात शुरू करूं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री लालजी टण्डन अपने दो मंत्रियों को जो बातें नहीं समझा पाये हैं, उनकी कुछ शंकाएं रह गयी हैं। मैं उनकी शंका का समाधान कर दूं। मैं आइना हूं आपको आपकी शक्ल दिखा सकता हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, ऐसे लोग जो धमकाने का काम बाहर करते हैं, सदन में भी करें यह मुनासिब नहीं है। मान्यवर, हमें मालूम है कि [× × ×] की एक सरकार है, अपराधियों के हौसले बुलन्द हैं लेकिन हम अपराधियों को बता देना चाहते हैं कि [× × ×] मैं अपनी बात बहुत सफाई से कहना चाहता हूं।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर आपस में टोकाटाकी किये जाने पर–घोर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

हम अपराधियों की धौंस में आने वाले नहीं हैं। हमको धमकाया न जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अभी दो दिन तक यह सदन नहीं चल पाया। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि जिस विषय पर वार्ता चल रही है, उस पर ही अपने को सीमित रखें ताकि सद्भावना के वातावरण में इस गम्भीर विषय पर चर्चा हो जाय, इसलिए मैं सोचता हूं कि अपने को विषय तक सीमित रखें।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, चौधरी साहब इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। जब वह बोलते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ न कुछ अवश्य उनसे सीखेंगे, चाहे उत्तेजना में या चाहे जिस तरह। लेकिन उन्होंने अभी चुनौती दी और कहा कि [× × ×] चौधरी साहब को यह सम्बोधन नहीं करना चाहिए, इसको आप कार्यवाही से निकलवा दें। इसके बाद आगे वह अपना बोलें।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं पूरी तरह से अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूं। इस सदन में सभी सदस्य समान अधिकार लेकर जनता के द्वारा चुनकर भेजे गये हैं और अपने-अपने स्थानों पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात कहने के लिए, जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जो उनका उत्तरदायित्व है, उसका निर्वहन करने के लिए सम्मानित सदन में उपस्थित हैं। माननीय पीठ की अनुमति से कोई बात कहने का अवसर हो, तो उस स्थिति में पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी सदस्यों को एक दूसरे के साथ अपने आचरण को संतुलित रखना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कदाचित कोई दूसरा सदस्य होता तो वह किसी भी धौंस में आ जाता। लेकिन मैं अपनी बात पूरी प्रखरता से ही रखूंगा, मुझे धौंस देने का काम मुनासिब नहीं है, कृपया मुझे धौंस न दें। मैं अब इस प्रकरण को समाप्त करता हूं।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन्, दो दिन सदन नहीं चल सका और एक बात यह आई कि जब नियम–52 में सूखे पर चर्चा है तो फिर नियम–56 में क्यों लिया जाय । लेकिन आपने मुझे नियम–311 में हो रही चर्चा पर बोलने का अवसर दिया । मुझे सिर्फ थोड़ी सी बात कहनी है । सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है कि ऐसा अभूतपूर्व सूखा आजादी के बाद कभी नहीं पड़ा । देश के कृषि मंत्री जी भी स्वीकार करते हैं कि वर्ष 1987 में जो सूखा पड़ा था, उस समय जितनी बारिश हुई थी, मैंने दो दिन पूर्व जब यह नोटिस लगाई थी, उस समय तक, उस तारीख तक उससे भी कम बारिश इस उत्तर प्रदेश में रिकार्ड की गयी, यह मैं सिर्फ आंकड़ों की बात कह रहा हूं इससे आगे बढ़कर मान्यवर, हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में चन्दौली जिले में भूख से मरने वालों का जिक्र आया.....

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा, हमें अपनी बात कहने का मौका दें । ये शान्त हो जायेंगे तो मैं अपनी बात कहूंगा ।

श्रीमन्, हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में, लोकसभा में भुखमरी से मरने वालों की बात आयी । उसके साक्ष्य है । आज मैंने भी बात उठायी थी, आजमगढ़ जनपद में, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के क्षेत्र में भूख से मौतें हुई हैं ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर–

ये मौतें डायरिया से हुई हैं । यह लोग अस्पताल में भर्ती थे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं तो उल्लिखित करना चाहता हूं । मैं साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता हूँ । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के क्षेत्र में, पल्हना ब्लाक में राजभर जाति के दो लोग भूख से मर गये । ऐसी स्थिति में भी, जहां प्रदेश में भूख से मरना लोगों का शुरू हो जाये, इसके चलते अराजकता का स्तर आप देख लीजिए । अराजकता का स्तर इस सूखा के प्रभाव के चलते बढ़ा है, वह भी सिद्ध है । मान्यवर, ऐसी स्थिति में जहां पर लोगों का जीवन दूभर हो जाये । यह सामान्य सूखे का सवाल नहीं है जहां भुखमरी शुरू हो जाये, अराजकता इस तरह बढ़ जाये । समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों के मांग किये जाने के बाद भी प्रदेश को एकमुश्त सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया । कभी 20 जिलों, कभी 3 जिलों, कभी 4 जिलों, इस प्रकार टुकड़े-टुकड़े में प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने का काम किया गया। श्रीमन्, इस सरकार ने इसके लिए 791 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से मांगा । 10 फीसदी इनकी मांग की रकम केन्द्रीय सरकार ने दिया । यहां पर साझा सरकार है और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की साझा सरकार है, बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से । इस प्रदेश के सूखे के लिए मुख्य मंत्री जी ने 791 करोड़ रुपये की जो मांग की, 60 करोड़ की एक छोटी रकम कागजों पर कहां रह गयी ? मैं बताना चाहता हूं जिलों की ट्रेजरी में सूखा राहत का एक पैसा भी नहीं पहुंचा है यदि 60 करोड़ को बांट दिया जाए तो एक ब्लाक में, एक ब्लाक का औसत 4 लाख रुपये भी नहीं होगा । यह इस सरकार का इन्तजाम है । इसलिए श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से इस अकाल के सवाल पर पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जहां तक इस अकाल को हल करने के लिए, जो अकाल और दुर्भिक्ष आया है, इसके प्रति सरकार का क्या सरोकार होना चाहिए, इसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । श्रीमन्, यह फसल तो पूरी तरह चली

गयी है। खरीफ की 80 फीसदी फसल खत्म हो चुकी है, यदि आज से रोज बरसात हो तो ज्यादा से ज्याद 20 फीसदी फसल बचायी जा सकती है। श्रीमन्, एक साल अकाल पड़ता है तो उसका प्रभाव 3 साल तक रहता है, यदि सारी स्थितियां सामान्य हो जायें, मौसम सामान्य हो जाये तो भी। किसान तो पूरा बर्बाद हुआ ही है, खेती से जुड़ा श्रमिक जो रोपाई का काम करता था, खेतिहर मजदूर जो इसके सहारे अपनी रोजी-रोटी चलाता है, उस मजदूर के सामने भुखमरी का सवाल है। मान्यवर, कोई भी रोजगार खेत में है नहीं। 80 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर है और 70 फीसदी भूमिहीन है और खेती पर आधारित रहने वाले मजदूर हैं, वह पूरी तरह से भुखमरी का शिकार हैं। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें जो बी० पी० एल० के नीचे का गेहूं दिया जाता है, उसका सही उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके तहत आप राहत देने का काम कर सकते थे। आज आपकी पूरी तरह से पोल खुल गयी है, आज तस्करी से इस प्रदेश का गेहूं बाहर जा रहा है। राहत देने की जरूरत सिर्फ यह नहीं है कि उनके लिए वसूलियों में माफी दी जाय। कोई राहत नहीं दी गयी है। मैं चाहता हूं कि छोटे किसानों, गरीब लोगों, भूमिहीन लोगों के कर्जे पूरी तरह से माफ किये जायं और अन्तिम बात मैं कहना चाहता हूं कि तात्कालिक इन्तजामों के अलावा इस बात के लिए व्यवस्था कर लिया जाय कि रबी की फसल में सूखे से प्रभावित किसानों को खाद और बीज मुफ्त देने का इन्तजाम किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अन्तिम बात हो गयी है, आप समाप्त करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसी के साथ मैं यह कहता हूं कि यह सरकार असंवेदनशील है और इतने गम्भीर सवाल पर भी इसका आचरण अगम्भीर है। इसकी जितनी भी निन्दा की जाय कम है। इस सरकार को एक क्षण भी अपने स्थान पर रहने की आवश्यकता नहीं है और इस महत्वपूर्ण विषय पर तत्काल चर्चा कराने की अनुमति दी जाय।

*आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, पंचायती राज, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन एवं वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, एक बिन्दु की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं चूंकि इसे कभी कोई लाइब्रेरी में पढ़ेगा तो हमारी योग्यता की तरफ उंगली उठायेगा। चौधरी साहब ने कहा कि मान्यवर, भूख से मर गये तो यह, यह स्पष्ट कर दें कि मान्यवर, नहीं मरे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मुझे नहीं पता कि मैंने यह मान्यवर कहा कि नहीं कहा लेकिन मैं यह कहूंगा कि आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि ऐसी स्थिति दोबारा न आये।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सूखे और अकाल के सम्बन्ध में जो कुछ भी भावनाएं नेता विरोधी दल ने रखी हैं, जो भी भावनाएं उप नेता विरोधी दल ने रखी हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि पिछली शताब्दी का यह सबसे भयंकर सूखा है। मेरा सीधा सवाल इस सरकार से है कि अगर यह सबसे भयंकर सूखा है अब तक का तो आज तक सरकार ने राहत के नाम पर क्या किया है ? यहां निर्वाचित विधायक हैं जिनके क्षेत्रों में सूखा पड़ा है अकाल है तो मान्यवर, पहला काम तो यह होना चाहिए था कि कुछ राहत के कार्य किये जाते, खाद्यान्न योजनाएं बनायी जातीं, वस्त्र बांटने के लिए योजनाएं चलाई जातीं तो कौन सी खाद्यान्न योजनाएं चलाई गईं ? मान्यवर, विपक्ष के क्षेत्रों में तो पानी नहीं बरसा हो सकता है कि सरकार और उसमें शामिल सदस्यों के क्षेत्र में बरसात हुई हो। मान्यवर, इनके यहां बारिश पानी की हो या न हो लेकिन पूरे प्रदेश

को लूटकर जिस तरह से बारिश इस सरकार में हो रही है वैसी बारिश कभी नहीं हुई । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन में सत्ता पक्ष का कोई सम्मानित सदस्य खड़ा होकर साहस के साथ एक चीज कह दे कि उसके यहां बिजली 18 घंटे आ रही है, कह दे कि उसके यहां खाद्यान्न योजना चालू हो गयी है । मान्यवर, मैं उन सदस्यों की मजबूरी समझ सकता हूं जिनको लालीपाप दिखाया जाता है कि एक सप्ताह के बाद मंत्रिमण्डल का विस्तार होगा । टण्डन जी चिट्ठी लिखते हैं कि 28 तारीख को कर दें, फिर भी विस्तार नहीं होता । मैं परिवहन मंत्री जी की भी मजबूरी समझ सकता हूं। जो मंत्री पद की दौड़ में हैं, उनकी भी मजबूरी समझ सकता हूं ।.....

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय प्रमोद कुमार जी, यमक अलंकार में बोल रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए।

श्री प्रमोद कुमार–

आप कहें या न कहें लेकिन जो सच्चाई है उसको मैं कहना चाहता हूं । सत्तापक्ष की ओर से इसे कोई कहने को तैयार नहीं है लेकिन मैं यह कहने को तैयार हूं कि चन्दौली, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ में भूख से मौतें हुई । चन्दौली का प्रश्न लोकसभा में उठा था । हम सरकारी आंकड़ों पर नहीं जाते । आप घोषणा कर दें कि इस सदन के सम्मानित सदस्यों की समिति बनायी जायेगी । वह समिति इन तीनों जगहों पर हुई मौतों का मुआयना कर ले । मान्यवर, सर्वदलीय समिति चली जाय । आप जवाब किससे लेंगे, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और राजस्व अधिकारी से जो यदि कहेगा कि भूख से मौत हुई है तो उसकी नौकरी चली जायेगी । मान्यवर, आप पीठ पर बैठे हुए हैं, दृढ़ता दिखाइये और माननीय संसदीय कार्य मंत्री या नेता विरोधी दल की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दीजिए । यह समिति तीनों जगहों पर देख आये कि भूख से मौत हुई है या नहीं हुई है । फिर सरकार वहां से यहां न आये, सीधे राजभवन जाकर राज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा दे दे । मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, हम कहें सूखा है, अकाल है, आप कहें कि सूखा व अकाल नहीं है इससे काम चलने वाला नहीं है । 3 प्रतिशत से भी कम बारिश हुई है । सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जाये कि उत्तर प्रदेश में सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाये । जब तक राष्ट्रीय आपदा न घोषित किया जाये तब तक माननीय प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री जी को उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं रह गया है । कल नेता विरोधी दल ने इस पर कुछ कहने का प्रयास किया लेकिन रोक दिया गया । यह जो एक्ट है वह अंग्रेजों के जमाने का है । आज अकाल घोषित कीजिए और मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से जनता को सुख सुविधा मुहैया कराइये । कुछ कराइये या न कराइये लेकिन इतना तो करा दीजिए कि भूख से मौतें न हों, नहरों में टेल तक पानी पहुंच जाय और खरीफ की फसल तो चौपट हो गयी लेकिन इतनी व्यवस्था हो जायें कि रबी की फसल की तैयारी कर सकें । जो इधर दो-तीन दिनों से थोड़ी बारिश हो रही है उससे मौसम खुशनुमा हुआ है लेकिन जिस फसल की समय से रोपाई नहीं हो पायी उस फसल का उत्पादन क्या यह बारिश दिला सकेगी ? क्या विलम्ब से होने वाली बारिश से सूखा समाप्त हो जायेगा ? मान्यवर, 70-80 प्रतिशत फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है । किसान के घर में अनाज का दाना नहीं है । आपने किया क्या है ? आपने कहा है कि रिकवरी स्थगित कर दी है । इस समय आपको घोषणा करनी चाहिए कि किसानों के 10 हजार रुपये तक के कर्ज सरकार ने माफ कर दिया है, बच्चों की फीस को माफ कर दिया है ।

(माननीय अधिष्ठाता द्वारा लाल बत्ती जलाने पर)

मान्यवर, दो मिनट का समय चाहूंगा । मैं चाहूंगा कि जब जवाब दीजिए तो एक श्वेत-पत्र जारी कीजिए और बताइये कि इस सूखे से कितना नुकसान हुआ है संसदीय कार्य मंत्री जी आप दिखवा लीजिए, टंडन जी आप भी दिखवा लीजिए । कृषि विभाग की इस बात की रिपोर्ट है कि आन्ध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से सूखे से नुकसान का आंकलन आ गया है । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सूखे से

उत्तर प्रदेश में कितना नुकसान हुआ है कि इसका कोई आंकलन केन्द्र से नहीं कराया गया है । अगर ऐसा हुआ है तो यह सरकार की सबसे बड़ी भूल है आशा है कि इसको आप दुरुस्त करेंगे । आप ज्यादा से ज्यादा मांग केन्द्र के सामने रखिये । मैं कहना चाहता हूं कि जो स्थिति है उसको देखते हुए इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके राष्ट्रीय स्तर पर सूखे से निपटने के लिए विशेष प्रबन्ध जब तक नहीं किये जायेंगे तब तक काम नहीं चल सकेगा । आप यह न कहें कि दुअन्नी और चवन्नी मिलती है । इसको संशोधित करके जो मौजूदा स्थिति है उसको हिसाब से सहायता दीजिये । सूखा राहत कार्य चलाये जायं । 10 हजार तक के जो कर्जे हैं उनको माफ किया जाय । जो आज तक सबसे बड़ी चिन्ता है वह खेतिहर मजदूरों की है । जब गांव में खेती नहीं होगी तो खेतिहर मजदूर को काम नहीं मिलेगा । उसकी रोजी नहीं चलेगी उसके बच्चों की फीस नहीं जमा हो सकेगी और उसकी बेटियों की शादियां नहीं हो सकेंगी । इन शब्दों के साथ मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि सभी दलों के सदस्यों की एक समिति बना दी जाय जो चंदौली, आजमगढ़ और प्रतापगढ़ में चली जाय और सदन में अपनी रिपोर्ट 3 दिन में दे कि इन जगहों पर भूख से 3 मौतें हुई हैं या नहीं । अगर समिति नहीं बनायी जाती है तो मैं समझूंगा कि जो यह तीन मौतें हुई हैं उनको छिपाने का काम किया जा रहा है । इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर चर्चा की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं निवेदन करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं वही माननीय सदस्य बोलें । दो घंटे की चर्चा अभी सूखे पर होगी उसमें काफी सदस्यों को अवसर मिलेगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसको 2 घंटे के लिए सीमित न करें, समय बढ़ाया जा सकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम–52 के अन्तर्गत 2 घंटे की चर्चा अभी होनी है । उस पर काफी सदस्यों को बोलने का अवसर मिल जायगा । इस पर वही माननीय सदस्य बोलेंगे जिनके हस्ताक्षर हैं ।

*श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, इस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं । मैं खड़ा हुआ था लेकिन मैं आपके निर्णय को मानकर बैठ गया । मुझे कष्ट हो रहा है । पिछले 100 सालों में इतना सूखा कभी नहीं पड़ा जितना आज है । आज की इस चर्चा में मुख्य मंत्री को यहां रहना चाहिए था । लोग जो अपनी व्यथा-कथा कह रहे हैं उसको सुनना चाहिए था । भुखमरी से मौतें हो रही हैं । जिलों में राहत कार्य नहीं हो रहे हैं । मौजूदा हालत में एक श्वेत-पत्र की मांग की जा रही है । इससे ज्यादा लापरवाही और क्या हो सकती है, मैं राजस्व मंत्री जी का बयान पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश को केन्द्र की सहायता की आवश्यकता नहीं है । दूसरी तरफ केन्द्र से 700 करोड़ की मांग की जा रही है । इसमें केन्द्र सरकार की लापरवाही है और उत्तर प्रदेश सरकार की भी लापरवाही है । मैं अनुरोध करूंगा कि मुख्य मंत्री जी को आपको आदेश देना चाहिए कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में वह सदन में रहें । इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा शायद सदन में कभी नहीं हुई होगी । मुख्य मंत्री जी सदन में नहीं हैं यह खेद की बात है । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह बड़े शर्म की बात है ।

*श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने सूखे की जो भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई है उसके कार्य-स्थगन पर मुझे बोलने का मौका दिया । मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, माननीय अम्बिका चौधरी जी के विचारों के साथ अपने आपको सम्बद्ध करते हुए कुछ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

महत्वपूर्ण बिन्दुओं की तरफ इस सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । मैं उन तथ्यों को नहीं दोहराऊंगा जो पूर्व में रखे गये हैं । आजादी के 53 साल बाद 21वीं सदी में भी उत्तर प्रदेश में हम लोगों को और हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है । अगर बरसात नहीं होगी तो फसल नहीं होगी । इक्कीसवीं सदी के वैज्ञानिक युग में भी नदियों के प्राकृतिक जल स्रोतों को संचित करने की व्यवस्था नहीं कर पाये । जल कुप्रबन्धन का नतीजा यह निकला कि बरसात नहीं हुई तो फसल नहीं हुई । बरसात हो जाती है तो लहलहाती हुई खरीफ की फसल हजारों -हजार एकड़ में डेढ़ फीट धान की फसल कालीन की तरह लहलहाती नजर आती है ।

यहां पर 69.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई होती थी लेकिन आज तमाम जमीन सूखी हुई पड़ी है और किसान अपनी आंखें इन्द्र देवता की तरफ लगाये हुए हैं । वर्ष 2001-2002 में 589 मि०मी० वर्षा दर्ज की गयी थी वहीं यह मात्र 127.7 मि०मी० का पैमाना रहा है । हमने भूगर्भ में परमाणु विस्फोट कर दिया पर हम अपने किसानों को जल नहीं दे पाए, अन्नदाताओं को अन्न पैदा करने के लिए पानी नहीं दे पाए । जल स्रोत सूखते चले गये । हालत यह है कि पिछले 53 साल में 310 गुना सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए उसके सुदृढ़ीकरण के लिए बजट में वृद्धि की गयी । पहली पंचवर्षीय योजना में 262.2 करोड़ रुपये खर्च किये गये वहीं नवीं पंचवर्षीय योजना में 8 लाख 14 हजार 278 करोड़ सिंचाई के सुदृढ़ीकरण पर खर्च किये गये । परन्तु इसके बावजूद स्थिति वही बनी हुई है । तमाम अभियन्ताओं, योजनाकारों के प्रयासों के बावजूद स्थिति वही है । अगर इन्द्र देवता प्रसन्न नहीं हुए तो पूरा का पूरा प्रदेश सूखे से ग्रसित हो गया और फसलें नहीं हुई । लोक कल्याणकारी शासन होने के नाते किसानों को मुआवजा देना चाहिए था परन्तु इसके स्थान पर इस पर राजनीति होने लगी । पहले अपने चहेतों के जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया धीरे-धीरे उनकी फेहरिस्त बढ़ाई गई । और 62 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया दो जिले बाढ़ से ग्रसित हैं । इसके बावजूद 6 जिलों की अभी तक विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश सरकार के पास नहीं आई । हम किस तरह से जल प्रबन्धन करें, किस तरह से जल दोहन करें किस तरह से जल प्रबन्धन के संबंध में 10वीं पंचवर्षीय योजना में कानून बना सकें ताकि दुबारा सूखा न पड़ पाए । जो प्राकृतिक रिचार्जिंग नहीं हो पाया है तथा अत्यधिक जल दोहन हुआ है । सरकार के जो हाइड्रोग्राफिक स्टेशन हैं, कुएं हैं जिनको भूगर्भ जल स्तर का पैमाना माना जाता है । ऐसे कई जगह कुएं सूख गये हैं । लखनऊ में पांच कुएं सूख गये हैं, बांदा, रायबरेली में 4-4 कुएं सूख गये हैं । आगरा, मिर्जापुर में तीन-तीन कुएं सूख.गये हैं । हरदोई, गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मथुरा, सहारनपुर में दो-दो कुएं सूख गये हैं । यह भूगर्भ जल की स्थिति है । अत्यधिक दोहन की भी चर्चा चल रही है तो 90 के दशक में पश्चिम के कई इलाकों में जल स्तर 14 मीटर नीचे चला गया । अब इसके स्थान पर डीप बोरिंग की खुदाई शुरू हुई डीप बोरिंग कर ट्यूबवेल लगाये जाने लगे इस तरह से जल प्रबन्धन को जल कुप्रबन्धन में बदलकर इसमें निजीकरण की व्यवस्था करके किस तरह से गरीब किसानों को पानी देने की व्यवस्था कर सकेंगे । अगर पट्टे भी गरीब किसानों को दिये गये तो सिंचाई के लिए पानी नहीं दे पायेंगे । तो कैसे रोजगार देने की व्यवस्था हो पाएगी । मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं बंगाल के अर्थशास्त्री डा० अमर्त्य सेन ने कहा था कि लोकतंत्र में अकाल नहीं पड़ता, सूखा जरूर पड़ सकता है । मान्यवर, आज स्थिति किसी से छिपी नहीं है । विश्व व्यापार संगठन देश में किसी भी बफर स्टाक के पक्ष में नहीं है । इस समझौते के अनुसार बफर स्टाक की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि खाद्यान्नों के आयात निर्यात पर खुली छूट है । भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी नहीं रहनी चाहिए । ये सबल कारण बनेंगे जब सूखा अकाल में परिवर्तित होगा । सेन की दूसरी अवधारणा-अकाल प्राकृतिक प्रकोप नहीं वरन् शासन की इच्छा है का असर देखने को मिल रहा है । आगे आने वाले दिनों में दूसरे मुल्कों की तरफ अपने भूखे पेटों को भरने के लिए निहारना होगा । काम के बदले अनाज देने की व्यवस्था की बात सोचते कि किस तरह से इसको बढ़ावा दिया

जाय ? सरकार ने इस बात पर चिन्ता नहीं की । कृषि मजदूरों को कोई रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं बनाई ।

सरकार ने इस बात की चिन्ता नहीं की कि जल प्रबन्धन की व्यवस्था को कैसे सुचारु बनायें ? किस तरह से तालाबों को गहरा किया जाय ? जलागम क्षेत्र का विकास कैसे हो ? भूमि संरक्षण कैसे किया जाय ? नहरों/ड्रेनों की सफाई एवं रखरखाव की क्या व्यवस्था की जाय ? आज तमाम किसानों, खेतिहार मजदूरों की तमाम पिपासा खून के आंसू की तरह बह रही है और हमारी तरफ देखने का काम कर रही है । इस तरफ सरकार कितनी गम्भीर है यह तमाम चीजें उनकी राजनीति से जाहिर हो रही हैं । मनुष्यों की बात छोड़िये पशुओं के लिए चारा नहीं है । पेयजल की समस्या बनी हुई है । कम पानी में जो उपज होती है जैसे कि बाजरा, ज्वार, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, धान की कम अवधि में पकने वाली प्रजातियां इन सब फसलों के बीज का भण्डार हमारे पास नहीं है । बीज को संचय करने के लिए गोदाम हमारे पास नहीं हैं । निश्चित रूप से यह सरकार भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रही है । इसके साथ ही मैं मांग करता हूं कि काम के बदले अनाज की व्यवस्था हो, राहत कोष का पुनर्निर्माण किया जाय । किसानों के ऋण की वसूली स्थगित की जाय । ब्याज की माफी हो और मूल धनराशि की वसूली की पुनः किश्तों का निर्धारण हो । इतना ही नहीं वह तमाम बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके स्कूल की फीस माफ करने के साथ-साथ महामारी से रोकने के लिए उचित इलाज किये जायं क्योंकि सूखा और बाढ़ दोनों सरकारी कुप्रबन्ध के दो नायाब नमूने हैं । राहत देते समय यह सब दृश्य आपके आंख के सामने हो । कोई पक्षपातपूर्ण रवैया न अपनाया जाय कि कौन सत्तापक्ष से संबंधित है और कौन नहीं ? इन सब बातों से अलग हटकर प्राथमिकता के आधार पर राहत दी जाय । इन सबके स्थाई समाधान की आवश्यकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, बस एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा–

परिन्दा, पेड़, माली सबसे शिकवा है जफर मुझको
कि सबने बांट के खाया है, मेवा मेरे हिस्से का ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देता हूं और कहना चाहता हूं कि राहत कोष का पुनर्निर्माण किया जाय ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सूखे जैसे महत्वपूर्ण कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया । माननीय नेता प्रतिपक्ष, नेता विधान मण्डल कांग्रेस दल और अन्य सदस्यों ने उत्तर प्रदेश की सूखे से उत्पन्न स्थिति की ओर ध्यान दिलाया है जिस तरह शुरू हो रहा है उस वास्तविकता को इस सम्मानित सदन के समक्ष काफी विस्तार से रखा जो आज प्रदेश की जनता के सामने चुनौतियां हैं, संकट हैं, कष्ट है चाहे वह किसान हो, छात्र हो, दलित हो, सारी परिस्थितियों को अभी तक हम समाचार पत्रों के जरिए सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया प्रदेश के संबंधित विभागों को धन आवंटित कर दिया, संबंधित विभाग सूखा राहत से संबंधित कार्यों को ग्रामीण अंचलों में करा रहे हैं । मैं मान्यवर, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं आज की तारीख तक उत्तर प्रदेश के इस सम्मानित सदन के जितने सदस्य बैठे हैं चाहे वह सत्तापक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों कदाचित किसी क्षेत्र में रोजगारपरक योजनायें शुरू नहीं हुई हैं कोई एक सदस्य उठ कर यह बात कह दे कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे के कारण रोजगार का नहीं अभाव हुआ, वहां के गरीबों को,

दलितों को, मजदूरों को पलायन से रोकने के लिए काम के बदले खाद्यान्न योजना या कोई रोजगार परक योजना शुरू की गई है तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं अगर ऐसा होगा तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा । मैंने वक्तव्य देखा नेता सदन ने जो रखा और (व्यवधान) अन्य लोगों ने जो रखा मैं दुबारा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सरकार गुमराह कर रही है, प्रशासन के लोग गुमराह कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में सूखा राहत के संबंध में जो 14 हजार तालाबों में पानी भरने की बात कही गई, जो रिपोर्ट दी गई जितने निर्देश दिये गये जानवरों के चारे के संबंध में निर्देश दे रहे हैं और जो काम बताये शासन की रिपोर्ट आयी है 14 हजार तालाबों को भरा गया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह 10–20 जनपद की बात होगी लेकिन किसी जनपद के एक तालाब को नहीं भरा गया है, आप इसको दिखवा लें आप सम्मानित सदन की समिति बना दें, संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में बना दें 14 हजार में से चार हजार तालाब भी नहीं भरे गये हैं मैं पुनः कहना चाहता हूं मैं इस्तीफा दे दूंगा यह सूखे का विषय राजनीति का विषय नहीं है आप आंकलन करा लें क्या सूखा राहत कार्य करा रहे हैं ? जो सूखे की स्थिति पैदा हुई है उसमें हम अपेक्षा कर रहे हैं प्रदेश की जनता अपेक्षा कर रही है, नौजवान छात्र, विद्यार्थी सब अपेक्षा कर रहे हैं यह सदी का सबसे बड़ा सूखा है ऐसा सूखा कभी नहीं पड़ा, सभी यह अपेक्षा कर रहे हैं कि छात्रों की फीस माफ होगी, हमारा कहना है कि किसानों का जो लगान है उसको आप मुल्तवी न करें, माफ कर दें पिछले वर्षों की भी देनदारी पड़ी है उस लगान को फिर देना होगा, और जो देय हैं उसकी वसूली की जा रही है उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाये । उत्पीड़न हुए हैं कर्नैलगंज का उल्लेख नेता प्रतिपक्ष ने किया, आपने बताया प्रदेश में जनपदवार बजट आवंटित किया गया है कितना बजट आवंटित किया गया है यह वक्तव्य आना चाहिए जब तक जो क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित नहीं हुए थे जनता कहती थी कि उसको सूखाग्रस्त घोषित करायें जहां 50 फीसदी से ज्यादा फसल का नुकसान हुआ था वह क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित हो गये उसके बाद पूरा प्रदेश सूखा ग्रस्त घोषित हो गया, उसके बाद टेस्ट वर्क शुरू हो जाना चाहिए था लेकिन कहीं काम शुरू नहीं हुआ है काम के बदले खाद्यान्न की योजना शुरू नहीं हुई है कदाचित यह प्रदेश की जनता को समाचार पत्र में गुमराह कर रहे हैं । यह पहला सूखा नहीं है 1967 में सूखा पड़ा था और उस सूखे की रिपोर्ट होगी । आपने स्वयं वक्तव्य दिया है । उस समय सूखा पड़ा और अन्न पैदा नहीं हुआ तो उस समय अमेरिका से अन्न मंगाना पड़ा था । कांग्रेस ने चुनौती को स्वीकार किया था और उस समय हरित क्रान्ति योजना शुरू की गयी, विकास खण्डों के माध्यम से कृषि विभाग के माध्यम से तथा अन्य विभागों का समन्वय करके एक हरित क्रान्ति योजना शुरू की थी और उसी का परिणाम यह है कि आज 65 लाख मीट्रिक टन अनाज गोदामों में पड़ा है । आप अपने को गरीबों के नुमाइन्दे कहते हो, आज आप बाढ़ में बांटते हो, तो सूखे में भी बांटो ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी या राजस्व मंत्री जी जब उसका उत्तर दें तो इसका भी समावेश करें । यह बात सही है कि जब इस बार खेती नष्ट हो जाती है तो उसका असर अगली खेती पर भी पड़ता है । आपके गोदामों में गल्ला पड़ा है उसका वितरण करायें । सरकार को इस बात के लिए काम करना चाहिए कि प्रदेश की ग्रामीण जनता के लिए रोजगारपरक योजनायें चलायेंगे, खाद्यान्न उपलब्ध करायेंगे । मान्यवर, भू-राजस्व की माफी करते हैं । आप स्वयं वित्त मंत्री रहे हैं आपके जमाने में राजस्व प्राप्तियां क्या थीं, 12 प्रतिशत और जो राजस्व व्यय हुआ वह 14 प्रतिशत था इसका उल्लेख बजट भाषण में हुआ है आप स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं । सरकार ज्यादा खर्च कर रही है । पिछली बार यह प्रदेश बहत्तर हजार करोड़ रुपये के कर्जे में डूबा हुआ था, और इस वर्ष लगभग 83 हजार 401

करोड़ रुपये के कर्जे में होगया है। एक वर्ष में उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर 11 हजार 401 करोड़ रुपये के कर्जे में हो गया है। एक वर्ष में उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर 11 हजार 401 करोड़ का कर्ज़ा बढ़ गया है। इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति कहां पहुंच गयी है।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें। आपका समय हो गया है। मैं दूसरे मा० सदस्यों के नाम पुकार रहा हूं।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री बलराम यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री वसीम अहमद तथा श्री दिनेश सिंह का नाम पुकारा गया)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, तिलहन की खेती के बारे में भी हमने, कई वर्षों तक भागीरथ काम किया तब जाकर ठीक हो पायी। इस समय 87 लाख हेक्टेयर में बोयी गयी है। इस वर्ष खरीफ 65 लाख हेक्टेयर में बोयी गयी है....

श्री अधिष्ठाता–

इसमें ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इससे ज्यादा लोक महत्व का और कोई विषय नहीं हो सकता है। यह कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह प्रदेश की 17 करोड़ जनता का सवाल है। यह कृषि प्रधान प्रदेश है और 80 प्रतिशत किसान लोग हैं। आज वह अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनसे वसूली की जा रही है, बीमार बच्चों के इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं है तो इससे ज्यादा गम्भीर विषय और क्या हो सकता है ? मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना चाहते हैं उनको कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, जो ट्यूबवेल खराब हो गये हैं उनको बनवाया नहीं जा रहा है आप देख लें जो पैसा आवंटन हुआ है, प्रदेश में ट्यूबवेल के लिए वह पहुंच नहीं पा रहा है। मान्यवर, यह लोक महत्व का विषय है। मैं बताना चाहता हूं कि आज नहरों से टेल तक पानी नहीं पहुंचा है, प्रदेश के किसानों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। प्रदेश के किसानों का जो गन्ना मूल्य बाकी है वह भी 869 करोड़ 58 लाख है। आज पूरे प्रदेश में सूखे की स्थिति है और किसी भी जिले, ब्लाक में सूखे से निपटने के लिए कोई परियोजना चयनित नहीं की गयी है। भारत सरकार के कृषि मंत्री ने एक तरफ कहा कि जो फसल का नुकसान हुआ है उसका 1 से 4 हजार प्रति हे० के हिसाब से रुपया दिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठ जाइये।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, प्रदेश ने अभी तक अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को नहीं भेजी है। भारत सरकार से कोई टीम नहीं आयी है। यह प्रधान मंत्री जी का राज्य है। इस विषय से ज्यादा लोक महत्व का विषय और कोई नहीं हो सकता।

श्री अधिष्ठाता–

श्री दिनेश सिंह जी।

* श्री दिनेश सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। हम लोग चुनकर आये हैं और जनता की हमसे अपेक्षाएं हैं कि जब कोई प्रदेश का मसला होगा तो उसे हम सदन में रखेंगे और सदन के माध्यम से शासन-प्रशासन को मजबूर करेंगे कि इस संवेदनशील मसले पर वह संवेदनहीनता न दिखाए। आज पूरा प्रदेश सूखे से ग्रस्त है और इसके बावजूद जो सरकार का दायित्व है वह उसे पूरा नहीं कर पा रही है। आज की तिथि तक कोई भी सूखा राहत सामग्री वितरित करने का निर्णय नहीं हुआ है। सिंचाई मंत्री या कृषि मंत्री या इससे संबंधित किसी भी मंत्री ने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई है। यहां तक कि हमारे जनपद में नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंचा है।मेरा जनपद सिद्धार्थनगर भगवान गौतम बुद्ध की नगरी है और बाबा साहब श्री भीमराव अम्बेडकर उन्हीं के अनुयायी थे। हमारे समय में काला नमक नामक धान होता था जब वह रोपा जाता था तो पूरा खेत महकता था। वह जब घर में बनता था तो पूरा मोहल्ला महकता था। आज उस पर ग्रहण लग गया है। एक प्रश्नचिह्न खड़ा है। मान्यवर, सिद्धार्थनगर जनपद में काला नमक का बीज नहीं डाला गया, बैठोनी नहीं हुई, रोपाई नहीं हुई। उसे न हमने खाया है, न किसान खाता है क्योंकि वे उसे ज्यादा दामों में बेचकर बहन बेटी के हाथ पीले करता है, उससे रोजमर्रा की चीजें लाता है और अपने भविष्य की तैयारी में जुट जाता है। वहां आज काला नमक धान बोया नहीं गया है, आज सवाल खड़ा हो गया है भविष्य के लिए कि उसकी बहन बेटी की शादी कैसे होगी ? आज सिद्धार्थनगर के लोग बम्बई जाकर ठेला चलाने के लिए पलायन कर रहे हैं दिहाड़ी के लिए दिल्ली को पलायन कर रहे हैं। उनके खेतों में पानी पहुंचाने के लिए जो महली सागर है वह टूटा है टेल तक पानी नहीं जा रहा है उसे बनाया जाना आज जरूरी हो गया है। इसी तरह से महसई सागर–छंगडिहवा नाली से पानी नहीं जा रहा है, वह टूटा हुआ है, उसे बनवाया जाय। बानगंगा का पानी नैपाल रोक रहा है उससे वार्ता कर पानी पूरा आना सुनिश्चित किया जाय।

आज अम्बेडकर के अराध्य देव की धरती सिद्धार्थनगर में पानी की कमी है। (व्यवधान) क्या वहां की धरती पानी से नहीं भर सकती है ? वहां के किसान आज जानना चाह रहे हैं कि सरकार हमारे खेतों को कब पानी दे पायेगी ? आज हमारे यहां के काले नमक धान की खेती पर ग्रहण लग गया है; इसमें एक सुनिश्चित योजना तय की जानी चाहिए। अगर फसल बीमा है, तो उसका बीमा भी सुनिश्चित करना चाहिए। (व्यवधान) फसल बीमा योजना के तहत एक और बीमा लागू किया जाय, किसान सूखे और बाढ़ की मार से भुखमरी का शिकार हो जाता है तो ऐसे में फसल तैयार होने के पूर्व का बीमा लागू होना चाहिए। सरकार कह रही है कि किसी का उत्पीड़न नहीं होगा। मान्यवर, हमारे यहां राम बहादुर दलित को नौगढ़ तहसील वालों ने जेल के सींखचों में डाल दिया। मैंने वहां के अधिकारियों को और कलेक्टर को फोन किया, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। यह कहते हैं कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। पानी का स्ट्रेटा वहां नीचे हो गया है। पशुओं के लिए चारा न होने के कारण वहां चारे की समस्या उत्पन्न हो गयी है, वहीं पोखरों तथा तालाबों के सूख जाने के कारण पशुओं को पीने के लिए पानी तक नहीं मिल पा रहा है। जो विधायकों को 50-50 हैण्डपम्प देने की बात कही गयी है, उसमें 1800 रु० देने की बात आ रही है। ये बे-पानी की सरकार है हम लोगों को यह कुछ नहीं दे सकते हैं। जो ट्यूबवेल लगाया गया है वह बंद पड़ा है। बिजली की हालत यह है कि जैसे श्रीसत्य नारायण बाबा का प्रसाद मिलता है तो लोग संतोष के लिए खा जाते हैं, सिद्धार्थनगर में लोग बिजली को प्रसाद के रूप में ले रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वसूली को तुरन्त बंद करा दिया जाय, सारे देयों की वसूली को रोक दिया जाय। खाद्यान्न योजना पर काम कराया जाय, किसानों के कर्ज

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माफ किये जायें । बच्चों की फीस अविलम्ब माफ कर दी जाय । मेरे शोहरतगढ़–सिद्धार्थनगर विधान सभा क्षेत्र में, मैं कहना चाहता हूं बीमा योजना को अमली जामा पहनाने के लिए शासन के मंत्रियों से निर्देश चाहूंगा । मान्यवर, अगर इस सूखे पर यह सरकार संवेदनहीन होकर अपना निर्णय नहीं लेती है तो निश्चित रूप से इस सरकार को मृतप्रायः समझा जायेगा, और इसकी श्रद्धांजलि आने वाले दिनों में होगी । यह दूसरों के रहमोकरम पर निर्भर है । मैं आभारी हूं कि सूखे पर आपने बोलने का अवसर दिया ।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

* श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मेरा नाम है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने पहले बुलाया था आप थे नहीं, ध्यान रखा करिये ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, आपने नियम–311 में बोलने का वक्त दिया, मैं आभारी हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम–311 को नियम–56 में ले लिया गया है ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, जिस तरह से प्रदेश में अकाल की स्थिति आयी है उससे निपटने के लिए अभी तक कोई उपाय नहीं किया गया है । मान्यवर, बुन्देलखण्ड गत वर्ष भी सूखाग्रस्त घोषित किया गया था लेकिन गत वर्ष न तो कोई घसूली रोकी गयी और न ही कोई राहत दी गयी उसी तरह से आज भी वही स्थिति है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि ललितपुर में रेन-हारवेस्टिंग वाटर टैंक बनाये गये थे । ये लगभग 300 टैंक बनाये गये थे, 2000-2001 में, इसमें भारी अनियमितता की गयी है, टैंक ठीक नहीं हैं और इसमें सरकार का करोड़ों रुपया बरबाद हो गया है । मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में सम्पूर्ण रोजगार योजना का कार्य मशीनों, ट्रैक्टरों से कराया जा रहा है, फर्जी मजदूर चिट्ठा तैयार करके किसानों, गरीबों की गाढ़ी कमाई की धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है । मेरी मांग है कि सरकार ऐसे कार्यों को श्रमदान घोषित कराये ।

मान्यवर, भीषण अकाल के कारण तिन्दवारी विधान सभा क्षेत्र ब्लाक जसपुरा के ग्राम मडौली कलां, महवरा, सबादा, इछावर, खुप्तिहाखुर्द, झंझरीपुरवा में भीषण डायरिया की बीमारी से लोग मर रहे हैं, सैकड़ों लोग बीमार हैं । मेरी मांग है कि किसानों के सभी बकाया ऋण माफ किये जायं, स्कूली बच्चों की फीस माफ की जाय और वजीफा दिया जाय और काम के बदले अनाज योजना शीघ्र चालू की जाय, बुन्देलखण्ड में वाटर रिचार्ज करने हेतु तालाबों, बन्धी, बन्धों को बनवाया जाय ।

मान्यवर, आज बुन्देलखण्ड का किसान मजदूर रोजगार की तलाश में दिल्ली, बम्बई, सूरत, कलकत्ता के लिए पलायन कर गया है । वहां तालाब कुएं, हैण्डपम्प सब सूख गये हैं, पशुओं और वहां के निवासियों के लिए पीने के पानी का गम्भीर संकट पैदा हो गया है । राजकीय नलकूप बन्द पड़े हैं, नहरों, लघु डाल नहरों में पानी नहीं है, किसान फसल नहीं बो पाया है और जो फसल बोई थी, वह सूख गयी है । इसलिए मेरे क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाय ।

(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल के खड़े होने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

जिन लोगों के हस्ताक्षर हैं उनको बोलना था आपका विषय आगे है । अभी दो घंटे की चर्चा सूखे पर है, जो बोलना चाहें बोल लेंगे ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे सम्मानित नेता कांग्रेस, अन्य दल के सम्मानित सदस्यों ने सूखे पर चर्चा के संदर्भ में 9 तारीख से माननीय सदन को अस्त-व्यस्त होने की स्थिति में ले आये । 9 तारीख को भी माननीय नेता प्रतिपक्ष के सामने तय हुआ और लगभग 4 घंटे का समय दिया गया कि सूखे पर चर्चा करा ली जाय, सरकार भी इस पर पूरी संवेदनशील है, हो सकता है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे सम्मानित सदस्य से, जो प्रदेश में दैवी आपदाएं आई हैं उस पर, अच्छे सुझाव मिल जायं और जनता के प्रति जो सरकार कटिबद्ध है उनको राहत देने के लिए, जो दे रही है और जो अनुमन्य सुविधाएं दे रही हैं उसके साथ-साथ और भी हम प्रयास कर रहे हैं इसके अलावा इसमें और भी कहीं छूटा हो तो नेता प्रतिपक्ष से हम कुछ सीख सकें इसलिए सम्मानित सदस्यों से 4 घंटे की चर्चा कर ली जाय, फिर इधर सदन नहीं चल पाया ।

सूखे पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिलाये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । इसमें यह होना चाहिए था कि मुख्य मंत्री जी सदन में आकर जवाब दें । (व्यवधान) माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय राजस्व मंत्री जी की जिम्मेदारी है कि वह जवाब दें राजस्व मंत्री भी इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं । यह ठीक है कि अनुच्छेद 164(2) में सामूहिक जिम्मेदारी है लेकिन कम से कम राजस्व मंत्री को सदन में उपस्थित रहना चाहिए । इसका मतलब है कि सरकार में गम्भीरता नहीं रह गयी है ।

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी आरोप लगा रहे हैं । इसका जवाब माननीय राजस्व मंत्री या माननीय मुख्य मंत्री से दिलवायें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सम्बन्धित विभाग के मंत्री अनुपस्थित हों तब संसदीय कार्य मंत्री उसका उत्तर देते हैं। यह आप फैसला करेंगे, मैं कोई बात आपकी अनुमति से बोल रहा हूं तो आपको फैसला करना है । परम्परा यह रही है कि जो भी संबंधित मंत्री हैं वह उत्तर देते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी यह चर्चा ग्राह्यता पर थी, उस पर मंत्री जी बोल रहे हैं मैं समझता हूं ठीक है ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, 9 तारीख को चर्चा नहीं हुई है । मान्यवर, नियम–311 की नोटिस की तात्कालिकता तुरन्त खत्म कर दी गयी लेकिन तब भी सरकार संवेदनशील है । सूखा पीड़ितों के लिए, प्रदेश को राहत देने के लिए नियम–56 में ग्राह्यता प्रस्तुत करके चर्चा करायेंगे । हम लोगों ने जब इस ग्राह्यता पर सुनने का प्रयास किया तो आज तात्कालिकता जो प्रदेश के सामने इस प्रकार की दैवीय स्थिति है उस पर चर्चा न करके, चन्द्रगुप्त मौर्य तक चले गये, अलाउद्दीन खिलजी तक चले गये, वह जिस भी भावना से गये हों लेकिन अगर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से या किसी महापुरुष के नाम से कोई कुछ

करता है तो उसको अयूयासी मिजाज नहीं कहना चाहिए । श्री राम मनोहर लोहिया जी हों, महात्मा गांधी हों या बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर हों उनके मानने वाले लोग करोड़ 10 करोड़ रुपये खर्च करते हैं कि उनकी याद करनी चाहिए । लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर एक पार्क निर्मित हो गया तो उसको कह रहे हैं कि अयूयासी मिजाज से काम हो रहा है । अगर अयूयासी का काम हुआ है तो सैफई में हुआ है, जहां स्वीपिंग पूल बना, एयरकंडीशंड गेस्ट हाउस बना, खूबसूरत पोखरे बनाये गये, जहां निश्चित तौर से अयूयासी की जा सकती है । अम्बेडकर पार्क को उससे जोड़ना गलत है, महापुरुषों का सम्मान अवश्य होना चाहिए । लेकिन कुछ लोग अम्बेडकर पार्क की तरफ चले गये, कोई मुंहनोचवा की तरफ चले गये, कोई अतीक की तरफ चले गये, लेकिन सूखा पीड़ितों की तरफ कोई कंसन्ट्रेट नहीं हुआ । इसके अलावा प्रमोद जी ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले में एक पुरुष एड्स से मरा है, उसके लिए समिति बना दीजिये, मैं तो कहता हूं कि यह बहुत भयंकर चीज है, इसको रोका जाय, हम तो इस बात के पक्षधर हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए, यह पूरे देश का संकट है, इसके लिये अवश्य समिति बने । तिवारी जी ने यह भी कहा कि प्रतापगढ़ में जो मरा है, उसे भूख से मरना बताया गया । इसी तरह कोई लालगंज अस्पताल में डायरिया से मरा । पिछले 8–10 दिन से वह सी० एच० सी० में एडमिट था ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया है, इसलिये मुझे स्पष्टीकरण का अधिकार है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी मेरे नाम का उल्लेख करते हुए यह कहा था कि कोई पुरुष एड्स से मरा, जबकि उसकी मृत्यु भूख से होने की बात कही जा रही है । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने महिला का जिक्र किया था, किसी पुरुष का नहीं किया था । इनके यहां महिला-पुरुष में अन्तर नहीं है, भगवान ही मालिक है । मैं कह रहा हूं कि कुंडा में 65 वर्षीय महिला मरी । हो सकता है कि और कोई पुरुष एड्स से मरा हो और वह आप लोगों से संबंधित रहा हो । लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूं वह 65 वर्षीय महिला भूख से मरी है और ललकारा गांव की है, आप समिति बना दीजिए, यदि ऐसा नहीं होगा तो मैं खेद प्रकट करूंगा और अपनी बात वापस लूंगा और अगर यह सही है तो फिर संसदीय कार्य मंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जहां तक अभी हमारे माननीय प्रमोद कुमार जी ने कहा, पाल जी ने भी कहा कि कोई आंकलन नहीं किया गया कि कितनी क्षति हुई है । मैं बताना चाहता हूं कि विभागवार आंकलन कराया गया है और 11 हजार 756 करोड़ रुपये की क्षति हुई है ।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर)

बताने से भी इंफेक्शन होता है । हमारी सरकार ने विभागवार आंकलन कराया है और 11,756 करोड़ की क्षति हुई है और सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से विभागवार धन का आवंटन करके, धन अवमुक्त भी कर दिया है । खाद्यान्न के बदले काम योजना भी संचालित है और जिन गांवों में जिला पंचायत का काम हो, क्षेत्र समिति के काम हों चाहे गांव सभा के काम हों, गांव पंचायत के काम हों, आज सभी जगह उनको अनाज दिया जा रहा है । भण्डारों में अनाज पड़ा हुआ है और कहीं-कहीं तो मजदूर यह भी कह रहे हैं कि हमें अनाज के बदले पैसा दीजिए । कई जगहों पर अनाज डम्प पड़ा हुआ है । मान्यवर, आज सूखे की परिस्थिति में जैसा पाल साहब ने कहा कि 67 में सूखा पड़ा था, अमरीका से सड़ा हुआ अनाज मंगाया था लेकिन मान्यवर, आज स्थिति यह है कि हमें दूसरे देशों की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है । ऐसी स्थिति उस समय थी जब आपको अमरीका से अनाज मंगाना पड़ा था, इसे आप स्वयं एडमिट करते हैं, खाने के लिए अनाज नहीं था । आज गोदामों में अनाज भरा पड़ा हुआ है । सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राहत कार्य चलाये जा रहे हैं लेकिन जो

अकालग्रस्त की बात की जा रही है, मैं इस चीज के लिए आराधना करूंगा कि अकाल की स्थिति प्रदेश में न आने पाये ।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

अभी सूखे पर 2 घण्टे की चर्चा है ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, एक चीज कहना चाहता हूं, आज जिस मसले को हमें लेना चाहिए, जो नियम–56 के अन्तर्गत कहा है, आपकी नियम–52 के अन्तर्गत चर्चा स्वीकार है, लेकिन फिर भी ग्राह्यता में आपने इन्हें सुना । सरकार पूरी तरह से सूखा राहत के लिए कटिबद्ध है । सूखे से निपटने के लिए तमाम विभागों को धन अवमुक्त कर दिया गया है । केन्द्रीय सरकार से भी एक टीम आ रही है । बैंकों के कर्जों के बारे में कितनी राहत दी जा सकती है, इस सम्बन्ध में भी रिजर्व बैंक की टीम आ रही है, उसके आधार पर राहत दिलायी जायेगी । राजस्व की माफी के लिए जो खतौनी भेजनी है, जिलाधिकारी से कहा गया है कि वह रिलीफ खतौनी बनाकर भेजने का काम करें । इसकी रोजाना मानीटरिंग की जा रही है । नियम–56 में इसकी ग्राह्यता नहीं है । सरकार सूखा पीड़ितों को राहत देने के लिए कटिबद्ध है, इसलिए नियम–56 में यह ग्राह्य नहीं है, इसलिए इसको ग्राह्य न किया जाए ।

(विपक्ष के कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे–व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि इसकी मानीटरिंग करा रहे हैं.....

(उक्त प्रकरण पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट श्री राम विशुन आजाद, श्री वसीम अहमद, श्री बीजू पटनायक, श्री उदयराज, श्री राम करन आर्य, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री अजीम भाई तथा श्री दुर्गा प्रसाद यादव आदि समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपनी जगह पर बैठ जायें । इस पर मैंने चर्चा की सुना और अग्राह्य कर दिया । शासन का ध्यान आकृष्ट किया है और दूसरी चर्चा पूर्व विधायक डा० धर्मज्ञ मिश्र के ऊपर पुलिस द्वारा बल प्रयोग किये जाने के संबंध में है ।

(विपक्ष के सदस्य नारे बाजी करते रहे)

आपकी बात आ गई, अपना स्थान लें, आप लोग माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लें। दोबारा दो घण्टे की चर्चा होगी उसमें आप लोग हिस्सा लीजिएगा ।

(घोर व्यवधान)

15 मिनट तक के लिए मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 2 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजकर 35 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।

2 बजकर 35 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 45 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । दो बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी अकाल पर इस सदन में गम्भीर चर्चा हो रही थी । इसे चर्चा कहिये या नियम–311 की ग्राह्यता पर बोला जा रहा था । इसके जवाब में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक भी सरकार की नीति को यहां स्पष्ट नहीं किया । एक योजना भी नहीं बतायी । संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम हर रोज मानीटरिंग कर रहे हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री यही बता दें कि हर जिले को कितना पैसा मिला । कौन-कौन सी योजनायें जिलों में चलायी जा रही हैं और कहां पर किसानों की वसूली माफ की गयी है और छात्रों की फीस माफ की गयी है और बिजली देने के लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया है ? किसी भी चीज को माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन में नहीं रख सके हैं ऐसे में हमसे उम्मीद की जाय और विपक्ष से यह उम्मीद की जाय कि विपक्ष चीजों को गम्भीरता से नहीं लेता, हम चुप बैठे रहे और जनता को अपनी जवाबदेही न दे सकें तो यह हमारे साथ ज्यादती होगी । हम चाहते हैं कि पीठ से निर्देश होना चाहिए, संसदीय कार्य मंत्री, राजस्व मंत्री या मुख्य मंत्री जी स्पष्ट बतायें कि जो अकाल पड़ा है उसको यह मान रहे हैं या नहीं । अगर अकाल मान रहे हैं तो क्या राहत कार्य किये जा रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

इस पर अभी दो घंटे की चर्चा होनी है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया है । अगर ऐसा है तो विपक्ष भी सदन को गम्भीरता से नहीं लेगा । सदन चलाना हमारी ही जिम्मेदारी नहीं है । मुख्य मंत्री जी को सदन में बुलायें ऐसा नहीं है कि मुख्य मंत्री सदन से ऊपर हैं । वह नेता सदन जरूर हैं लेकिन नेता सदन की जिम्मेदारी होती है । इस पीठ से अगर हमें संरक्षण नहीं मिला तो हम मजबूर होंगे । प्रजातांत्रिक अधिकारों को अपनाने के लिए और उसका दोष अकेले हम लोगों पर दिया गया तो यह हमारे साथ ज्यादती होगी ।

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, पंचायती राज, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, यहां पर ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है ।

श्री उदयराज–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने टण्डन जी को पुकार लिया है ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जनपद में अधिकारी कहते हैं कि हमें सरकार की ओर से कोई सूचना नहीं मिली है कि वसूली नहीं करनी है ।

श्री लालजी टण्डन–

विभिन्न नोटिसेस पर जो यहां प्रस्तुत होती हैं उस पर सदस्य ग्राह्यता पर बोलते हैं । सरकार की ओर से जो उत्तर दिया जाता है वह इस पर होता है कि यह ग्राह्य है कि नहीं । जब इस पर चर्चा होने वाली है तो चर्चा के जवाब में सत्ता पक्ष की ओर से जो जवाब प्रस्तुत किया जाता है वह ग्राह्यता पर नहीं होता है । अभी जब चर्चा होगी उसमें जब सरकार जवाब देगी तो बतायेगी कि सरकार क्या कर रही है ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, टंडन जी ने अभी कहा है कि सरकार अपनी घोषणा चर्चा के समय करेगी। अभी चूंकि ग्राह्यता पर लोग अपने विचार रख रहे थे इसलिए ग्राह्यता पर बोलते समय सरकार अभी अपनी ओर से घोषणा नहीं करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या नियम–311 की नोटिस पर चर्चा के लिए तैयार है। अगर सरकार नियम–311 के अन्तर्गत इस पर चर्चा के लिए तैयार है तो बेशक हम उसी समय अपनी बात रखेंगे। क्या संसदीय कार्य मंत्री जी आप इस सूचना पर नियम–311 के अन्तर्गत चर्चा के लिए तैयार हैं।

श्री अधिष्ठाता–

यह नियम–56 में ले ली गयी है।

श्री अम्बिका चौधरी–

क्या नियम–56 के अन्तर्गत नोटिस मानते हुए इस पर चर्चा के लिए संसदीय कार्य मंत्री जी तैयार हैं।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सुखदेव राजभर–

चौधरी साहब एक चीज पर जोर दे रहे हैं। आप नियमों के ज्ञाता है। अनुभवी भी हैं। बराबर कोशिश करते रहते हैं कि सदन की कार्यवाही नियमानुसार चले। इस पर अभी ग्राह्यता पर चर्चा चल रही थी। सूखे का प्रश्न गम्भीर है। सरकार भी इस पर गम्भीर है। इस सम्बन्ध में राहत कार्य शुरू हो गये हैं। जब किसी नियम में कोई प्रश्न रेगुलेट नहीं होता है तब नियम–311 के अन्तर्गत प्रश्न लिया जाता है। अभी इस पर नियम–56 के अन्तर्गत चर्चा हो रही है। नियम–56 की नोटिस, स्वीकार है नियम–311 के अन्तर्गत चर्चा का औचित्य क्या है ?

श्री अधिष्ठाता–

इस पर दोनों तरफ से चर्चा हुई। मंत्री जी का उत्तर आ गया इस पर मैंने अपना निर्णय दे दिया। अब इस पर जब दो घंटे की चर्चा हो तब बोल लें।

श्री अम्बिका चौधरी–

टंडन जी ने स्वीकार किया है कि सरकार ने इस पर कोई घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा कि ग्राह्यता पर घोषणा किये जाने की आवश्यकता नहीं है चर्चा के समय घोषणा होगी। इस तरह से सरकार ने सीधे सीधे स्वीकार कर लिया कि राहत देने की कोई बात नहीं की है। जब हम ग्राह्यता पर अपनी बात रखते हैं तो सरकार कहती है कि ग्राह्यता पर कोई बात नहीं कही जाएगी इसलिए हमारा निवेदन है कि हमारी नोटिसें जो नेता विरोधी दल और दूसरे सदस्यों ने दी हैं और नियम–56 के अन्तर्गत दूसरे सदस्यों जिनको आपने सुनने का काम किया है। इन दोनों को एक साथ कर लें और उस पर सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं आती है तो हमारी ग्राह्यता के साथ-साथ इसको स्वीकार करें और चर्चा कराने का आदेश देने का कष्ट करें।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, अम्बिका चौधरी और नरेश अग्रवाल जी ने जो कहा है उस पर बल देता हूं। जब आप ग्राह्यता पर सुनते हैं तो हम सरकार से जरूर जानना चाहते हैं कि सरकार ने उसको

सुनने के बाद उस पर अपने क्या विचार व्यक्त किये । विपक्ष ने अपेक्षा की कि सरकार ने राहत के नाम पर क्या किया है ? सच बात तो यह है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है । आज विपक्ष ने बड़ी सहृदयता दिखाई । पूरी शांति के साथ और शिद्दत के साथ । आज मान्यवर, नागपंचमी का त्यौहार है और आज के दिन जहरीले नागों को भी दूध पिलाया जाता है । हमने जानते हुए भी कि जहरीले हैं, दूध पिलाने की कोशिश की है । मान्यवर, जब ग्राह्यता पर सुना गया तो इनकी तरफ से जवाब भी आना चाहिए । हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने मौजूदा अकाल की स्थिति से निपटने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की है । मेरा यह कहना है कि जहां तक यह जवाब नहीं आ रहा है वह इसलिए नहीं आ रहा है कि अभी तक इन्होंने इस स्थिति से निपटने के लिए कोई काम नहीं किया है । कोई भी सूखाग्रस्त क्षेत्रों को राहत नहीं दी है । मान्यवर, आप अपने निर्णय पर पुनः विचार करें और सरकार को निर्देश दें कि तत्काल राहत कार्य करायें और जो यह कहते हैं राहत कार्य किये हैं तो वे क्या-क्या कार्य किये हैं उनकी भी घोषणा करें । घोषणा नहीं करते हैं तो इनकी बात में दम कौन सा है ? अगर सरकार सूखे के नाम पर कुछ कर रही है तो वह उनके विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

नोटिसें और भी हैं ।

श्री उदय राज–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अधिष्ठाता–

व्यवस्था से ही संबंधित कहियेगा और कुछ नहीं ।

श्री उदय राज–

नेता प्रतिपक्ष तथा तमाम अन्य नेताओं ने अपने विचार रखे नियम–56 की ग्राह्यता पर और आपने सुनने का काम किया.....

श्री अधिष्ठाता–

उस पर निर्णय भी हो गया ।

श्री उदय राज–

मान्यवर, हमेशा यह परम्परा रही है कि जिन सदस्यों को ग्राह्यता के आधार पर सुना जाता है उस पर सरकार की तरफ से पक्ष आता है, जवाब आता है । ग्राह्यता पर सुनने के बाद जिस तरह से माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे तो लग रहा था कि वे कोई चुनाव सभा में बोल रहे हैं । न तो इन्होंने यह बताया कि पूरे प्रदेश में जो लोग पिछड़े हैं उनके लिए राहत के क्या-क्या काम किये या उनके लिये कौन-कौन सी योजनाएं हैं । इस तरह की एक भी घोषणा करने का काम इन्होंने नहीं किया । चर्चा के बाद उत्तर देने की बात नहीं है । जब ग्राह्यता पर सुना गया है तो उस पर जवाब आना चाहिए । सरकार ने सूखे से निपटने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अब दूसरी सूचना ले रहा हूं ।

(श्री वसीम अहमद, श्री राम करन आर्य, श्री बीजू पटनायक तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद आदि विपक्ष के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री अम्बिका चौधरी –

लालजी टण्डन ने स्वीकार किया है कि हमारे पास घोषणा करने के लिए कुछ नहीं है ।

(सदन के वेंल में आये सदस्यों के शोर करते रहने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपने स्थान पर बैठ जायं ।

(सदन के वेंल में आये सदस्य नारे लगाते रहे ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

और सूचनाओं पर चर्चा चलने दीजिए ।

(सदन के फ्लोर पर सदस्य नारे लगा रहे थे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आसन ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 3 बजे सदन की कार्यवाही 3 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 3 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 3 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है ।

3 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 3 बजकर 45 मिनट तक और बढ़ा दिया है । 3 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि स्थगन का समय 4 बजे तक और बढ़ा दिया है । 4.00 बजे डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 4 बजकर 15 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है । 4 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने 4 बजकर 30 मिनट तक का स्थगन और बढ़ा दिया है । 4 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने स्थगन का समय 4 बजकर 45 मिनट तक और बढ़ा दिया है । 4 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 4 बजकर 55 मिनट तक और बढ़ा दिया है ।

4 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 में सूखा के संबंध में जो सूचना थी, वह माननीय सदस्यों की ग्राह्यता के ऊपर सुनने और संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर को सुनने के बाद माननीय अधिष्ठाता महोदय ने उसे निरस्त कर दिया, फिर भी इस सदन के माननीय सदस्यों की यह इच्छा है, वह जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्देश दिये हैं ? वैसे तो चर्चा लगी है नियम 52 में और मैं समझता था चर्चा जब समाप्त होगी तो उस समय सरकार घोषणा करेगी, लेकिन आप यह सूचित कर दें या मोटी-मोटी बात आप बता दें तो मैं समझता हूं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष सहयोग देंगे और सदन की कार्यवाही चलेगी ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, नियम 56 की सूचना को आपने अग्राह्य किया और नियम 52 की चर्चा चलेगी, क्या उपाय किये गये उसके बाद ही उद्घोषित होंगे, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष ने बीच में कहा कि तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी उत्पीड़न हो रहे हैं । इस चीज का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, जिले को निर्देश

दिये गये हैं और सम्बन्धित अधिकारियों को भी निर्देश दिये गये हैं और आपके समक्ष भी मैं कह रहा हूं कि जो भी किसानों का बकाया लगान वगैरह है, वह सब भुगतान स्थगित कर दिये गये हैं। ऐसे किसान जो गन्ना किसान हैं या कृषि उत्पादन करते हैं या आपूर्ति करते हैं तो जब तक उनके उत्पाद का भुगतान न हो जाय तब तक उनसे वसूली नहीं की जायगी और न ही उनके खिलाफ कोई उत्पीड़न की कार्यवाही की जायगी।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, सिर्फ यही बात ही नहीं थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह बात स्पष्ट हो जाएगी, जरा शांत हो जायं। संसदीय कार्य मंत्री जरा स्पष्ट कर दें।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं उसी बिन्दु की तरफ आ रहा हूं जो सरकार ने निर्णय लिया है, जिसके लिए आप निर्देश दे रहे हैं, उसका पालन हो। मैंने शुरू में ही कहा कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश चले गये हैं। जो गन्ना किसान या कृषि उत्पाद करके आपूर्ति करते हैं,ऐसे किसानों को जिनका भुगतान नहीं हुआ है, ऐसे लोगों के खिलाफ उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाये जब तक भुगतान न कर दिया जाये।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आप कक्ष में कृपापूर्ण व्यवस्था करके सदन में आये और संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में अपनी बात कहना शुरू किया और पूरी बात हुंए बिना बीच में हस्तक्षेप होना शुरू हो गया।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर सत्तापक्ष के किसी सदस्य द्वारा बैठने का इशारा करने पर)

श्री जगदम्बिका पाल–

खड़ा होना मेरा अधिकार है। अनुज्ञा देना माननीय अध्यक्ष जी का अधिकार है। क्या हम खड़े भी नहीं होंगे ?

श्री अध्यक्ष–

पाल जी शान्त हो जाइये। इसमें तनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी सूचना पूरी करें।

श्री सुखदेव राजभर–

दूसरे सूखे की स्थिति के कारण कृषकों के राजस्व मुख्य देय भी स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ तमाम माननीय सदस्यों ने कहा कि बैंकों के ऋण हैं। इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए भारत सरकार से भी बात की और प्रस्ताव भेजा। रिजर्व बैंक की एक टीम आयी उससे भी बात कर रहे हैं कि किसानों के ऋण पर ब्याज में रिलेक्शेसन पर विचार हो रहा है। चौथे कल निर्देश गये हैं कि इन देयों के परिपेक्ष्य में अगर कहीं कोई बन्द किया गया है उनको छुड़वाया जायेगा। आज आप भी जो निर्देश देंगे उसका पालन किया जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने मण्डलीय समीक्षा बैठकों में भी इसी प्रकार के निर्देश दिये हैं। अगर कहीं उनका पालन नहीं हो रहा है तो कार्यवाही की जाये।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, सदन में जो मैंने आपसे निवेदन किया था और मंत्री जी शायद समझे भी थे और ऐसा आश्वासन बार-बार कहीं हुआ है कि सहकारी और सरकारी जितने भी कर्ज हैं, वह स्थगित कर

दिये जायेंगे, केवल किसानों के जिसमें पम्पिंग सेट और ट्रैक्टर के कर्जे भी आते हैं। इसके अलावा इन दिनों का (4-5 महीने का) जो ब्याज है वह भी माफ कर दिया जायेगा। चाहे सरकार उसे अपने ही खजाने से क्यों न अदा करे।

श्री अध्यक्ष–

अभी वसूली रोक रहे हैं तो फिर ब्याज भी रुकेगी ?

श्री मोहम्मद आज़म खां–

खजाने में जो भी पैसा है वह जनता का पैसा है उसको जनता के लिए इस्तेमाल करें। दूसरे एम० ए० क्लासेज तक की फीस माफ की जाये। जिलाधिकारी के यहां विधायकों और सांसदों की मीटिंग आने वाले इतवार को हो और जो बंद हैं उनको फौरन रिहा किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, एक तो जो किसानों की गिरफ्तारी हुई है वसूली के संबंध में उनकी रिहाई तत्काल सुनिश्चित कर लें। दूसरे जिलाधिकारियों को निर्देश कर दें कि इस आगामी इतवार को और आगामी इतवार ही नहीं बल्कि पखवारे में किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन सूखे के संबंध में, राहत कार्यों के संबंध में बैठक कर लें। जिस इतवार की बैठक हो और 15 दिन बाद पड़ने वाले इतवार को समीक्षा कर लें तो निरन्तरता रहेगी।

* श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

जब पीठ बोलती है, अध्यक्ष बोलते हैं तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

दूसरी बात जो कही गयी कि जो कृषि संबंधी देय हैं, पंपिंग सेट, ट्रैक्टर आदि भी कृषि से संबंधित हैं, उनकी वसूली के बारे में भी आप देख लें। छात्रों की फीस माफ करने के बारे में कहा गया है। विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थायें हैं और बहुत से निजी डिग्री कालेज स्वायत्तशासी संस्थायें हैं। अनेक स्थानों पर फीस न देने के कारण छात्र परीक्षा फार्म नहीं भर सके हैं। इसके बारे में भी कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी क्या यह सम्भव है कि किसी सीमा तक यदि आप छात्रों की फीस की वसूली स्थगित कर दें या माफ कर दें तो उचित होगा। हम चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही भी चलते रहे। आपने जो घोषणायें कर दी हैं वह होती रहें, शेष बातें भी आ गयी हैं, माननीय मंत्री जी ने संक्षेप में बयान दे दिया है, इस संबंध में चर्चा निरस्त नहीं हो रही है चर्चा अभी रहेगी। चर्चा के दौरान जो बहुत सी बातें और सुझाव आयेंगे उसके आधार पर सरकार की तरफ से बयान आयेगा और जो निर्देश देने होंगे वह दिये जायेंगे, उस समय विचार कर लिया जायगा। इस संबंध में जो नियम–56 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है उसको अग्राह्य कर दिया गया है।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, लोग भूखों मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप अलग से लिखकर दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, आपकी पीठ से तो बात आ गयी है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी कह दें।

श्री अध्यक्ष–

पीठ से निर्देश दे दिया गया है। मुझे विश्वास है कि उसका अनुपालन होगा।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मंत्री जी की घोषणा, सरकार की घोषणा है। आपका बड़ा शुक्रिया, बड़ा अहसान कि इतना आप हमारे लिये कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आपने जो फरमाया अगर उसको मंत्री जी कह दें तो ठीक हो जायगा।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी की बातों को मैंने दोहराया है, जो नहीं है वह निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, आपने कहा कि निर्देश दे दिया है तो निर्देश को कौन इग्नोर करेगा ?

श्री अध्यक्ष–

निर्देश का पालन करना तो इनका कर्तव्य हो जायगा।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, आपका आदेश मानेंगे उसकी उपेक्षा करना या न पालन करना नियमावली में नहीं है।

श्री राम गोबिन्द चौधरी–

आपने जो निर्देश दिया है उसको सरकार 100 प्रतिशत मानेगी, नहीं मानेगी तो पीठ की अवहेलना होगी।

श्री अध्यक्ष–

वह आश्वासन हो जाता है।

श्री सुखदेव राजभर–

अभी चौधरी साहब ने कहा कि पता नहीं सरकार मानेगी कि नहीं। यही स्थिति मुंहनोचवा की है। शंका की बीमारी है। मुंहनोचवा है नहीं।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी की, अम्बिका चौधरी की कार्य-सूची में है। नियम 56 के तहत आप लोग कल लिखकर दे दें कल पहली दो सूचनाएं प्राथमिकता के आधार पर ले लेंगे। शेष सूचनाएं शलाका के आधार पर चयनित होंगी। कल आप लिखकर दे दें।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत) †

श्री अध्यक्ष–

मा० नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि वह चर्चा प्रारम्भ करें।

नोट :– † दिनांक 12 अगस्त, 2002 की कार्यवाही से।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मैं आभारी हूं कि.....

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष को सुनने के लिए नेता सदन को रहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

नेता प्रतिपक्ष ने यह अनुरोध किया है कि वह चर्चा प्रारम्भ कर देंगे उसके बाद कल चर्चा जारी रहेगी। तब तक मुख्य मंत्री जी आ जायेंगी।

(इसी मध्य मा० मुख्य मंत्री जी सदन में आ गई)

श्री मोहम्मद आजम खां–

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं आपने 2002-2003 के बजट अनुमानों पर जो मा० मुख्य मंत्री द्वारा पेश किया गया है, मुझे चर्चा के लिए बुलाया है। आभारी हूं उसके लिए। मान्यवर, बजट होता है जनता के लिए और इस सबकी भरपाई करती है वही जनता जिसके लिए बजट है। जनता की गाढ़ी कमाई से भरा हुआ खजाना, जनता के लिए इस्तेमाल होता है। सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वह इस तरह का बजट बनाएं जिससे जनता को लाभ हो, उनकी गरीबी कम हो, उनकी समस्याएं कम हों। उनकी तकलीफें कम हों। जीवन की दौड़ में वह भी सबके साथ दौड़ सके। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। जनसंख्या ज्यादा है, समस्याएं ज्यादा हैं। लेकिन सरकार बड़ी है, सरकार का खजाना भी बड़ा है, सरकार के हाथ भी बड़े हैं। कई बार मुझे इस सदन में पेश होने वाले बजट को सुनने का मौका मिला है। लेकिन मैं बड़ी माफी के साथ कहना चाहूंगा जितने भी बजट अभी तक 1980 से लेकर अब तक इस सदन में पेश हुए हैं उनमें यह बजट सबसे कमजोर है, सबसे दिशाहीन, बेमकसद, बेमतलब और फिजूल का बजट है। यूं तो यह शब्द है जो हम लोग प्रयोग करते हैं यहां के लोग उधर चले जाएं व उधर के सदस्य इधर चले आएं तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग होगा। यह शब्दों का इतिहास है लेकिन सच्चाई भी है और वह सच्चाई यही है कि किस तरह से एक वर्ग के लिए तो बहुत सी बातें कह दी गई हैं, बहुत पैसा खर्च करने की योजनाएं भी हैं लेकिन बाकी सबके लिए सिवाय वायदों के आश्वासनों का मुफ्त जाम पिलाने के अलावा इस बजट भाषण में कुछ नहीं है। कहा तो यह गया है कि मुख्य मंत्री जी ने बापू के कथन को दोहरा दिया कि "गांवों के विकास के बगैर देश का विकास नहीं होगा।" बापू ने कहा था कि "अगर तुम भारत को देखना चाहते हो तो गांवों की ओर जाओ तुम्हें भारत देखने को मिलेगा।" लेकिन भारत सिर्फ अम्बेडकर गांवों में नहीं है। भारत बसा है हर उस गरीब की झोपड़ी में, उस हर गरीब किसान की खेती में, जिसे बिजली नहीं, पानी नहीं, खाद नहीं। अकाल की मार से वह ग्रसित हैं। उस तक इस बजट का लाभ नहीं पहुंच रहा। जिसको हम "पर कैपिटा इनकम" कहते हैं। मैं बात को यहां से शुरू करूंगा क्योंकि बजट है गरीब के लिए, जनता के लिए, किसान के लिए, खेतिहर किसान के लिए, मजदूरों के लिए, पत्थर तोड़ने वालों के लिए, ईंट गारे का काम करने वाले के लिए, बीड़ी बनाने वाले के लिए, कालीन का काम करने वाले के लिए, मुरादाबाद के बर्तन का काम करने वाले, सरकारी सहारनपुर की लकड़ी पर नक्काशी करके विदेशों में भेजने वाले, आगरे के एक ताजमहल जो कि मुमताज महल की याद में शाहजहां ने बनाया था। दुनिया में लोगों ने एक ही ताजमहल नहीं देखा जो शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनवाया। लेकिन उन गरीबों के हाथों ने तमाम ताजमहल बनाये जो दुनिया के हर घर में ड्राइंगरूम में पहुंचाने का काम किया है। मैं उस गरीब की बात कर रहा हूं। उस गरीब के लिए इस बजट में एक भी शब्द नहीं है, उसके भविष्य के लिए इसमें एक भी शब्द नहीं है। इस प्रदेश की मुख्य मंत्री एक महिला हैं लेकिन इस बजट में महिलाओं के लिए एक भी शब्द नहीं है। शोषित महिलाओं के लिए नहीं है, समाज की उस महिला के लिए भी नहीं

है जो समाज की सबसे दुःखी महिला है। जो मैला और गन्दगी उठाने का काम करती हैं, उस महिला के लिए भी एक भी शब्द नहीं है। मैंने कहा था, इसी सदन में कि कोई मतलब नहीं रह गया है 54 साल की आजादी का। सड़क के किनारे बैठी 90 साल की बूढ़ी महिला और 14 साल की जवान बच्ची पर जब मोटर की रोशनी पड़ती है उसके कपड़े गन्दे हो जाते हैं। आज 54 साल की आजादी के बाद यह बापू के सपनों का भारत नजर आता है। आज भी हमने कोई सीख नहीं ली। आपके पीछे सिर के ऊपर हम सबके सिर से ऊपर तस्वीर लगी है बापू की जिसमें बापू के पूरे शरीर पर कपड़े नहीं हैं। बापू कपड़े इसलिए नहीं पहनते थे कि वे पहन नहीं सकते थे। थर्ड क्लास में सफर करते थे लेकिन खर्च फर्स्ट क्लास से ज्यादा आता था। लोग कहते थे कि हड्डी, खाल और गोश्त वाले आदमी को ठंड नहीं लगती। वे कपड़े इसलिए नहीं पहनते थे कि उसके देश के लोग नंगे और भूखे हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत पर कैपिटा इनकम से करना चाहता हूं। इस देश और प्रदेश का वह हर गरीब व्यक्ति जिसके काम के बदले दाम का इन्तजाम आपकी सरकार नहीं कर सकती। 1997-98 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 8072 रुपये थी। 1998-99 में 9078 रुपये थी। 1999-2000 में 9765 रुपये थी। इस प्रकार 1997 में प्रति व्यक्ति आय में जहां हजार रुपये से अधिक की वृद्धि हुई थी, वहीं 99-2000 में सिर्फ 713 रुपये की वृद्धि हुई है। मान्यवर, इस तरह से गरीब और गरीब होता चला गया और हालत यहां तक पहुंची कि हम कहां आ गये। हम पिछड़ते पिछड़ते दुनिया के भ्रष्टतम प्रदेशों की सूची में। क्योंकि मान्यवर, जब समाज बिगड़ता है तो समाज को बिगाड़ने की जिम्मेदारी जो बुनियाद के नीचे रहने वाला व्यक्ति है उससे समाज नहीं बिगड़ता है। समाज व्यवस्था वहां से बिगड़ती है जहां से सबसे ऊंची सीट मिलती है, इसलिए भारत भ्रष्टतम देशों की सूची में पांचवें नम्बर पर आ गया, इससे बड़ा कलंक और नहीं हो सकता है। हम दुनिया की निगाह में पांचवें नम्बर के बेईमान देश हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े 53 देशों में,

(व्यवधान)

आर्थिक रूप से 50वें नम्बर पर हैं। किस पर जिम्मेदारी है, चपरासी पर ? क्लर्क पर, जूनियर इंजीनियर पर ? एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पर ? लेखपाल पर ? पटवारी पर ? एस० डी० एम० पर ? कलेक्टर पर ? कमिश्नर पर ? जिम्मेदारी है सत्ता पक्ष की कुर्सी पर, मुख्य मंत्री पर, प्रधान मंत्री पर, इसलिए मान्यवर, गरीब आदमी की आमदनी नहीं बढ़ सकती है। आमदनी बढ़ी [× × ×] की जिनके बिस्तर से दस करोड़ रुपये निकले,.....(व्यवधान) क्षमा चाहूंगा मान्यवर, क्षमा चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

वह माननीय सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिए नाम नहीं ले सकते हैं।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

क्षमा चाहूंगा, बेगैरतों में यह गैरत न होती, लेकिन मुझमें है.....(व्यवधान) मान्यवर, यह भी हमारे देश के लोगों की कमनसीबी है "हजारों हमारे दामन में लगे हैं पैबन्द, लेकिन खुदा का ऐसा शुक्र कोई धब्बा नहीं" लेकिन जो इस सदन में भगोड़े घोषित कर दिये गये, जिनके मकानों की कुर्की हो गई, वह मंत्री हैं (व्यवधान)

ऐसे हालात में मुख्य मंत्री के बजट भाषण पर बहस करने का मौका मिला है तो मैं पर कैपिटा इनकम के बारे में कहना चाहूंगा। गरीब की मेहनत बढ़ी है और गरीब की मेहनत का दाम कम होता रहा। ऋणग्रस्तता 92 हजार करोड़ से अधिक है। पिछले 6-7 महीनों में मान्यवर, लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की फिजूलखर्ची हुई अगर हम अन्य प्रदेशों में देखें वहां कोशिश की गई कि

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

फिजूल खर्ची रुकनी चाहिए, अन्य प्रदेश इसमें कामयाब हुए हैं, अभिभाषण में बार-बार कहा गया, फिजूल खर्ची रोकने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका । दस हजार करोड़ फिजूलखर्ची है । 92 हजार करोड़ ऋणग्रस्तता । मान्यवर, जो बजट पेश हुआ है इस बजट से गरीब के किसी भले की सम्भावना नहीं है । वर्तमान में मान्यवर, 83 हजार करोड़ की ऋणग्रस्तता है । प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति को खासतौर से व्यवसाय से जुड़े लोगों को भयभीत करते हैं, सरकार की तरफ से उनका विश्वास टूट गया । वर्ष 2001-2002 की जो वित्तीय विवरण पुस्तिका के खण्ड–2 के पृष्ठ–124 पर राजस्व की रूपरेखा प्रस्तुत की है उसके अनुसार 1999-2000 में 7,252 करोड़ 2001-2002 में 4.4 हजार 319 करोड़ का अनुमानित घाटा पेश किया गया । मुख्य मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया है अब यह घाटा 7 हजार 756 करोड़ होने का अनुमान है क्योंकि हमारे यहां जो बजट पेश होता है उसमें एक्जेक्ट फीगर नहीं होती है और वह अनुमान कभी-कभी दसियों करोड़ में चला जाता है । एक यह भी विडम्बना हुई है, जो बजट पेश हुआ है उसके बारे में कहना चाहूंगा, यह 2002-2003 का बजट है और मेरे पास एक फोटो-प्रति है 2001-2002 के बजट की । मैं तो हैरतजदा हूं, मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में कुल राजस्व प्राप्ति 31370.86 करोड़ बताया है, जो कि 2001-2002 के बजट के पुनरीक्षित अनुमान से 13.23 प्रतिशत अधिक बताया है । जबकि पिछले वर्ष 2001-2002 की राजस्व प्राप्तियां 3129.44 करोड़ थी । इसका 13.23 प्रतिशत किस हिसाब से हुआ जो कि 3986.21 करोड़ है । उनके कथनानुसार इस वर्ष राजस्व प्राप्तियां होनी चाहिए थी 3129.44 करोड़ जमा 3986.21 यानि तीन करोड़ इक्तालीस हजार पन्द्रह प्वाइन्ट 35 करोड़ इस प्रकार मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट जिसमें बहुत लम्बी रकम का हेरफेर है इसके बारे में कम से कम विपक्ष यह जानना चाहेगा कि दोनों सालों के बजट पर जो तफसीलात अनुमानित किया गया और जिसे जोड़ घटाकर पेश किया गया है उसमें लम्बा फर्क है उसका कारण क्या है ? जिस इमारत की बुनियाद फर्जी आंकड़ों पर हो उस बजट के बारे में मेरा यह कहना है जब जनता के साथ धोखा करके करोड़ों रुपयों का गलत इन्दराज किया जाय तो मैं यह हकबयानी रखूंगा कि यह बजट झूठ का पुलिन्दा के अलावा और कुछ नहीं है । चार हजार करोड़ रुपये का फर्क बजट के अन्दर होना मामूली बात नहीं है । अगर यह चार हजार का फर्क नहीं होता तो हम राजभर जी से यह आग्रह कर लेते कि आपने अकालग्रस्त घोषित नहीं किया, यह चार हजार करोड़ की रकम गरीब किसानों में बांट दी जाय । लेकिन मेरी बात का इनको बुरा लगा । आपने कह दिया जसवन्त नगर के बारे में, आपने कह दिया कुछ खास नेताओं और शहरों के नाम । हमने यह कहा कि ज़ेहनी अय्याशी के लिए जनता की गाढ़ी कमाई को उलट दिया है । आपको बुरा लगा इसलिए यह बजट झूठ का पुलिन्दा के अलावा कुछ नहीं है । मान्यवर, राज्य सरकार ने वर्ष 2002-2003 के अपने वार्षिक वित्तीय विवरण पुस्तिका में जो गलत आंकड़े प्रस्तुत किये हैं मैं चाहूंगा कि सरकार उनके बारे में सफाई जरूर दे । मान्यवर, आंकड़े पढ़े ही जाते हैं । पढ़े लिखे इसे समझ पायेंगे । भगोड़ों की समझ में यह नहीं आएगा । इनमें से कुछ मुजरिम करार दिये गये पहली लाइन में बैठे हैं यह उनकी समझ में नहीं आएगा। मान्यवर, आप अध्यक्ष पीठ पर बैठे हमारे संरक्षक हैं ।

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आंकड़े जब पेश किये गये तो इन्होंने कहा कि यह पढ़े-लिखे लोगों की समझ में आएगा । मैं जानना चाहता हूं कि यह आपकी समझ में आ गया है या नहीं ?

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, हुकुम सिंह जी हमारे पुराने साथी हैं और यह कहावत है कि लम्बे आदमी में अक्ल कम होती है, लेकिन हुकुम सिंह जी में अक्ल ज्यादा है । वैसे आपकी इस बात को नोटिस नहीं लिया जाएगा । मान्यवर, मैं कह रहा था कि आप अध्यक्ष पीठ पर बैठे हैं और हमारे संरक्षक हैं । हम आपके ही माध्यम से अपनी बात कहते हैं । मान्यवर, सूखे की बात को लेकर यह सदन तीन दिन तक नहीं

चला । यह किसी भी सदस्य को अच्छा नहीं लगा लेकिन किसानों की मांग के लिए सदन पर दबाव बनाना जरूरी था । मान्यवर, किसान की यह मांग नहीं है कि उसे कोई ऐसा सपना दिखाया जाए जो साकार न हो सके, लेकिन यह जरूर चाहता है कि उसके खेतों को पानी मिले । मान्यवर, अभी 2-3 दिन पहले मैं टेलीविजन पर श्री हुकुम सिंह जी का इंटरव्यू देख रहा था उसमें यह कह थे कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 9 करोड़ रुपये के बीज और दवाएं मुफ्त बांटेंगे । यह तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है । किसान की मांग है कि उसने पम्प सेट पर जो कर्ज लिया है उसकी वसूली निरस्त कर दी जाए, ट्रैक्टर की वसूली निरस्त कर दी जाए । किसान अपना पम्प सेट बिजली से नहीं चलाते हैं बल्कि उसमें डीजल लगता है और केन्द्र सरकार ने डीजल और केरोसिन के दामों में इजाफा कर दिया है । मान्यवर, दोहरी मार पड़ रही है किसान पर एक लात उसकी कमर पर नहीं है, केन्द्र सरकार किसान की तबाही करने पर उतरी हुई है और प्रदेश सरकार भी । मान्यवर, 1973-74 में किसी वजह से गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 55 था । 1993-94 में यह प्रतिशत घट कर आया 35.07 और 1997 में मान्यवर, हम तो यह मान कर चलते हैं कि जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है उसी तरह किसान, उसका बेटा तरक्की करेगा, मजदूर का बेटा भी तरक्की करेगा और मेहनतकश का बेटा भी तरक्की करेगा । चपरासी का बेटा भी क्लर्क बनने का सपना देखेगा और क्लर्क के बेटा डाक्टर, इंजीनियर, दरोगा, एस० पी०, कलेक्टर बनना चाहेगा तो यह सोचा था कि ये प्रतिशत गरीबी का घटेगा। लेकिन, 1997 में यह प्रतिशत बढ़कर 35.07 से 37.23 हो गया और हुआ क्या ? मान्यवर, इससे संगठित क्षेत्र में नियमित उजरत के जो रोजगार हैं उसका अनुपात घटा है । मान्यवर, मैं एक बार श्रम मंत्री भी रहा हूं उस वक्त यह कोशिश की थी कि जो हमारे प्रदेश का असंगठित मजदूर है उन्हें संगठित किया जाए ।

मान्यवर, एक बहुत बड़ी फौज है जो असंगठित मजदूरों की है, उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है, शायद हम भी उतना देख नहीं सके क्योंकि हमें भी उतना समय नहीं मिला । किसान के लिए तो आप कह देते हैं कि उसके पास दो बीघा या दस बीघा जमीन है लेकिन जो उस खेत में काम करने वाला मजदूर है या जिसे खेत में काम नहीं मिला तो होटल में आग जलाने वाला, चाय बनाकर देने वाला, मोटर साफ करने वाला या दूसरे कामों में लगा हुआ जो असंगठित मजदूर है, ट्रक चलाने वाला, क्लीनर या गाड़ी साफ करने का जो काम करता है, हमने चाहा था कि उन असंगठित लोगों के लिए वेतनमान निर्धारित कर दिया जाए । जो न हो सका । हम भी नहीं कर सके वक्त की कमी की वजह से लेकिन आने वाली सरकारों से उम्मीद रखते थे कि वे संवेदनशील होंगी और ऐसे लोगों के बारे में कोई निर्णय लेगी । लेकिन इस बजट में एक शब्द भी इन मजदूरों, इन श्रमिकों व असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए नहीं कहा है । आज असंगठित क्षेत्र में उजरती रोजगार का अनुपात बढ़ा है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार घटा है । आप तो बड़े आराम से कह देते हैं कि गांव का आदमी शहर की तरफ जा रहा है वह बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जा रहा है । शहरों में नयी बस्ती बन रही है आबादी बढ़ रही है जिसमें बहुत किस्म की अहलाकी और कानूनी बुराइयां पैदा हो रही हैं । उनको रोकने के लिए क्या उपाय किये ? यह उपाय किया कि रोज तहसीलदार उन ट्रैक्टरों की नीलामी करता है जिन पर मात्र बीस हजार रुपया कर्जा होता है । इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार घटा है और जो कैजुअल वर्क सिस्टम उत्तर प्रदेश में है उसमें बढ़ोत्तरी हुई है । इससे जो लिखने वाले लोग हैं जो ऐसे सब्जेक्ट पर लिखते हैं कि जितने भी आर्थिक सुधार कार्यक्रम चाहे केन्द्र सरकार ने चलाये हों या प्रदेश सरकारों ने चलाये हों अपने-अपने स्तर पर, इन आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के बजाय इसके कि कोई आर्थिक सुधार होता, सुधार नहीं हो सकता । बल्कि गरीबी और बढ़ती चली गयी, बेकारी बढ़ी । इसका राजनीतिक कारण रहा है । यह रहा कि राजनीतिक व्यक्तियों ने, दलों ने, राजनीतिक व्यक्ति और दल ने । मैं उसके इतिहास में नही जा रहा हूं । मैं समाजवादी पार्टी या उसके नेता का कोई बयान भी बताने नहीं जा रहा हूं । लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि (व्यवधान) अगर कोई सरकार या व्यक्ति समाज को, प्रदेश

को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हों, जो आर्थिक सुधार हो सकता था वह नहीं हो सका इसलिए कहना चाहता हूं कि यह बुराइयों की वजह में हमारे राजनीतिक कारण भी हैं। राजनीतिक कारणों से भी प्रदेश की जनता गरीब है और उसकी गरीबी दूर नहीं हो सकी है। मान्यवर, देश की आबादी बढ़ी है इससे कोई इन्कार नहीं है लेकिन सरकारों की जिम्मेदारियां हैं देश की आबादी को संतुलित रखने के लिए अगर संतुलित न रखा जा सके तो उस बढ़ी हुई आबादी से काम लेने की। क्योंकि मान्यवर, यह कह देना काफी नहीं है कि एक शरीर मां की कोख से पैदा हो गया एक पेट मां की कोख से पैदा हो गया। मान्यवर, उसके मुंह के लिए खाना, पैरों के लिए जूता खाना कपड़ा स्थान तमाम चीजें चाहिए वह लोग शायद यह भूल जाते हैं कि यह पैदा होने वाला शरीर दो मजबूत हाथ और दो मजबूत पैर लेकर पैदा हुआ है। अगर हम उसके मजबूत हाथों से कोई काम लेने वाली योजना सामने रखें तो शायद आबादी हमारे लिये उतना बड़ा प्रकोप न बने जितना बड़ा प्रकोप आज बनी हुई है।

मान्यवर, इस बजट के अन्दर एक शब्द भी अगर कहीं हो सकता है कहीं पढ़ने की कमी रह गयी हो, लेकिन एक शब्द भी इस पूरी बजट की किताब में इन बेकार, बेरोजगार लोगों के लिए जिनके हाथों में मजबूती है शरीर है, पेट भी है, उनके लिए काम करने के लिए एक योजना भी नहीं है इसके लिए इसमें एक शब्द भी नहीं है। अनपढ़ लोगों के लिए भी नहीं है। जो शिक्षित बेरोजगार हैं युनिवर्सिटी से डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं उन्हें कहां समायोजित करेंगे यह हजारों की फौज यूनिवर्सिटी, कालेजों से डिग्रियां लेकर निकलती है जो आज विदेशों में भी नहीं लगाये जा रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर के हादसे के बाद इनको अमेरिका ने भी अब लेना बन्द कर दिया है उसने कहा है कि बाहर से आने वाले लोगों पर पाबन्दी लगायी जाय इससे बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ रहा है। इस प्रदेश के मुख्य मंत्री ने पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए उनके काम के बारे में एक शब्द भी इसमें नहीं कहा। इसमें एक शब्द भी नहीं लिखा है। राज्यपाल महोदय ने कहा जब उनका सिक्का चलता था कि 2 प्रतिशत छटनी की जायेगी। यह मानकर हम चल रहे हैं कि आगे लोग नहीं रखे जायेंगे लेकिन मान्यवर, आखिर होगा क्या, कहां जायेंगे ये पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान इसकी मान्यवर, कोई योजना होनी चाहिए थी बैंकों से कर्ज देने की काटेज इंडस्ट्री लगाने के लिए, पढ़े लिखे डाक्टर नौजवान जो निकल रहे हैं, उसको क्लीनिक खोलने के लिए, जो इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, उनको टर्नर मशीन लगाने के लिए, अगर कोई डिप्लोमा होल्डर है, आई टी आई से पास होकर निकला है ऐसे लोगों को बैंकों से कम सूद पर कर्ज देने की कोई योजना होनी चाहिए थी जो योजना इसमें नहीं है और आलम यह है कि हमारे देश की आबादी का प्रतिशत 1.8 हर साल बढ़ रहा है और जो हम उसको जीने के लिए खाद्यान्न देते हैं गेहूं, चावल, दाल, गोश्त, सब्जी उसका प्रतिशत क्या है उसका प्रतिशत एक है इनका क्या अन्जाम होगा वही जो आज हो रहा है। मान्यवर, भण्डार भरे हुए हैं उसके बावजूद किसान सल्फास की गोलियां खाकर मरता है। मां अपने बेटे को सीने से लगाकर खुद भी सल्फास की गोलियां खाती है और बच्चे को भी खिलाती है। आज हालात यह है कि किसान के पास, उसकी औरत के पास खुद के लिए और बच्चे को खिलाने के लिए सल्फास की गोली तक के लिए पैसा नहीं है। आज एक प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है और 1.8 प्रतिशत आबादी बढ़ रही है, कैसे कन्ट्रोल करेंगे ? कैसे काबू पायेंगे ? कैसे भूखे पेटों को भरा जायेगा ? क्या सिर्फ खाद्यान्न ही एक समस्या है ? जो आबादी बढ़ रही है उसके रहने के लिए मकान, उनके बच्चों के लिए शिक्षा मान्यवर, यह जो शिक्षा का कार्यक्रम दिया है जो स्कूल बनाये गये थे पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर उन स्कूलों की क्वालिटी जाकर देखेंगे तो आपको अन्दाजा हो जायेगा कि गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बेकार चला गया है। मान्यवर, बच्चे नहीं हैं स्कूलों में और बच्चे इसलिए नहीं हैं क्योंकि बच्चों के बैठने के लिए टाटपट्टी नहीं है, पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं। अब शिक्षामित्र रखे जायेंगे, आर० एस० एस० के लोग रखे जायेंगे, जिन्होंने आर० एस० एस० की सेवा की है उन लोगों को सेवाएं मिलेंगी, वह लोग रखे जायेंगे, जो जय भीम कहेंगे उन लोगों को रोजगार मिल जायेगा। बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पायेगी। आबादी बढ़ती रहेगी।

इसके लिए इस बजट में किसी तरह का प्रावधान नहीं है और यही वजह है कि इस सबसे बड़े प्रदेश का 1/5 हिस्सा भुखमरी का शिकार है और हमारे भण्डार भरे हुए हैं। उन भण्डारों को जानवर खा सकते हैं, परिन्दे खा सकते हैं, लेकिन वह भण्डार भूखों को बांटने के लिए नहीं हैं। यह खराब नीति है। हालात ऐसे आने वाले हैं कि जिस प्रदेश की हम मिसाल दिया करते हैं उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं। मैं जब अलीगढ़ में पढ़ता था उस समय यदि किसी को बिहारी कह देते थे तो फिर उसको गाली देने की जरूरत नहीं थी और वहीं मारपीट शुरू हो जाती थी। कई बार ऐसा हुआ कि खाने की टेबिल पर बिहारी कह दिया गया और मारपीट शुरू हो गयी। आज उत्तर प्रदेश भुखमरी के रास्ते पर बिहार को भी पीछे छोड़ने वाला है, ऐसे जर्जर हालात इस प्रदेश के होने वाले हैं और मान्यवर, इससे निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये हैं।

मान्यवर, इसे कल भी जारी रख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अगर आप कल जारी रखना चाहते हैं तो ठीक है, कल चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा भी कल तक के लिए स्थगित की जाती है।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 13 अगस्त, 2002 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुईं। निम्नलिखित सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।

(1) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का परीक्षा केन्द्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश से समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
(2) श्री संजय गर्ग	भू-गर्भ जल के अति दोहन के कारण भू-जल स्तर के नीचे चले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :—

(1) श्री प्रागी लाल अहिरवार	थानाध्यक्ष उल्दन, जनपद झांसी द्वारा आसाराम पुत्र श्री अन्ते चमार को बेकसूर निर्मम पिटायी किये जाने के संबंध में।
(2) श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के ग्रामों में डायरिया की बीमारी से दर्जनों लोगों के मरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
(3) श्री चौ० बाबू लाल	जनपद आगरा की फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति किये जाने के संबंध में।
(4) श्री विश्राम सिंह यादव	हरदोई जनपद के ब्लाक सांडी में साधन सहकारी समिति लि० चौसार की जमीन पर अवैध निर्माण/कब्जे को हटाये जाने के संबंध में।

(5) श्री ओम प्रकाश पाण्डेय	जनपद सुल्तानपुर में कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ रहे छात्रों को रियायती दर पर पुस्तकों की आपूर्ति किये जाने के संबंध में ।
(6) श्री प्रमोद कुमार	जनपद रायबरेली के विधायक श्री अखिलेश सिंह के प्रकरण की जांच सी० बी० सी० आई० डी० से करायें जाने के संबंध में ।
(7) श्री रमेशकान्त लवानिया	जनपद आगरा की खेरागढ़ तहसील में खराब विद्युत व्यवस्था के विरुद्ध विद्युत कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के संबंध में ।
(8) श्री श्यामदेव राय चौधरी	बनारस प्रशासन द्वारा अव्यवहारिक कानून बनाने से धार्मिक भावना को चोट पहुंचाये जाने से विश्वनाथ गली के व्यापारियों को कष्ट के संबंध में ।
(9) श्री रामनरेश यादव	प्रदेश में मुंहनोचवा को लेकर दहशत एवं आतंक के संबंध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :—

(1) डा० पूर्णमासी देहाती	जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत खड्डा से पडरौना तथा छितौनी से पनिहवा मार्ग पर बने ठोकर के टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
(2) श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल	मेरठ विकास प्राधिकरण में गंगानगर योजना में आबादी के बसाने के लिए ली गयी जमीनों का किसानों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में ।
(3) श्री स्वामी ओमवेश	जनपद बिजनौर के अन्तर्गत पूर्वी गंगा नहर की बिजनौर व गंज शाखा नहर की खुदाई पूर्ण कराये जाने के संबंध में ।
(4) श्री रामजीत राजभर	सचिवालय कर्मियों को दवाओं की सुविधा सुचारु रूप से न उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।
(5) श्री दुर्गा प्रसाद यादव	समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
(6) श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव	प्रदेश में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा से संबंधित छात्र/छात्राओं को रिक्त पदों पर न भरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
(7) श्री शारदानन्द अंचल	पूर्वांचल के जनपदों खासकर बलिया, मऊ और आजमगढ़ में सड़कों के खराब एवं कष्टकर होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

शेष सूचनाएं श्री उदयराज, श्री राम किशुन, श्री छोटेलाल यादव, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री महबूब अली, श्री अजीम भाई, श्री कौशल किशोर, श्री रणवीर राणा, श्री मुंशी लाल गौतम, श्री सीताराम निषाद, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री कमाल यूसुफ मलिक की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं ।

अब हम उठते हैं । कल 14 अगस्त, 2002 को 11.00 बजे पूर्वाह्न पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 5 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 13 अगस्त, 2002

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०–111 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर)

एटा–गंजडुण्डवारा मार्ग पर परिवहन निगम संचालित बसों की समय-सारणी ।

एटा से गंजडुण्डवारा (अप)	गंजडुण्डवारा से एटा (डाउन)
04.00	05.00
05.00	06.00
06.30	07.00
07.30	07.45
08.30	08.30
09.30	09.30
10.00	10.15
12.00	11.15
12.15	12.00
13.00	13.45
14.00	14.00
15.30	14.45
16.30	16.00
18.15	17.15
20.00	18.15

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 353 विधान सभा (595)–2002–813 (डी०टी०पी०) ।